Par. 8. 17. 11. 31. 53
285

खंड २ — बुधवार
संख्या ३१ — १३ मई, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ४३७७—४४२६]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४४२६—४४८४]

(मूल्य ४ आने)

बुधवार, १३ मई १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मिलों द्वारा धोतियों तथा साड़ियों का उत्पादन

*२०८४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बंगाल मिल स्वामी संघ ने भारत सरकार से सीधे और पश्चिमी बंगाल सरकार के मारफत भी यह आग्रह किया है कि पश्चिमी बंगाल की मिलों को हाल ही के उस आदेश से विमुक्त कर दिया जाये जिसके अनुसार मिलों द्वारा धोतियों और साड़ियों के उत्पादन को निर्बन्धित किया गया है, जब तक सूती वस्त्र जांच समिति कोई अंतिम विनिश्चय न करे ;

(ख) यदि ऐसा है तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) मिल स्वामी संघ ने विचारार्थ क्या सारवान आधार प्रस्तुत किये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हां, श्रीमान् । सरकार के आदेश मिलों द्वारा धोतियों का उत्पादन निर्बन्धित करने के विषय में हैं और वे साड़ियों पर लागू नहीं होते ।

(ख) राज्य सरकार तथा संघ को बता दिया गया है कि किसी राज्य के मिलों के विषय में कोई व्यापक विमुक्ति नहीं दी जा सकती परन्तु विमुक्ति के लिये व्यक्तिगत मामलों पर गुणावगुण के अनुसार विचार किया जायेगा ।

(ग) यही कि पश्चिमी बंगाल की मिलें प्रधानत: धोतियों तथा साड़ियों के उत्पादन के लिये ही हैं और उनके लिय अन्य किस्म का वस्त्र बनाना आरंभ करना कठिन होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के कारखानों में विभिन्न प्रकार का कपड़ा तैयार करने के लिय रंगने वाली मशीनें नहीं हैं ?

श्री करमरकर : जी, हां । यही तो कारण है कि वस्त्र आयुक्त ने अभी हाल में सात कारखानों को अपनी स्वभाविक योग्यता से अधिक २० प्रतिशत धोती का उत्पादन बढ़ाने की आज्ञा दी है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यदि सरकार ने उन लाभों का परिमाप किया है, जो इसी समय में हाथ के उद्योग ने प्राप्त किये हैं ?

श्री करमरकर : वास्तव में कोई परिमाप नहीं हुआ है । परन्तु ऐसा समझा जाता है कि हाथ के उद्योग से कुछ लाभ हुआ है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ६० प्रतिशत का आशय लगायी गयी शक्ति के ६० प्रतिशत से है, अथवा गत वर्ष के उत्पादन का ६० प्रतिशत ?

श्री करमरकर : गत वर्ष के उत्पादन का ६० प्रतिशत ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को शीघ्र ही खड़े होना चाहिए ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : खड्डियों द्वारा बनाई गई साड़ियों और धोतियों के बांटने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री करमरकर : धोतियों की बांट खुली है कोई निबंधन नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कारखाने अपने उत्पादन को समस्त देश के लिये बांटते हैं । इसी प्रकार, खड्डियों के उत्पादन को बांटने का क्या प्रबन्ध है, ताकि वे देहाती क्षेत्र में पहुंच सकें ?

श्री करमरकर : उनके भेजने पर कोई पाबन्दी नहीं । कोई भी व्यक्ति कहीं से भी खरीद सकता है ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी दूसरे राज्य ने भी मुक्ति के लिये निवेदन किया है ?

श्री करमरकर : जी, हां । मेरा विचार है, तीन राज्यों ने जिनमें बिहार भी सम्मिलित है ।

करारों के अधीन दावे

*२०८५. **सरदार हुक्म सिंह :** **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या देहली के सब जज, श्री मदन मोहन सिंह के निर्णय का सरकार को पता है कि सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा किये गये करारों के अधीन भारत सरकार दावों की रकम देने के लिये उत्तरदायी है, चाहे भेजी हुई वस्तुओं का भाग ऐसे स्थानों पर पहुंच गया हो, जो पाकिस्तान में हैं, और करार तोड़े नहीं जा सकते ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने ऐसे करारों के लिये उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) जी, हां । सब जज ने एक मामले में ऐसा निर्णय किया है जहां कि वस्तुएं सैनिक स्टोर डिपो में भेजी गई थीं, जो कि संयुक्त-सुरक्षा-परिषद के पूर्णतया नियंत्रण में था ।

(ख) जी, नहीं । सब जज देहली के निर्णय के विरुद्ध पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय में पुनरावेदन करने का फैसला किया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : ऐसे मामलों में सरकार के पास पेश किये गये दावों की कितनी रकम है ?

श्री बुरागोहिन : मूल दावों के सम्बन्ध में मुझे पता नहीं है । परन्तु मध्यस्थ द्वारा दिये गये पंचाट की रकम ११,८८१ रुपये है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार के करारों सम्बन्धी और मुकदमे भी किये गये हैं और किसी उच्च न्यायालय द्वारा उनमें से कोई रद्द भी किये गये हैं ?

श्री बुरागोहिन : जी, हां । पूर्वी पंजाब उच्च-न्यायालय द्वारा इस मंत्रालय असम्बन्धित एक मामले में निर्णय दिया

गया है, जिसमें पूर्वी पंजाब उच्च-न्यायालय की पूरी बेंच ने भी न्यूनाधिक उसी विचार को लिया है, जो सब जज देहली ने ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उच्च-न्यायालय के उस निर्णय का सामना उच्चतम-न्यायालय में किया गया, अथवा सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया ?

श्री बुरागोहिन : पूर्वी पंजाब उच्च-न्यायालय ने सरकार को आज्ञा दे दी है कि वे मामले को उच्चतम-न्यायालय में ले जा सकते हैं, और इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाया जायगा ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने किसी दावे के लिये समझौता भी किया है ।

श्री बुरागोहिन : जी, नहीं ।

डीज़ल इंजनों का निर्माण

*२०८७. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डीजल इंजनों के निर्माण को बढ़ाने के लिये क्या कोई योजना बनाई गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो योजनाएं क्या हैं।

(ग) इन योजनाओं के विषय में किन विदेशों की किस फर्म से किस प्रकार की सहायता ली जाने का विचार है ?

(घ) शिल्पिक तथा दूसरे प्रकार की सहायता लेने के लिये ऐसी फर्मों के साथ कौनसी शर्तों की प्रतिज्ञा की गई है ?

(ङ) योजनाओं को चालू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं । डीज़ल इण्जन का निर्माण कार्य गैरसरकारी खण्ड के ऊपर छोड़ दिया गया है । अतः सरकार द्वारा किसी योजना को उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता । सात फर्में हैं, जो डीज़ल इण्जन बना रही हैं, और सरकार ने आठ योजनाएं अनुमोदित की हैं । इन सब फर्मों की जानकारी सदन पटल पर रखे हुए विवरण-पत्र में दी हुई है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[देखो परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५८]

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि जितने डीज़ल इंजिन अपने देश में इस वक्त बन रहे हैं वह अपने देश की ज़रूरियात के लिये काफ़ी हैं और यदि नहीं हैं तो कितने प्रतिशत इंजिन अभी विदेश से मंगाये जाने के लिये सरकार मंजूर करती है ?

श्री करमरकर : जी, अभी नार्मल रिक्वायरमेंट्स के लिये काफ़ी नहीं हैं । अभी तो स्टाक बहुत है, इस लिये हम न इम्पोर्टस बन्द कर दिये हैं ।

योजना आयोग के अनुसार [१९५५-५६ तक ५८,३२६ का सामर्थ्य होगा, और ४६,८९३ का निर्माण ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि जो सात फ़र्म्स अभी काम कर रही हैं और जिन आठ फ़र्म्स में विदेशों से इमदाद लेकर काम चलाया जाना है, इन के लिये सरकार ने कोई प्रोटैक्शन ऐसा रखा है या नहीं और यदि रखा है तो क्या रखा है ?

श्री करमरकर : इनके लिये प्रोटैक्शन क्या हैं, यह मैं मालूम कर लूंगा और बाद में कह सकूंगा । और जो इंपोर्टस के बारे में सवाल है तो जिस तरह से उन की हानि न हो, ऐसी हमारी इम्पोर्ट की पालिसी बन जाती है, कोई प्रोटैक्शन नहीं होता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि जो यह विदेशों से सहायता ली जाती है और रायल्टी दी जाती है तो इन विदेशी फ़र्मों का कोई रुपया लगा है या नहीं ?

श्री करमरकर: इन में बहुत ज्यादा स्वदेशी फ़र्म्स हैं यह मैं जानता हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: नहीं, यह जो आठ फ़र्म्स बनाई गयी हैं सरकार द्वारा स्वीकृत डीज़ल इण्जन बनाने की योजना इन के अन्तर्गत विदेशों से सहायता ली जाती है, टैक्निकल असिस्टेंस, और उस संबंध में रायल्टी का ज़िक्र इस स्टेटमेंट में दिया गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि रायल्टीज़ के अलावा इन फ़र्म्स ने अपना कुछ रुपया भी लगाया है या नहीं ?

श्री करमरकर : इस के बारे में नोटिस चाहिये ।

श्री जसानी : मैं पूछना चाहता हूं कि डीजल इण्जन बनाने के लिए क्या सब आवश्यक पुर्जे भारत में बनाये जाते हैं अथवा विदेशों से मंगवाये जाते हैं ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है अधिकतर पुर्जे, परन्तु मुझे स्वयं इसके सम्बन्ध में अधिक जानने की आवश्यकता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विवरण में वर्णित डीजल इण्जन बनाने वाली कम्पनियों पर, मशीनी औज़ारों के कारखाने के निर्माण होने से, किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ? यदि ऐसा होगा, तो क्या इन कम्पनियों को कोई सुरक्षण दिया जायगा ?

श्री करमरकर : मैं नहीं समझता कि मशीनी औजारों के निगम से डीजल इण्जन बनाने पर कोई प्रभाव पड़ेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: यह जो डीज़ल इंजिन्स के नये कारखाने खोले जा रहे हैं तो यह कब तक काम करने लग जायेंगे और इस सम्बंध में हम कब तक सैल्फ सफिशियेंट हो जायेंगे ।

श्री करमरकर: मैं उसका पता करूंगा, परन्तु शीघ्र ही भविष्य में लगभग एक वर्ष के समय के अन्दर ।

पारपत्र द्वारा प्रभावित आसाम के खेतीहार

*२०८९. **श्री रिशांग किशिंग : प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पारपत्र पद्धति के लागू होने के कारण पिछली सरदियों में, आसाम के कई खेतीहार, पाकिस्तानी सीमा के पास अपने खेतों से धान की फ़सलें नहीं काट सके ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस प्रकार प्रभावित कितने खेतीहार थे, और कितने एकड़ भूमि थी और इस प्रकार कितनी मात्रा में धान खोया गया ?

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन खेतीहारों को अपने खेतों में इस ऋतु में खेती करने के लिये दृष्टांक देने से इनकार कर दिया है ?

(घ) क्या भारत सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है, और

(ङ) यदि ऐसा है, तो इसके क्या परिणाम हुए हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : (क) जी, हां । पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उनको ए श्रेणी के पर्याप्त दृष्टांक न मिलने के कारण ।

(ख) सम्पूर्ण आंकड़े प्राप्त नहीं हैं । आसाम के दो ज़िलों में, गोलपारा और कच्छार में २०६ किसानों पर प्रभाव पड़ा, और ३६६ एकड़ भूमि इस में आई; तथा ४,३६४ मन धान और ६८ मन सरसों की हानि हुई ।

(ग) हमें पता है कि इन किसानों को ए श्रेणी के दृष्टांक प्राप्त करने में बहुत देरी लगती है और अभी कुछ ही दृष्टांक दिये गये हैं ।

(घ) और (ङ) आसाम सरकार द्वारा पूर्वी बंगाल सरकार के साथ मामला उठाया गया है । यह हाल में हुए पारपत्र सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के ध्यान में लाया गया है, और उन्होंने इसका निधान करने की प्रतिज्ञा की है ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इन प्रभावित परिवारों के लिये कोई सहायता दी है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारत सरकार का इस मामले से सीधा सम्बन्ध नहीं । आसाम सरकार इस को निपटा रही है । और हमें पता नहीं कि क्या उन्होंने उनको कोई विशेष सहायता दी है ।

श्री रिशांग किशांग : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग भविष्य में अपने खेतों को जोत सकते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यही तो हमारी कलह है, कि वे कर सकते हैं और करना चाहिए ।

बर्मा में के० एम० टी० सेना

*२०९२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) कि क्या यह सच है कि उन्होंने डम डम में प्रैस के साथ हाल में ही वार्तालाप करते हुए बर्मा की सीमा के अन्दर के० एम० टी० सेना के अस्तित्व की ओर निर्देश किया था ?

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि इस के० एम० टी० सेना को लगातार फ़ारमूसा से शस्त्रास्त्रों की सहायता मिलती है ?

(ग) क्या भारत सरकार ऐसा सोचती है कि बर्मा में इस शत्रुपक्षी विदेशी सेना का वर्तमान होना बर्मा की सुरक्षा के लिये सीधी और भारतीय सुरक्षा के लिये उपरोक्ष धमकी का कारण बनता है ?

(घ) यदि ऐसा है तो क्या भारत सरकार ने इसके विरुद्ध कोई विरोध खड़ा किया है ?

(ङ) भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ङ) बर्मा सरकार की शिकायत पर संयुक्त राष्ट्रों में बर्मी सीमा पर के० एम० टी० सेनाओं के अस्तित्व पर पूर्ण विवाद हुआ था । एकमत से महासभा ने संकल्प पास किया । भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इसका समर्थन किया । इस संकल्प की एक प्रति सदन-पटल पर रखी हुई है । **[देखो परिशिष्ट ११ अनुबन्ध संख्या ५९]**

श्री ए० एन० विद्यालंकार : संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू कौन करेगा । प्रस्ताव में यह कहा गया है कि "यह घोषणा की जाती है कि विदेशी सेनाएं निशस्त्र की जाएं अथवा वे या तो बन्दी होने के लिए सहमत हों या बर्मा संघ को तुरन्त छोड़ दें ।" यदि वे ऐसा न करें तो प्रस्ताव को प्रवर्तन कौन करेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह निर्णय उस समय संयुक्त राष्ट्र को करना होगा । मैं इस विषय में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कुछ नहीं कह सकता ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : प्रस्ताव में यह आग्रह किया गया है कि सब राज्य बर्मा संघ सरकार की प्रार्थना पर यथा शक्ति बर्मा से इन सेनाओं के शान्ति पूर्ण निष्क्रमण के लिए सहायता करें । मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार इन सेनाओं के शान्ति पूर्ण निष्क्रमण के लिए बर्मा सरकार को कोई सहायता देगी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: इस विषय में भारत सरकार का बर्मा सरकार से घनिष्ट सम्बंध रहा है और उस ने जो सहयोग हो सकता था देने का प्रयत्न किया है । परन्तु वह बर्मा चीन सीमांत पर सेनाओं के निष्क्रमण में सहायता नहीं कर सकती । संभवत: उस में उन देशों की ओर निर्देश है, जो ऐसा कर सकते हैं और जो भौगोलिक रूप से यथवा अन्यथा इस प्रकार स्थित हैं ।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह प्रस्ताव पारित होने के पश्चात भी फारमोसा से शस्त्रास्त्र भेजे जा रहे हैं । क्या भारत सरकार के पास इस सम्बंध में कोई सूचना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री रघुरामय्या : यह प्रश्न फारमूसा से शस्त्रास्त्र संभरण के सम्बंध में है । कोई निश्चित समय नहीं है । मैं वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : (ख) भाग में से उत्पन्न होता है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: अच्छा श्रीमान् इस सम्बंध में हमारे पास प्रत्यक्ष सूचना नहीं है ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि फारमूसा सरकार ने बर्मा से इन सेनाओं के निष्क्रमण के लिए सहायता देने की स्वच्छा प्रगट की है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू: संयुक्त राष्ट्र में उन के प्रतिनिधि ने ऐसा कहा है ।

आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम सहायक

*२०९३. **श्री एन० पी० दामोदरन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आकाश वाणी में कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यक्रम सहायकों की नौकरियां संघ के लोक सेवा आयोग द्वारा भरने का निश्चय किया है और यदि ऐसा है तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी हां । ये नौकरियां केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी २ से सम्बंधित हैं और इस लिए संघ के लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती करना आवश्यक है ।

श्री एन० पी० दामोदरन : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं और इस निश्चय के कारण निकाल दिए जाएंगे ।

श्री करमरकर : संघ के लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के कारण नौकरी से निकाले जाने वाले ?

श्री एन० पी० दामोदरन : जी हां ।

श्री करमरकर: यह संघ के लोक सेवा आयोग के निर्णय पर निर्भर है ।

श्री एन० पी० दामोदरन: श्रीमान् मैं आकाश वाणी में काम करने वाले इन व्यक्तियों

में से कुछ की अधिकतम सेवावधि जान सकता हूं ? मुझे पता लगा है कि जो व्यक्ति ६ तथा १० वर्ष से कार्य कर रहे हैं उन्हें इस निर्णय के फलस्वरूप निकाल देने की संभावना है ।

श्री करमरकर : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न सं० २०९४ । श्री बंसल .....

अगला प्रश्न सं० २०९५.

श्री वीरस्वामी : श्रीमान् पिछले प्रश्न के सम्बंध में .....

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सा प्रश्न ? क्या निर्यात व्यापार ?

श्री वीरस्वामी : श्रीमान क्या यह तथ्य है कि कुछ सहायक स्टेशन संचालक, कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम सहायक जो आकाश वाणी के मद्रास और ट्रिची स्टेशनों पर कार्य कर रहे थे निचली नौकरियों पर प्रत्यावर्त कर दिये गए हैं और यदि ऐसा है तो क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति मैं ने दूसरा प्रश्न पुकार दिया है और दूसरा प्रश्न आ चुका है । मुझे खेद है कि यह माननीय सदस्य ने देर से पूछा है ।

भारतीय पुलिस अधिकारी का पांडीचरी में निरोध

*२०९५. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडीचरी में फ्रांसीसी प्राधिकारियों ने एक भारतीय पुलीस अधिकारी को अनावश्यक रूप से विरूद्ध किया था;

(ख) यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों के अधीन यह निरोध किया गया; तथा

(ग) यदि यह निरोध अवैध था तो संघ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (ग) २७ मार्च १९५३ को भारत संघ ने एक सब इंस्पैक्टर को पांडीचरी में से काम के लिए गुज़रते हुए फ्रांसीसी प्राधिकारियों ने चार बार रोका । एक बार उन्हें पुलीस थाना में ले जाया गया और वहां लगभग १५ मिनट ठहराया गया । इस निरोध के कारण ज्ञात नहीं । सरकार ने फ्रांसीसी प्राधिकारियों के पास कड़ा विरोध किया है और उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या कारण मांगे जाएंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं ने अभी बताया कि हम ने वे मांगे हैं ।

गलती से सीमांतोल्लंघन करने वाले व्यक्ति

*२०९६. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत और पाकिस्तान पंजाब के पुलीस अधिकारियों ने सिपारिश की है कि ऐसे सब व्यक्ति मुक्त कर दिए जाएं जिन्होंने गलती से सीमांतोल्लंघन का अपराध किया है ?

(ख) क्या भारत सरकार को अपने अधिकारियों से भी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

(ग) यदि ऐसा है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) से (ग) जून १९५२ में पंजाब भारत तथा पंजाब (पाकिस्तान) के पुलीस इंस्पैक्टर जनरल इस बात पर सहमत हुए कि सीमांत की शान्ति तथा सुरक्षा के हित में एक ओर की पुलीस को दूसरी ओर की पुलीस के पास ऐसे व्यक्ति दे देने चाहियें जो अनिच्छा से उन की सीमा में चले गए हों यदि उन का गांव सीमांत पर हो और ऐसी वस्तुएं ले

जाता हुआ न पाया गया हो जिन की मनाही हो ।

श्री के० पी० सिन्हा : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू । श्रीमान ! मैं यह संख्या नहीं जानता ।

पंडित डी० एन० तिवारी: श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या यह जानने के लिये कोई यंत्र है कि किसी व्यक्ति ने गलती से सीमांतोल्लंघन किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यंत्र से क्या अभिप्राय है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई न्यायाधिकरण अथवा यन्त्र यह मानने के लिए स्थापित किया गया है.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या लोगों की गलती से सीमांतोल्लंघन से रोकने के लिए कोई यंत्र स्थापित है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इन सीमांत के साथ साथ सीमांत सुरक्षा चौकियां और गश्ती टुकड़ियां हैं और यदि वे देखें कि किसी ने सीमा पार की है तो वे कार्यवाही करती हैं । कभी कभी यदि उन्हें संदेह हो तो वे देखते ही गोली चलाती हैं अन्यथा वह व्यक्ति को बन्दी बना लेती है और कुछ सामयिक पूछ ताछ होती है और यथा स्थिति व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है अथवा छोड़ दिया जाता है ।

श्री के० पी० सिन्हा : श्रीमान मैं जान सकता हूं कि क्या चोरी किये गये पशु भी वापिस किए गए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय प्रधान मंत्री ने समझा नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: सीमांत पर घूमने वाले पशुओं के सम्बन्ध में कि क्या किया जाता है ? मुझे आशा है कि वहां भी वही नियम लागू होता है ।

पूर्णिया जिले में पाकिस्तानी धावा

*२०९९. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि १२ मार्च १९५३ को भारतीय सशस्त्र पुलीस ने पूर्णिया ज़िला में इसलामपुर थाना पुलीस के अधीन भारत पाकिस्तान सीमांत के समीप दो पाकिस्तानी धावा करने वालों को गिरफतार किया था ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस धावे में धावा करने वाले अंधेरे में इसलामपुर थाना पुलीस के अधीन बारोगढ़िया गांव से कुछ पशु और बहुमूल्य वस्तुएं ले गए ;

(ग) क्या ऐसे धावों की सूचना पाकिस्तान सरकार को दी गई है ; तथा यदि ऐसा है तो उस के क्या परिणाम हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १२ मार्च १९५३ की रात को पाकिस्तान के १६, १७ डाकुओं ने ज़िला पूर्णिया के इसलामपुर थाना के गांव बारो-गड़िया के कुछ घरों में धावा किया बिहार सशस्त्र पुलीस द्वारा बाधा डालने पर धावा करने वालों ने गोली चलाई जिसका उत्तर दिया गया । डाकुओं में से दो हताहत हुए और उन्हें गरिफतार कर लिया गया । वे भारतीय नागरिक थे जिन की इसलामपुर थाना पुलीस के एक मामले में तीन वर्ष से खोज थी ।

(ख) कुछ नकद, गहने और कुछ पशु डाकू ले गए ।

(ग) तथा (घ). वर्तमान प्रक्रिया के अधीन सम्बंधित दण्डाधीश तथा पाकिस्तान का दण्डाधीश सीमांत की घटनाओं पर

पहले विचार करते हैं। गंभीर घटनाओं पर राज्य सरकार पूर्वी बंगाल सरकार के साथ वार्तालाप करती है। बिहार सरकार से पूछा गया है कि क्या उन्होंने पूर्वी बंगाल सरकार को विरोध पत्र भेजा है।

डा० राम सुभग सिंह: क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हज़ारों ऐसे आक्रमणकारी तथा अन्य व्यक्ति अवैध रुप से पूर्णिया ज़िला में घुस आये हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्या हज़ारों व्यक्ति ?

डा० राम सुभग सिंह: जी हां।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे इतने अधिक लोगों के प्रवेश के सम्बंध में ज्ञात नहीं।

पंडित डी० एन० तिवारी: श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सीमांत के लोगों को आत्म रक्षा के लिए सशस्त्र करने का विचार कर रही है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी नहीं, ऐसा भेद भाव नहीं।

भारत और नेपाल के बीच भागे हुए कैदियों का प्रत्यर्पण

*२१०३. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भागे हुए कैदियों के प्रत्यर्पण के सम्बंध में भारत और नेपाल के बीच कोई समझौता हो रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): भारत तथा नेपाल सरकारों के बीच प्रत्यर्पण सम्बंधी नए समझौते को पूर्ण करने के लिए बात चीत हो रही है।

श्री रघुनाथ सिंह: इस समझौते में राजनैतिक कैदी भी शामिल होंगे या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नहरू: यह तो मैं एक दम से नहीं कह सकता, और इसका कहना भी बड़ा कठिन होता है कि कौन राजनैतिक कैदी है। कभी यह सवाल बहुत साफ़ होता है और कभी बड़ा मुश्किल होता है।

समाचार पत्र के कागज़ की परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को ऋण

*२१०४. **डा० रामसुभग सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार को उस राज्य की समाचार पत्र के कागज़ की परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए, अब तक दिए गए ऋण की कुल मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर):

वर्ष	स्वीकृत ऋण (लाख रुपयों में)
१९५१-५२	६३.२०
१९५२-५३	३४.१३

डा० राम सुभग सिंह: उस परियोजना को दिए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण की कुल मात्रा क्या है ?

श्री करमरकर: दो करोड़ से थोड़ा अधिक। श्रीमान्, मैं अपनी गलती सुधारना चाहूंगा। २४० लाख रुपए की एक राशि राज्य द्वारा कम्पनी को दी जा चुकी है। और आगे की ऋण आवश्यकताएं २२० लाख तक की हैं। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, स्वीकृत ऋण ६३.२० और ३४.१३ लाख है।

डा० राम सुभग सिंह: और ऋण आवश्यकताओं के संबंध में, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या परियोजना का प्राक्कलन फ़िर से बढ़ गया है, और यदि ऐसा है तो कितनी राशि तक ?

श्री करमरकर: जी नहीं, पिछले ऋण के बाद से नहीं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या मैं जान सकती हूं कि क्या प्राक्कलन के विस्तृत

विवरण पर विचार करने के हेतु एक समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति ने ४.७२ करोड़ रुपए की सिफारिश की थी, लेकिन फिर भी प्राक्कलन ६ करोड़ तक बढ़ गया है, और यदि ऐसा है, तो क्या मैं उसके कारण जान सकती हूं ?

श्री करमरकर: सभी प्रथम प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है । उसका कारण बढ़ी हुई लागत है ।

श्री टी० एन० सिंह: विकास की किस अवस्था पर वह व्यवसायिक संस्था आज कल है ?

श्री करमरकर : मशीनों का कुछ भाग आ गया है और कुछ भाग अभी आना है । जैसे ही सारे भाग आ जायंगे, वह परियोजना चालू हो जायेगी ।

श्री जसानी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस व्यवसायिक संस्था के अंश केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीदे गए हैं, और यदि ऐसा है तो किस सीमा तक ?

श्री करमरकर: हम कोई भी अंश नहीं खरीद रहे हैं, हम केवल धन दे रहे हैं।

श्री जसानी: क्या मैं जान सकता हूं कि यह व्यवसायिक संस्था कब से उत्पादन प्रारंभ करेगी ?

श्री करमरकर: कहा जाता है कि लगभग एक वर्ष में, हम लोग थोड़ी प्रतीक्षा करें और देखें ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूज़ प्रिन्ट प्रोजेक्ट जो बन रहा है उससे कितने साल के भीतर हम लोगों को पेपर मिलना सम्भव हो सकेगा ।

श्री करमरकर : कुछ मशीनरी आ गई और कुछ अभी आने वाली है । उसके आने के दो वर्ष बाद हमको पेपर मिलने लगेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल: इसका कोई डेफिनिट टाइप है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, यह कहना कठिन है क्योंकि यह विदेश से प्राप्त होने वाली मशीनों पर निर्भर करता है ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथाकथित नेपा-मिल्स ही है ।

श्री करमरकर : यह बिल्कुल वही है ।

श्री सारंगधर दास: क्या सर्वसाधारण का उसमें कोई अंश है ?

श्री करमरकर : जी हां, ७५ लाख रुपए ।

श्री नानादास: श्रीमान् क्या हम लोग समाचारपत्र के कागज़ की परियोजना का सारांश जान सकते हैं ?

श्री करमरकर : खास विचार समाचार पत्र का उत्पादन करना है ।

श्री हेडा: क्या सरकार को यह तथ्य ज्ञात है कि हैदराबाद राज्य में इसी प्रकार की या इससे उत्तम एक परियोजना निधियों की कमी के कारण हैदराबाद राज्य के हाथों से निकल कर व्यक्तिगत हाथों में जाने वाली थी, और केन्द्रीय सरकार ने उसकी सहायता नहीं की ?

श्री करमरकर: मैं समझता हूं कि वह गैर अखबारी कागज़ उत्पादित कर रही थी ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश खास तौर पर क्यों चुना गया था ?

श्री करमरकर : एक खास स्थान और एक खास व्यवसायिक संस्था इसलिए उपयुक्त समझे गये क्योंकि वे उपयुक्त थे। यदि अन्य क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं बनती हैं तो उन पर विचार किया जायगा।

सरदार ए० स० सहगल खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण सीधे प्रश्न पूछना नहीं शुरू कर सकते।

श्री के० जी० देशमुख : इस सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार को भारी ऋण दिए जाने की दृष्टि से, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सरकार उस परियोजना के निर्माण पर कोई रोक थाम रखती है।

श्री करमरकर : तथ्य तो यह है कि हम अर्थ मंत्रालय तथा योजना आयोग से सलाह करके नवीनतम स्थिति की जांच कर रहे हैं और सरकारी पदाधिकारियों का एक दल, मध्य प्रदेश सरकार को किसी और अधिक सहायता का वचन देने से पूर्व, परियोजना के आर्थिक पहलू की एक विशेष जांच करने जा रहा है।

श्री जसानी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के लिए आवश्यक कच्चे मालों और पानी के विषय में कोई परिमाप किया गया है ?

श्री करमरकर : एक परिमाप किया गया है और उस स्थान पर पर्याप्त पानी और बांस है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि वहां ज्यादा बैम्बू मिलने के कारण मध्य प्रदेश चुना गया ?

श्री करमरकर : ज्यादा बैम्बू वहां पर भी मिलता है और दूसरे स्थानों पर भी मिलता है। पर चूंकि वहां पर सूटेबिलिटी थी, इसलिए हमने उस स्थान को तय किया।

श्री मात्तन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अब भी संतुष्ट है कि यह वाणिज्यक दृष्टि से एक अच्छी योजना है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मैं ने यह बात कही थी कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को और किसी सहायता का वचन देने से पहले परियोजना के आर्थिक पहलू की विशेष जांच करवाने का निश्चय किया है।

श्री गाडगिल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कनारा काग़ज़ कम्पनी ने सरकार से सहायता मांगी है ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा यदि उसने सहायता मांगी है तो उस पर सहानुभूति पूर्ण विचार किया जायेगा।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि शराफ़-समिति द्वारा की गई सिफारिशों का क्या हुआ ? क्या वे किसी रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं ?

श्री करमरकर : शराफ समिति से मामले की जांच करने को कहा गया था। उसके बाद प्राक्कलन बढ़ गए ; और वास्तव में मैं सदन को बता चुका हूं कि हमने क्या सहायता दी है। वह शराफ समिति के प्रतिवेदन के बाद हुआ था।

बिलका बांध को जोड़ने के हेतु रेल लाइन

*२१०५. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि कोसी नियन्त्रण योजना के आधीन बिलका बांध के निर्माण से पूर्व बांध के स्थान को जोड़ने के लिए कोई रेल लाइन बनाई जायेगी;

(ख) यदि बनाई जायेगी, तो वह

स्थान जहां से वह रेल लाइन बनाई जाने वाली है और वे मुख्य स्थान जहा से होकर वह जाने वाली है ; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत और मीलों में लम्बाई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । रेल लाइन का निर्माण, जो परियोजना का एक अंग है, उस परियोजना के स्वीकृत हो जाने के बाद ही शुरू किया जायेगा ।

(ख) और (ग). विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो रहा है । अतः इस अवस्था पर मांगी गई सूचना देना संभव नही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि नेपाल सरकार ने उस रास्ते का विरोध किया था जो हमने चुना था और उस ने एक नए मार्ग का सुझाव दिया है, और यदि ऐसा है तो अन्तिम निर्णय क्या हुआ ?

श्री हाथी : जी नहीं ; इसके विपरीत हमारे पास तीन मार्ग थे जिनमें से एक के लिए नेपाल सरकार तैयार हो गई है ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि उस लाइन के कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

श्री हाथी : मैं कोई निश्चित समय नहीं बता सकता क्योंकि वह परियोजना प्रतिवेदन के तैयार हो जाने पर निर्भर होगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक बिहार के मुख्य मंत्री को इस प्रयोजन के लिए ६६ लाख रुपए के एक अनुदान का आश्वासन दिया गया था, क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकी ?

श्री हाथी : लगभग ६० लाख का प्रावधान है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार इस सदन को यह आश्वासन देने को तैयार है कि यह परियोजना पूरे विस्तृत परियोजना प्राक्कलन की प्राप्ति के पूर्व कदापि नहीं शुरू की जायेगी ?

श्री हाथी : अवश्य ; परियोजना तब तक नहीं शुरू की जायेगी जब तक कि सरकार को उस परियोजना के पूर्ण तथ्य नहीं ज्ञात हो जाते ।

श्री टी० एन० सिंह : मेरा तात्पर्य विस्तृत प्राक्कलन से है ।

श्री हाथी : जी हां, विस्तृत प्राक्कलन के तैयार होने से पूर्व ।

कोसी नियंत्रण योजना के लिए आर्थिक उत्तरदायित्व

* २१०६. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल सरकारों के बीच कोसी नियंत्रण योजना के आर्थिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कोई निर्णय हुआ है; और

(ख) उक्त योजना के आर्थिक उत्तरदायित्व का बिहार और भारत सरकारों द्वारा किस प्रकार हिस्सा बांट होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) भाग लेने वाली सरकारों के बीच आर्थिक उत्तरदायित्व के अभिभाजन के प्रश्न पर, परियोजना प्रतिवेदन तथा प्राक्कलन के तैयार हो जाने के बाद, संबंधित सरकारों के साथ बात चीत होगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोसी नियंत्रण योजना पर अब तक जो धन राशि व्यय की गई है उसमें बिहार सरकार का भी कोई अंश है, और यदि है तो उसकी प्रतिशतता क्या है ।

श्री हाथी : पचास प्रतिशत हिस्सा बिहार सरकार द्वारा बांटा जा रहा है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पंचवर्षीय योजना में कोसी सहित पांच नई परियोजनाओं के लिए रखी गई ४० करोड़ रुपए की राशि परियोजना अनुसार आधार पर वितरित कर दी गई है ; यदि कर दी गई है तो कोसी का कितना हिस्सा है ?

श्री हाथी : वह राशि अभी तक वितरित नहीं हुई है ।

श्री दाभी : श्रीमान्, नेपाल इसमें किस प्रकार आता है ।

श्री हाथी : क्यों कि इस योजना से उसको भी लाभ पहुंचने वाला है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं वह अभिकरण जान सकता हूं जिसके द्वारा कोसी नियंत्रण योजना का वर्तमान व्यय नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित किया जाता है ?

श्री हाथी : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई तथा नौपरिवहन आयोग के एक उच्च पदाधिकारी ने नेपाल का, उस राज्य के आर्थिक उत्तरदायित्व के संबंध में, यात्रा की थी, और यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि उसने किस प्रकार की बात चीत की थी ?

श्री हाथी : जी नहीं, आर्थिक उत्तरदायित्वों के अभिभाजन के प्रयोजन के लिए नहीं ।

चाय का निर्यात

* २११०. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के अन्तर्गत, भारत द्वारा निर्यात करने के लिए कोई कोटा निश्चित किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वह मात्रा क्या है ?

(ग) क्या भारत द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में भी वही मात्रा निर्यात की जायगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) । अन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति ने अनियम की संख्या निश्चित कर दी है अर्थात् उन देशों द्वारा अनुमति योग्य निर्यात की जाने वाली चाय की मात्रा १९५३-५४ में निर्यात होने वाले परिमाण की १३५ प्रतिशत है ।

(ग) यह बड़ी अनहोनी बात है कि विशेषकर हमारा निर्यात सबसे अच्छे वर्षों में भी उस सीमा तक न पहुंचा सका ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान क्या मैं इस निर्यात की जाने वाली चाय की प्रस्तावित मात्रा जान सकता हूं, क्या यह मात्रा उस मात्रा के बराबर होने वाली है जो अन्तर्राष्ट्रीय चाय मण्डल द्वारा निश्चित की गई है ?

श्री करमरकर : हम जीतनी भी अधिक से अधिक मात्रा सम्भव हो सकेगी निर्यात करना पसन्द करेंगे, किन्तु जैसा कि मैं पहले बता चेका हूं कि सबसे अच्छे वर्षों में भी हम उच्चतम निर्यात मात्रा तक न पहुंच सके यानी निर्यात किये जाने वाले परिमाम की १३५ प्रतिशत ।

श्री रघुरामैय्या: क्या मैं जान सकता हूं कि इस करार के अन्तर्गत निर्यात करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान है ?

श्री करमरकर : मेरे पास आंकड़े हैं। किन्तु अपना स्थान जानने के संबंध में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। १९५१-५२ में अनुमति योग्य निर्यात कोटा ४७०,०००,००० पाउन्ड था, किन्तु हमारा वास्तविक निर्यात ४२५,०००,००० पाउन्ड था । वर्ष १९५२-५३ में अनुमति योग्य निर्यात कोटा ४७०,०००,००० पाउन्ड था किन्तु वास्तिविक निर्यात केवल ३०,५२५,०००,००० पाउन्ड ही था ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि डालर क्षेत्रों में जैसे अमरीका में सीधे चाय निर्यात करने के संबंध में अब तक कितनी उन्नति हुई है ।

श्री करमरकर: आपका तात्पर्य डालर क्षेत्रों में निर्यात की मात्रा से है ?

श्री टी० के० चौधरी : हां ।

श्री करमरकर में पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री एन० एम० लिंगम: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि वर्ष १९५३-५४ के लिये अनुमति योग्य चाय के निर्यात में उत्पादकों ने ५०,०००,००० पाउन्ड चाय की स्वेच्छापूर्वक कटौती को स्वीकार कर लिया है ?

श्री करमरकर : विचार बाजार को विस्तृत बनाने की दृष्टि से कुल निर्यात में से कुछ कमी करने का था, किन्तु संक्षेप में स्थिति जानने के सम्बन्ध में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री ए० एम० टामस: क्या मैं माननीय मंत्री द्वारा निर्देश किये गये तथा समिति द्वारा निश्चित कोटे के अतिरिक्त पूछ सकता हूं कि क्या पिछले वर्षों में भाग लेने वाले देशों के बीच प्रत्येक देश से निर्यात किये जाने वाले कोटे के संबंध में कोई करार हुआ करता था ?

श्री करमरकर: हां श्रीमान्, जो कोटा मैंने बताया वह स्वीकृत कोटा था जिस पर उनकी राय ली जा चुकी थी । हाल की एक सभा म इस पर विवाद हुआ था और यद्यपि हमने इस पर जोर डाला कि कोटा कम भी हो सकता है, (लगभग ११५ प्रतिशत) और अन्त में अधिक देशों ने १३५ प्रतिशत तय किया । यदि हम उनसे विभिन्न मत रखते तो कोई भी निर्णय नहीं हो पाता, तो वह दशा हम लोगों के अधिक अनुकूल होती । इसके अनुसार प्रत्येक देश जितना भी चाहता निर्यात कर सकता था : अतः हमने १३५ प्रतिशत पर स्वीकार कर लिया ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि हमारी सरकार ने इतने कम कोटे के लिये मांग क्यों की ?

श्री करमरकर : क्योंकि उनके लिये अधिक कोटा लाभदायक था और हमारे लिये कम ।

तम्बाकू का आयात

*२१११. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अप्रैल, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १६०४ के दिए गए खंड (ख) के उत्तर को निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतलायेंगे :

(क) १९५१-५२ में आयात की गई बनी हुई तम्बाकू की मात्रा एवं मूल्य, और

(ख) वे देश जिनसे यह आयात की गई थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६०**].

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान, कि अमरीका तथा अन्य देशों से निर्यात की जाने वाली बनी हुई तम्बाकू भारत द्वारा निर्यात की गई कच्ची तम्बाकू के अतिरिक्त दूसरी कोई तम्बाकू है ?

श्री करमरकर : मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिये किन्तु मैं इसकी सत्यता का पता लगाऊंगा ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि हमको किन परिस्थितियोंवश मजबूर होकर अमरीका से तम्बाकू आयात करनी पड़ी थी ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न में कुछ कल्पना है । हम लोग किसी भी देश से कोई भी वस्तु आयात करने के लिये मजबूर नहीं हैं । किन्तु यह तो हम राष्ट्र के हित में आयात कर रहे हैं । यह एक विशेष प्रकार की तम्बाकू है जिसकी आवश्यकता इस देश में सिगार तथा सिगरेट के निर्माताओं को रहती है । यह हमारे उत्पादन तथा निर्यात की तुलना में बहुत छोटी मात्रा है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हम इस प्रकार की तम्बाकू भारत में नहीं बना सकते ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान्, यह एक विशेष प्रकार की तम्बाकू जो हम आयात कर रहे हैं इसका निर्माण हम अभी नहीं करते हैं । हम इस छोटी मात्रा में इसका आयात कर लेना लाभप्रद समझते हैं ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चालू वर्ष में भी कुछ तम्बाकू आयात की जाने वाली है ?

श्री करमरकर : मुझे ऐसा समझना चाहिये ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस आयात की जाने वाली बनी हुई तम्बाकू में सिगरेट बीड़ी आदि की तम्बाकू तथा चुरट की तम्बाकू भी सम्मिलित है, या यह केवल यहां सिगार तथा सिगरेट के निर्माण के लिये ही होती है ?

श्री करमरकर : अन्य तम्बाकू में मिलाने के काम के लिये भी – और कुछ बढ़िया तम्बाकू जिसके बारे में मेरे माननीय मित्र जानते हैं ।

आसाम में चाय के बाग

*२११२. **श्री संगण्णा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि आसाम में चाय की खेती कराने वाले योरोप निवासी पूर्वी अफ्रीका के चाय के बागों में अपनी सम्पत्ति का व्ययवर्तन करने का विचार कर रहे हैं, भारत के चाय के बागों को अन्ततः छोड़ने की दृष्टि से ?

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार भारतीय चाय उद्योग के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से क्या कार्यवाहियां करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को भारत के किसी भाग से ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं ?

श्री करमरकर : मुझे कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई कि जिससे उनके पूर्वी अफ्रीका चले जाने की बात जान पड़ी हो ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि उनमें से कुछ पहले ही से कीनिया और न्यासलैण्ड को चले गए हैं ?

श्री करमरकर : मैं ने कहा कि हमको सूचना नहीं है ।

हीराकुड योजना पर विधान सभा के सदस्यों का प्रतिवेदन

*२११३. **श्री गिडवानी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है, जो उड़ीसा राज्य की विधान सभा के २३ सदस्यों द्वारा प्रेषित किया गया है, जो हाल ही में हीराकुड योजना देखने गए थे और जो प्रतिवेदन २४ अप्रैल, १९५३ के "टाइम्स ऑफ इंडिया" के दिल्ली संस्करण में पृष्ट ५ पर प्रकाशित हुआ था ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि योजना के कार्य में अत्यधिक रुकावट आ गई हैं क्योंकि जैसा कि उपर्युक्त प्रतिवेदन में कहा गया है कि ५० बहुमूल्य मशीनें मामूली मरम्मत न होने के कारण बेकार पड़ी हुई हैं ;

(ग) क्या काम देने वाले अत्यधिक संख्या में औज़ार तथा सामान टूट-फूट गया है, जैसा कि उन लोगों द्वारा बताया गया हैं; और

(घ) क्या सदस्यों ने मामले की भली प्रकार जांच पड़ताल के लिये कहा है ?

सिंवाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : सरकार ने "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" में प्रकाशित समाचार देखा है किन्तु उसको इस प्रतिवेदन में निर्देश किये जाने के विषय का ज्ञान नहीं है । पता लगा है कि यह प्रतिवेदन उड़ीसा के चीफ इन्जीनियर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था ।

(ख) ३२ मशीनें वर्तमान में खेलों से बाहर हैं जिनमें से केवल १२ लगभग एक वर्ष से बेकार रही हैं । इन मशीनों की खराबी ३० प्रतिशत है जो आदर्श स्थितियों में जैसा होना चाहिये उससे भी कुछ अधिक ही है । इस सीमा तक कार्य पर प्रभाव पड़ा है । सब से प्रमुख कठिनाई है इन विशिष्ट मशीनों के लिये अतिरिक्त पुर्जे प्राप्त करना शीघ्र ही पूर्ति के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) सरकार को इस सिफारिश की सूचना नहीं है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार ने इस मामले के तथ्य के संबंध में उड़ीसा की सरकार से कोई पूछ-ताछ की है ?

श्री हाथी : हां, हमने इस संबन्ध में उड़ीसा के मुख्य मंत्री के नाम एक पत्र भेजा है ।

श्री गिडवानी : उनका उत्तर क्या आया है ?

श्री हाथी : अभी तक वह हमको प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि साधारणत: आशा से अधिक कुछ मशीनों के पुर्जों में तोड़ फोड़ हुई है ?

श्री हाथी : काम न करने वाली सभी मशीनों के संबंध में ऐसी बात नहीं है, किन्तु कुछ मशीनों में ऐसा हुआ है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह तथ्य है कि सरकार अथवा अधिकारी जो इन मशीनों के अतिरिक्त पुर्जों का आयात किया करते थे विमान से भी कुछ पुर्जे मंगाने पड़े इस कारण कि मशीनें बेकार पड़ी हुई थीं ?

श्री हाथी : क्योंकि काम में नुकसान हो रहा था अत: कुछ पुर्जे विमान से भी मंगवाने पड़े थे ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार उस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि मंगाने की कृपा करेगी जो उड़ीसा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मुख्य मंत्री के पास प्रेषित की

गई थी, और क्या उसे सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हाथी : हम उड़ीसा के मुख्य मंत्री को लिखेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि प्राप्त कर लेंगे ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि ये मशीनें कब आयात की गई थीं और आयात किये जाने के कितने समय बाद वे खराब हुई तथा बेकार पड़ी हुई हैं ?

श्री हाथी : मेरे पास इसकी विषद सूचना है कि कितने समय से प्रत्येक मशीनें बेकार पड़ी हुई है । कुल ३२ मशीनें हैं । प्रत्येक मशीन का पूरा इतिहास बताने में काफी समय लगेगा । मैं माननीय सदस्य को आवश्यक सूचना देने के लिये तैयार हूं ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं ने यह पूछा था कि कब से और उनके आयात किये जाने के कितने समय बाद से बेकार पड़ी हुई हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : ३२ मशीनें हैं, उनमें से सभी एक साथ बेकार नहीं पड़ी हुई हैं । प्रत्येक किसी समय विशेष से खराब हुई होंगी । वह उन्हें विवरण पढ़ते ही पता चल जाना चाहिये था ?

श्री के० के० बसु : क्या मन्त्री महोदय हमें उन मशीनों की संख्या के संबंध में सूचना देंगे जो कभी बिल्कुल चली ही नहीं ?

श्री हाथी : वे चलती रही हैं ; ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम ही न दिया हो ।

श्री आल्तेकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जब वे भारत आई थीं तो उनकी जांच की गई थी कि वे चलती हैं अथवा नहीं ?

श्री हाथी : वे ठीक हालत में थीं और कार्य करती रही हैं । उनमें से कुछ बेकार पड़ी हुई हैं क्योंकि विशिष्ट मशीनों के टायर तथा कुछ अन्य अतिरिक्त पुर्जे यहां उपलब्ध नहीं हैं ;

श्री गिडवानी : इन मशीनों का कुल मूल्य क्या है ?

श्री हाथी : इन ३२ मशीनों का या कुल मशीनों का ?

श्री गिडवानी : सभी मशीनों का ।

श्री हाथी : मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि काफी अतिरिक्त पुर्जे (लगभग १० प्रतिशत) मशीनों के साथ आयात नहीं किये गये थे ?

श्री हाथी : कुछ अतिरिक्त पुर्जे आयात किये गए थे, किन्तु दुर्भाग्यवश वे पुर्जे जिनकी आवश्यकता है, वे उनमें नहीं हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह पूर्ति करने वालों के लिये आवश्यक नहीं कि उन्हें स्टाक में तैयार रखें या सरकार को अग्रिम ही भेज दिया करें, आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे कम से कम वे जो टूटने वाले हों ?

श्री हाथी : यही मैंने भी कहा । कुछ अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध हैं किन्तु जिनकी अब आवश्यकता है वे ये अतिरिक्त पुर्जे नहीं हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : यदि अतिरिक्त पुर्जों की पूर्ति सन्तोषजनक नहीं है अथवा समय के अन्दर होती है, तो सरकार उनके विषय में शिकायत करने या आवश्यक प्रत्यर्पण या हानियों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री हाथी : आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

सामूहिक परियोजना के कार्यों में भाग लेने वाले विद्यार्थी

*२११४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने ग्रीष्मावकाश के दिनों में विद्यार्थियों के सामूहिक परियोजना के कार्य में भाग लेने के लिये कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत सामूहिक परियोजना के कार्यों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को क्या क्या सुविधायें दी जायेंगी ; और

(ग) क्या ये सुविधायें सामाजिक या राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के किसी ऐसे वर्ग को भी दी जायेंगी जो कि सामूहिक परियोजना केन्द्रों में कार्य करने के लिये अपनी सेवायें अर्पित करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) योजना में इस प्रयोजन के लिये एक उपबन्ध है किन्तु इस की योजनायें वस्तुतः सम्बद्ध संघटन तैयार करते हैं।

(ख) भोजन व्यय तथा अन्य आकस्मिक व्ययों के लिये सहायता अनुदान दिये जाते ह । जहां कहीं सम्भव होगा, स्थानीय यातायात के साधन तथा आवश्यक औजार, उपकरण तथा सामग्री भी दी जायेगी ।

(ग) नहीं, श्रीमान् । सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्त्ता भारत सेवक समाज तथा अन्य गैर राजनैतिक समाज हितकारी स्वयंसेवी संघटनों के द्वारा उपयोगी सेवा कर सकते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि आगामी ग्रीष्मावकास में कितने विद्यार्थी और अध्यापक सम्भवतः इस कार्य में भाग लेंगे ?

श्री हाथी : मैं यह नहीं बतला सकता कि कितने विद्यार्थियों के भाग लेने की संम्भावना है, किन्तु मैं यह बतला सकता हूं कि १६०० विद्यार्थी वस्तुतः आज कल इस में भाग ले रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इन १६०० विद्यार्थियों के भोजन तथा निवास का व्यय भारत सरकार उठा रही है ?

श्री हाथी : सारा व्यय भारत सरकार नहीं उठा रही है, किन्तु एक अधिकतम सीमा निश्चत कर दी गई है जिस से कि इस व्यय का कुछ अंश पूरा कर दिया जायेगा और यह अधिकतम सीमा बारह आने प्रति विद्यार्थी है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : विद्यार्थियों को अनुदान कौन देता है परियोजना पदाधिकारी या सीधे भारत सरकार ?

श्री हाथी : इस समय तो योजना आयोग देता है । वह इन योजनाओं के लिये जिन से कि उसका सीधा सम्बन्ध है देता है।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या इस विषय में महिला समाजों की सहायता ली जाती है और यदि हां, तो उन की ओर से कैसा उत्साह प्रदर्शित किया गया है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न तो केवल विद्यार्थियों के शिविरों के सम्बन्ध में है ।

श्रीमती ए० काले : क्या छात्रायें इस में भाग ले सकती हैं ?

श्री हाथी : जी हां, छात्रायें भाग ले सकती हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या विद्यार्थियों का इस में भाग लेना देश में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा करने के लिये प्रतीक मात्र है अथवा क्या यह देश के सामूहिक परियोजना प्रशासन का एक अंश है, यदि यह प्रशासन का अंश है, तो विद्यार्थियों को पूरा करने के लिये कौन कौन से कार्य विशेष रूप से दिये गये हैं ?

श्री हाथी : यह सामूहिक परियोजनाओं का अंश नहीं है। यह भी एक कार्यक्रम है। परन्तु यह वास्तव में विद्यार्थियों में श्रम के प्रति सम्मान पैदा करने के लिये बनाया गया है।

श्री के० जी० देशमुख : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि ये योजनायें वस्तुतः स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य के स्थानीय अधिकारियों से इस प्रकार की योजनायें तैयार करने की प्रार्थना की है ?

श्री हाथी : यह स्थानीय अधिकारियों का काम नहीं है। इन योजनाओं को विद्यार्थियों के संघटन ही तैयार करते हैं। वे इन्हें तैयार करके योजना आयोग को भेज सकते हैं।

श्री सारंग धर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय छात्र सेनादल के विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली में कुछ कार्य करने तथा उसे लोगों पर थोपे जाने के सम्बन्ध में, जिस में कि लोगों ने कोई भाग नहीं लिया, स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है ?

श्री हाथी : श्रीमान, मैं प्रश्न को समझ नहीं सका।

श्री सारंगधर दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नहरों या नालियों को साफ करने की योजना में लोगों ने स्वेच्छा से भाग नहीं लिया था और बाद में जब राष्ट्रीय छात्र सेना दल के विद्यार्थी वहां से चले आये तो लोगों ने उस काम को पूरा नहीं किया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : क्या माननीय सदस्य राष्ट्रीय छात्र सेना दल का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री सारंगधर दास : जी हां।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सब से पहिली बात तो यह है कि इस का मेरे सहयोगी के सामूहिक केन्द्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक बिल्कुल अलग और भिन्न चीज है। राष्ट्रीय छात्र सेना दल का सदा की तरह एक शिविर लगता है और उस में ये श्रमिक कार्य करते हैं। इस वर्ष इनका यह शिविर दिल्ली से अठारह मील दूर लगा है। इस में सारे भारत के लोग आये हैं और वे नहर की सफाई कर रहे हैं और यह काम बड़े ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या इन योजनाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को कोई जेब खर्च भी दिया जाता है ?

श्री हाथी : कोई जेब खर्च नहीं दिया जाता।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्रीजी ने बतलाया कि प्रति व्यक्ति बारह आने की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है और कुछ अन्य व्यय भी हो सकता है। मैं जान सकता हूं कि क्या जो स्थानीय श्रम प्राप्त होता है उस पर बारह आने से अधिक व्यय होता है या कम होता है ?

श्री हाथी : यह स्थानीय श्रमिकों तथा विद्यार्थियों द्वारा किये गये काम की तुलना का प्रश्न नहीं है। यह तो विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम की भावना भरने का प्रश्न है। वे शारीरिक श्रम करते हैं। और सायंकाल को प्रौढ़ शिक्षा या इसी प्रकार की अन्य चीजें करते हैं। यह अधिक सस्ती होंगी या वह अधिक सस्ती होंगी यहां इस बात का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो केवल विद्यार्थियों में एक भावना भरने का प्रश्न है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को उन कतिपय अभिकरणों का पता है जो कि विद्यार्थियों को सामूहिक कार्यों मे भाग लेने से रोक रहे हैं और यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

श्री हाथी : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, किन्तु यदि माननीय सदस्य मुझे ऐसी कोई सूचना देंगे तो मैं बड़ी प्रसन्नता से उसे ग्रहण करूंगा ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि इन विद्यार्थियों को कौन से अधिकारी भर्ती करते हैं और इन्कार करने की अवस्था में वे किस से अपील कर सकते हैं ?

श्री हाथी : इस में अनिवार्य रूप से भर्ती करने का कोई प्रश्न नहीं है । वे तो इस प्रयोजन के लिये स्वेच्छा से अपनी सेवायें प्रस्तुत करते हैं ।

श्री नानादास : इन्कार करने पर वे किस से अपील कर सकते हैं ?

श्री हाथी : यदि विद्यार्थी संगठन करें तो इस काम को वह संगठन करेगा । यह कोई योजना आयोग के पास इस प्रयोजन के लिये एक एक विद्यार्थी के जाने का प्रश्न नहीं है ।

श्री हेडा : क्या यह सत्य नहीं है कि विद्यार्थी शारीरिक श्रम करने के अतिरिक्त पास-पड़ौस के गांवों में कुछ सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावलोकन का कार्य और रात्रिमें प्रौढ़ शिक्षा का कार्य तथा सफाई व अन्य प्रकार के तरीकों के प्रचार का कार्य भी करते हैं ?

श्री हाथी : मैं ने भी तो यही कहा था ।

टिन प्लेट का आयात

*२११६. **श्री एन० आर० नायडू :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रद्दी तथा उत्तम प्रकार के टिनप्लेट के आयात के लिये जनवरी से जून, १९५३ तक की आयात की अवधि में आयात अनुज्ञप्ति दी गई थी ?

(ख) यदि हां, तो यह अनुज्ञप्ति किस आधार पर दी गई थी ?

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि इस देश में स्वदेशी टिनप्लेट बहुत हो गई है ?

(घ) टिनप्लेट के इस प्रकार से इकट्ठा होने को रोकने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं या उस का उठाने का विचार है ?

(ङ) क्या सरकार को इस विषय में कोई सूचना मिली है कि भारत में टिनप्लेट का उत्पादन करने वाली एकमात्र कम्पनी टिनप्लेट कम्पनी आफ इंडिया इस के उत्पादन को कम करने वाली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विगत वर्षों के समान उदारता से अनुज्ञप्तियां दी गई थीं ।

(ग) टिनप्लेट कम्पनी आफ इंडिया के भण्डार से तथा नियंत्रित भांडागारिका के भण्डारों से बिक्री तेजी से नहीं होती किन्तु इस से यह नहीं समझा जा सकता कि यह बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो गई है ।

(घ) सरकार को केन्द्रीय सूची में इस्पात बनाने वाले कारखानों के आवंटन में वृद्धि करने के अतिरिक्त और कोई विशेष पग उठाने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया ।

आयातों के लिये अनुज्ञप्तियां देना स्थागित कर दिया गया है।

(ङ) जहां तक सरकार को विदित है, उन का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री एन० आर० नायडू : मैं जान सकता हूं कि इस में से कितनी टिनप्लेट विदेशी सार्थों को दी जाती है और कितनी भारतीय सार्थों को दी जाती है ?

श्री करमरकर : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को धातु के सन्दूक बनाने वाले भारतीय निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि सरकार की इस नीति के कारण उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इस विषय में मुख्यतया विदेशी सार्थों की स्थिति बहुत अच्छी है ?

श्री करमरकर : मुझे इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त होने का ज्ञान नहीं है, किन्तु मैं इस का पता लगाऊंगा।

श्री वैलायुधन : भारत में टिनप्लेट का कुल वार्षिक उत्पादन कितना होता है और इस का कितना आयात करने दिया जाता है ?

श्री करमरकर : अनुमानित वार्षिक मांग लगभग १००,००० टन की है। स्वदेशी उत्पादन अनुमानतः ६८,००० टन होता है और १९५१-५२ में २८,६०३ टन तथा १९५२-५३ में १०,४२३ टन के आयात की अनुमति दी गई थी।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि इस का भण्डार कैसे इकट्ठा हो गया है ?

श्री करमरकर : यह भण्डार कोई बहुत भयानक नहीं है। हमें ज्ञात हुआ है कि टिनप्लेट कम्पनी के पास सामान्यतया ४,००० टन का भण्डार होता था और इस समय उन के पास ५,५०० टन का भण्डार है अर्थात् १,५०० टन अधिक है। कम बिक्री के ये मुख्य कारण प्रतीत होते हैं :

(१) कि तेल कम्पनियों ने जो कि हर तिमाही में ८ से ११ हजार टन तक लेती थी कुछ बड़े परिमाण में पैकिंग करने के कारण तथा कुछ बहुत अधिक भण्डार के कारण अपनी मांग को घटा कर २ हजार टन कर दिया है और

(२) सामान्य आर्थिक मन्दी ;

श्री एन० आर० नायडू : क्या यह सत्य है कि टिनप्लेट के अभ्यंश का ७५ प्रतिशत भाग मैटल बॉक्स कम्पनी को दिया जा रहा है और केवल २५ प्रतिशत १६८ भारतीय सार्थों को दिया जाता है ?

श्री करमरकर : इस के लिये एक अलग से प्रश्न पूछा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है ?

श्री करमरकर : यह कल्पना में उत्पन्न होता है।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह रद्दी टिन का आयात पुरानी नीति को बदल कर किया जा रहा है जिस से कि नई समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं अथवा इस विषय में पुरानी नीति का ही अनुसरण किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : जी हां। इस विषय में पुरानी नीति का ही अनुसरण किया जा रहा है जो कि बड़ी सुदृढ़ है।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि अभ्यंश के बारे में ये सब शिकायतें क्यों आती हैं ?

श्री करमरकर : मैं ने जो दो कारण बतलाये हैं उन्हीं के कारण भण्डार एकत्रित हो गये हैं। आशा है कि आगामी

तिमाही में इस की मांग बढ़ जायेगी और हम भी अपनी आयात नीति को इस प्रकार से विनियमित कर लेंगे जिस से कि स्थानीय निर्माताओं को लाभ होगा । इस में कोई भयानक कठिनाई नहीं है । इस समय तो भण्डार में केवल १,५०० टन की ही वृद्धि हुई है ।

स्फटात्मक शुल्बारि (क्रिस्टल सलफर) पर नियंत्रण

*२११७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या क्रिस्टल सलफर अथवा "अम्लसार" पर सब नियंत्रणों को समाप्त करने का आग्रह लेकर आयर्वेदिक औषधियों के निर्माताओं का कोई प्रतिनिधि मण्डल भारत सरकार से मिला है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि सलफर की उक्त किस्म एलोपैथिक औषधियों अथवा औद्योगिक कार्य या युद्ध सामग्री में प्रयुक्त नहीं किया जाता है ; और

(ग) सरकार ने उक्त प्रतिनिधिमण्डल को क्या उत्तर दिया है अथवा देने का विचार

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सरकार के पास सूचना नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार को यह मालूम है कि पंजाब सरकार ने दिनांक १० मार्च, १९४२ की अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि केन्द्रीय सरकार के आदेश पर ही उक्त प्रतिबंद्ध लगाये गये हैं ?

श्री करमरकर : हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया गया है । यदि माननीय सदस्य उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति मुझे दें तो मैं उनका आभारी रहूंगा ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : यदि यह विषय मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तो क्या वह उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ?

श्री करमरकर : तुरन्त और शीघ्रतापूर्वक ।

श्री रघुरामय्या : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सलफर पर कोई नियंत्रण है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, जहां तक हमें मालूम है इस पर नियंत्रण नहीं है ।

नल कूप की सामग्री

*२११८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में निर्मित होने वाले नलकूप उपकरण अर्थात बिजली की मोटर, पम्पस् तथा अन्य सहायक वस्तुओं की तादाद और किस्म ;

(ख) वह स्थान जहां इनका निर्माण किया जाता है ;

(ग) इस उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा विकास करन के लिये सरकार क्या कर रही है ;

(घ) भारत में नलकूप स्थापित करने के सम्बंध में जिन विदेशी उद्योगों को ठेका दिया गया है क्या उनके करार में इस आशय की कोई शर्त रखी गई है कि विदेशों द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री का आयात करने के पूर्व वे पहले भारत में निर्मित सामग्री का ही उपयोग करेंगे ; और

(ङ) क्या यह सच है कि अमृतसर के केन्द्रीय वर्कशाप ने देश के विभाजन के पूर्व १,८०० पूर्ण नलकूपों का निर्माण किया

था ; इन नलकूपों को पंजाब सरकार के पास भेजा गया था और उनका परिणाम अत्यंत संतोषजनक सिद्ध हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कदाचित मात्रा से माननाय सदस्य का अभिप्राय उत्पादन के आंकड़ों से है । यदि यह बात है तो सन् १९५२ में पम्पों और पम्पों के उपयुक्त बिजली की मोटरों का उत्पादन क्रमशः ३२,०५१ और २०७ था । इन मशीनों की किस्म सन्तोषजनक बतलाई गई है ।

(ख) सदन पटल पर विवरण पत्र अस्तुत कर दिया गया है । **[देखो परिशिष्ट ११, अनुबंध सं० ६१]**.

(ग) सावयव भागों, पूंजीगत उपकरण और देश में अनुपलब्ध कच्चे माल के लिये अनुमतिपत्र जारी करने और देशी कच्चे माल की युक्ति के रूप में सहायता दी जा रही है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सरकार के पास सूचना नहीं है ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमने १९५२ में नलकूप उपकरण का आयात किया है ?

श्री करमरकर : यह सम्भव है किन्तु जुलाई-दिसम्बर १९५२ में आयात मात्रा शून्य रही है ।

श्री वीरस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि मद्रास राज्य में किन-किन स्थानों पर कितने नलकूप खोदे गये हैं, और क्या वे सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं ?

श्री करमरकर : माननीय सदस्य मद्रास राज्य में नलकूपों की संख्या जानना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल इसलिये कि कोई बात नलकूपों से सम्बंधित है, हम इस तरह प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्री वैलायुधन : प्रश्न के (अ) भाग के उत्तर से उत्पन्न, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केन्द्रीय वर्कशाप, अमृतसर में नलकूप निर्माण कर रही है ?

श्री करमरकर : इस समय सूचना प्राप्त नहीं है किन्तु यदि माननीय सदस्य की इच्छा हो तो हम इसे उपलब्ध करा देंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के करारों में सरकार देशी सामग्री के उपयोग के आग्रह की वान्छनीयता पर विचार क्यों नहीं करती है ?

श्री करमरकर : अनेक करारों में हम इस तरह का आग्रह करते हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सामुदायिक योजनाओं के लिये उक्त उपकरणों के बाहर से आयात करने की आवश्यकता है ?

श्री करमरकर : इसकी आवश्यकता नहीं है । जब कभी यह नितान्त आवश्यक होता है हम विदेशों से आयात करने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

श्री बंसल : माननीय मंत्री जी ने अभी अभी सदन में सूचना दी है कि कुछ करारों में सरकार इस बात का आग्रह करती है कि विदेशियों को भारत में निर्मित सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि किन किन करारों में यह शर्त रखी गई है ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न के उत्तर के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । मैं यह व्यक्त कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता

देने का प्रयत्न कर रही है जब तक उनकी कीमतें उचित हों तथा करार में उल्लिखित व्यय में डालर और रुपैये के भाग में समुचित निर्वाह किया जाय ।

श्री बंसल : माननीय मंत्री जी के सूचनार्थ मैं यह कह सकता हूं कि एसोसिएटेड ट्यूब वेल्स लिमिटेड के सम्बंध में यह शर्त नहीं रखी गई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री नहीं हैं ।

श्री नानादास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो समवाय नलकूप खुदवा रही है क्या वह नलकूप पम्पों के लिये आवश्यक सामग्री का उत्पादन भी कर रही है ?

श्री करमरकर : मुझे सूर्व सूचना चाहिये।

हज यात्रा

*२१२०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कितने हज यात्री भारत से मक्का गये थे ;

(ख) इस वर्ष रमजान शरीफ के पहले तथा बाद में हज यात्रियों के जाने का प्रबन्ध किया गया है या नहीं ;

(ग) क्या समाचारपत्रों में छपी यह खबर ठीक है कि रमजान शरीफ़ के पहले हज यात्रियों के जाने का प्रबन्ध इस वर्ष नहीं किया गया है ;

(घ) यदि नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ७,७९१ यात्री ।

(ख) इस वर्ष रमज़ान की अनुवर्ती अवधि के लिये बम्बई और जेदा के बीच नियमित यात्री जहाज़ों की व्यवस्था की गई है ।

भारत और हेजाज के बीच यात्रियों को लाने ले जाने के लिये संलग्न एकमात्र पोत समवाय दी मुग़ल लाइन लिमिटेड के अनुसार इस वर्ष रमज़ान के पूर्व यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या इतनी कम थी कि इस कार्य के लिये एक यात्री जहाज़ का रक्षण कठिन था। अतः उन्होंने भारत और विदेशों में इस आशय का विज्ञापन प्रकाशित करा दिया कि इस वर्ष रमज़ान के पूर्व की यात्रा नहीं होगी : बम्बई की पोर्ट हज समिति ने भी इस सम्वाद को प्रकाशित किया था। उक्त पूर्वसूचना देने पर भी लगभग १४५ विदेशी यात्री और ११८ भारतीय यात्री इस धूमिल आशा में बम्बई पहुंचे कि ईद के पहले उनको हेजाज पहुंचाने के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था की जा सके। भारत सरकार के हस्तक्षेप करने पर दी मुग़ल लाइन लिमिटेड इन सब यात्रियों को बिना सीटों के एक साधारण यात्री जहाज़, एस० एस० अलावी पर ले जाने के लिये सहमत हो गई। यह जहाज १० मई को जेदा के लिये रवाना हुआ। विदेशी यात्री पारपत्रों की सहायता से और भारतीय यात्रियों ने यात्री पत्रों की अनुमति से यह यात्रा की थी ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि इस वर्ष कितने हज यात्रियों के वहां जाने की सम्भावना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन पिछले साल में जो गये, उनकी तादाद में आपको बता सकता हूं, आमतौर से कोई ग्यारह हज़ार से चौहद हज़ार तक जाते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि रमज़ान के पहले न जाने की बात अख़बारों में शाया नहीं हुई थी, इसलिए बहुत से हजयात्री बम्बई गये और वहां से निराश हो कर वापिस चले आये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: सरकार को मालूम है, नवम्बर तक बतला दिया कि कितने हज यात्रा पर गये और उसके अलावा मैं क्या बताऊं ?

श्री रघुनाथ सिंह : अखबारों में यह चीज़ शाया नहीं की गई कि इस साल रमज़ान में हज यात्रा नहीं होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: आप कह सकते हैं कि यह खबर काफ़ी तौर पर शाय नहीं हुई, अब यह अन्दाज़ा करना कि काफ़ी पबलिसिटी हुई कि नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता।

श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक हमें मालूम है, यू० पी० के किसी अखबार में यह खबर शाया नहीं हुई और इस कारण यू० पी० के अधिकतर आदमी बम्बई गये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मेरा ख्याल है कि यू० पी० के साथ यह नाइंसाफ़ी अक्सर होती है।

पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में चलचित्र

*२१२१. **श्री यू० एस० दूबे** : (क) **क्या सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ग्रामीण जनता को पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं से परिचिति प्राप्त कराने की दृष्टि से तथा योजना को कार्यान्वित करने में उनका उत्साहवर्द्धन करने के लिये देहातों में चलचित्र प्रदर्शन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

(ख) इस तरह की कितनी टुकड़ियां भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यसंलग्न हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) चलचित्र विभाग द्वारा निर्मित चलचित्र लगभग ८५० चलते फिरते ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वाले सिनेमाघरों और सिनेमा की मशीन से युक्त २३० चलती फिरती मोटरगाड़ियों में प्रदर्शित किये जा रहे हैं। इन गाड़ियों का व्यय भार विभिन्न राज्यों द्वारा किया जा रहा है। सामुदायिक योजना क्षेत्रों में चलचित्र प्रदर्शन करने के लिये २० गाड़ियों की और व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय चाय का प्रचार

*२०८६. **श्री पी० टी० चाको** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार समस्त विदेशों में भारतीय चाय के प्रचारार्थ शीघ्र ही कोई प्रभावशाली व्यवस्था स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): महत्वपूर्ण चाय उपभोक्ता देशों में अन्य चाय उत्पादन कर्ता देशों के सहयोग से प्रचार आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

हाथ के बने कागज़ का उद्योग

*२०८८. **श्री के० सुब्रह्मण्यम**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूना के हाथ से कागज़ बनाने के अनुसन्धान केन्द्र को केले के तने से क्राफ्ट क़ागज़ बनाने में सफलता मिली है ?

(ख) यदि उपर्युक्त (क) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या इस पद्धति का एकस्व अधिकार प्राप्त किया गया है ?

(ग) क्या यह सच है कि इस पद्धति के लोकप्रिय हो जाने की अवस्था में भारत क़ागज़ के विषय में न केवल आत्मभरित हो जायेगा किन्तु बहुत से व्यक्तियों को काम भी उपलब्ध किया जा सकेगा ?

(घ) क्या यह सच है कि उत्पादन कार्य के प्रारम्भिक प्रसाधन में ५,००० रु० से अधिक नहीं लगता है ?

(ङ) क्या सरकार इस पद्धति को अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । अनुसन्धान केन्द्र ने केले के तने और पटसन के गुदे से क्राफ्ट क़ाग़ज़ तैयार किया है ।

(ख) अभी हीं ।

(ग) इस पद्धति के लोकप्रिय हो जाने पर निश्चित है कि कुछ व्यक्तियों को काम मिल सकेगा । किन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या उक्त केन्द्र देश में क्राफ्ट क़ाग़ज़ की समस्त मांग पूरी कर सकेगा ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) यह पद्धति बम्बई सरकार द्वारा बेलगाम ज़िले के सामुदायिक योजना क्षेत्र के कोन्नूर में परीक्षित की जा रही है । इस प्रयोग का परिणाम उपलब्ध होने के पश्चात् इसे अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के प्रश्न में विचार किया जायेगा ।

मलाया में भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातक

*२०९०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मलाया के शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों की ओर भेदपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है ;

(ख) क्या भारतीय स्नातकों के किसी संघटन द्वारा सरकार का ध्यान इस दिशा म आकर्षित किया गया है ;

(ग) क्या मलाया स्थित भारत सरकार के प्रतिनिधि ने मलाया की सरकार से इस विषय में बातचीत की है ; और

(घ) यदि ऐसा किया गया है तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) मलाया सरकार का शिक्षा विभाग स्नातक अध्यापकों को स्नातक भत्ते अथवा उच्च प्रारम्भिक वेतन देने की दृष्टि से भारतीय विश्वविद्यालय की डिग्रियों को मानयता प्रदान नहीं करती है । भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों के साथ इसी सीमा तक भेदभाव किया जाता है । किन्तु आवश्यकता होने पर उक्त विभाग ने भारतीय स्नातकों को उच्च वेतन पर भरती किया है ।

(ख) जी , नहीं । तो भी मलाया-स्थित हमारे प्रतिनिधि ने मलाया में प्रस्थापित भारतीय-स्नातक-संघ को आवश्यक बातों का संग्रह करने के लिये कहा है, ताकि वे योग्य अधिकारियों के पास मामले का अनुसरण कर सकें ।

(ग) तथा (घ). जी, हां । हमारे प्रतिनिधि ने पीछे मलाया के स्थानीय अधिकारियों के पास इस मामले को उठाया था, परन्तु सफलता नहीं हुई । तब मामला अन्तर-विश्वविद्यालय-मण्डल के द्वारा उठाया गया, परन्तु अधिक उन्नति नहीं हुई । हमारे प्रतिनिधि ने पुनः मलाया सरकार को लिखा है कि वे अपने शिक्षा विभाग द्वारा दूसरे विश्वविद्यालयों के समयोग्य स्नातकों के मुकाबिले में भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातकों की भरती और उच्च पदवी की उन्नति के लिये अपनी नीति का पता दें । उन्होंने अनियमित रूप में दक्षिण-पूर्व-एशिया के महायुक्त और मलाया संघ के उच्च आयुक्त का ध्यान भी इस मामले की ओर दिलाया है ।

प्रसारण आयोग

*२०७१. **श्री भीखाभाई** : (क) **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास प्रसारण आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो किस से ?

(ग) सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करना चाहती है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जी हां, अखिल भारतीय रेडियो-व्यापारी संघ से ।

(ग) सुझाव पर पहिले ही विचार किया जा चुका है, और इसे अस्वीकृति के योग्य पाया गया है ।

निर्यात व्यापार संघ

*२०९४. **श्री बंसल** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिये अतिरिक्त निर्यात-व्यापार-संघ स्थापित करना चाहती है ।

(ख) क्या ऐसी संघटना को चलाने के लिए निर्यात किए गये माल पर उगहर लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). पिछले दिसम्बर को निर्यात-परामर्श दात्री परिषद की हुई बैठक में ऐसा प्रस्ताव रखा गया था कि विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्यात बाजार के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई स्थायी संगठना होनी चाहिए । और तत्सम्बन्धित विशिष्ट उद्योग को खर्चा पूरा करने के लिये कुछ उपकार देना पड़ेगा । सरकार ने इस के सम्बन्ध मे सुझाव मंगवाये थे, परन्तु वे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री ई० एम० बी० घोष विरुद्ध पड़ताल

*२०९७. **श्री विट्ठल राव** : **क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या श्री ई० एम० बी० घोष, ए डिवीज़न के पूर्व इण्जीनियर, नई देहली के विरुद्ध आरोपित कदाचार दोषों की जांच पड़ताल की जा रही है ?

(ख) कि क्या ऊपर निर्दिष्ट अधिकारी को एक बार पहले भी पदच्युत किया गया था, और यदि यह ठीक है, तो किन दोषों के कारण ?

(ग) क्या यह ठीक है कि इस डिवीज़न में लेखा-पुस्तकें ठीक प्रकार से नहीं रखी जातीं ।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां, परन्तु कदाचार दोष के आरोपण पर नहीं ।

(ख) उसे किसी समय भी पदच्युत नहीं किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

कोयले का उद्बन्धन

*२०९८. **डा० हरि मोहन** : क्या **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि रेलवे की खानों के पहली और दूसरी श्रेणी के कोयले का उद्बन्धन उसी नियम से होता है, अर्थात् १९५२ के उत्पादन के आंकड़ों से ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): जी, हां ।

बर्मा सरकार द्वारा भर्ती किये गये डाक्टर और इञ्जीनीयर

*२१००. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बर्मा सरकार द्वारा अभी भर्ती किए गए भारतीय डाक्टरों और इञ्जीनीयरों

की शर्तों के बारे में हाल में की प्रैस की रिपोर्टें सरकार के ध्यान में ला दी गई हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार इन तथ्यों का पता लगाएगा, और इस मामले में विश्वस्त जानकारी प्राप्त करेगी ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) तथा (ख). सरकार के पास एक प्रैस रिपोर्ट आई है। और उसके पास दो प्रोफैसरों द्वारा अनुभूत कुछ कठिनाईयों के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बर्मा सरकार के अधीन काम करने वाले डाक्टरों में से किसी की कोई शिकायत नहीं आई। अभी कोई इण्जीनीयर बर्मा नहीं गया, क्यों कि उनकी सेवा की शर्तें अभी निर्णयात्मक रूप में निश्चित नहीं हुई हैं। सरकार ने अधिक बातों का पता लगाने की कार्यवाही की है।

भारतीय उद्देश्यों के लिए परिदर्शनालय

*२१०१. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारतीय उद्देश्यों और विदेश-स्थित दूतावासों के लिए एक परिदर्शनालय स्थापित करना चाहती है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो यह योजना कब कार्य रूप में आने वाली है ?

(ग) परिदर्शनालय में कुल कितने व्यक्ति होंगे और इस की वार्षिक लागत क्या होगी और इसके क्या कार्य होंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी आशा है कि योजना चालू वित्तीय वर्ष में कार्य रूप में आ जाएगी।

(ग) ऐसा विचार है कि प्रारम्भ में परिदर्शनालय में न्यूनतम आवश्यक निजी कर्मचारियों के साथ, दो उच्च अधिकारी रहेंगे। वार्षिक लागत का अनुमान १,५०,००० रुपये का है (एक लाख पचास हजार रुपये)। परिदर्शनालय का कार्य होगा कि वे उद्देशों के अध्यक्षों और दूसरे अधिकारियों को, सार्वभौम स्तर पर बाहर भारतीय उद्देशों के स्तर को उठाने की दृष्टि से, परामर्श दें, और उनका मार्ग-दर्शन करें। और उद्देशों में काम करने वाले अधिकारियों के व्यवहार और उपयुक्तता की रिपोर्ट करें, तथा सब प्रशासनीय मामलों की पड़ताल करें, अर्थात जिनका सम्बन्ध अनुशासन, वेतन, भत्ता, और सरकारी सम्पत्ति की खरीद, रक्षा और बदलने, तथा लेखा और वित्त से हो।

पुर्तगीज़ी आधित्य में भारतियों की गिरफ़्तारी

*२१०२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या कोई भारतीय भारत-स्थित पुर्तगीज़ी आधित्य के आधीन राजनीतिक कारणों से गिरफ़्तार किये हुए हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उनके पुनर्देशावर्तन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जहां तक भारत सरकार को पता है, गवा में राजनीतिक कारणों से केवल एक भारतीय श्री डी० ए० देशपाण्डे नजरबन्द हैं। उनको १९४९ में गवा के न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है, और २८ वर्ष की दण्ड-गुलामी की सजा दी गई है।

(ख) क्योंकि वह दण्ड भुगत रहा है, उसके पुनर्देशावर्तन का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय रसद उद्देश्य के लिए भवन

*२१०७. **श्रीमती शकुन्तला** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत रसद उद्देश, वाशिंगटन को स्थान देने के लिये,

सरकार की भवन निर्माण योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : वाशिंगटन में एक जगह खरीदी गई है। भारत-रसद उद्देश द्वारा उस स्थान पर दो मंज़ला भवन बनाने के लिये शर्तों समेत टेंडर मांगे गये हैं।

बाल-मनोरञ्जन चल-चित्र

*२१०८. **श्रीमती शकुन्तला** : **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में बाल मनोरण्जन के चलचित्रों के उत्पादन के प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : बच्चों के लिये विशेष चलचित्र बनाने के काम को लेने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अधिन बच्चों के मनोरंजन के लिए चल-चित्र विभाग द्वारा चार लेख्यात्मक चल-चित्र तैयार कियें जायेंगे। इसके साथ ही, एक पूरी लम्बाई का चल-चित्र बनाने की संभवना का भी परीक्षण किया जा रहा है।

कलकत्ता टाइप की मशीन बनाने की कम्पनी

*२१०९. **श्री तेलकीकर** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे, कि कलकत्ता टाइप की मशीन बनाने वाली कम्पनी कब कार्य करना आरम्भ करेगी ?

(ख) भारत में बनी हुई एक टाइप की मशीन पर क्या लागत लगेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) संभवत : सदस्य महोदय रेमिंगटन रैंक आफ इण्डिया लिमिटेड कलकत्ता का निर्देश कर रहे हैं। यदि ऐसा हो, तो उत्तर यह है कि कम्पनी ने पहले से ही कार्य आरम्भ किया हुआ है।

(ख) लागत का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि अभी तक देश में कोई भी पूरी मशीन बन कर तैयार नहीं हुई।

आसाम सीमान्त के गांव पर पाकिस्तानी चढाई

*२११५. **श्री अमजद अली** : **प्रधान मंत्री** जी बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या १४ फरवरी १९५३ की सांयकाल को पाकिस्तानी जत्थे द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की आसाम सीमा पर खरेरचर गांव में चढ़ाई हुई थी ?

(ख) क्या सीमा के खरेरचर गांव में पाकिस्तानी पुलिस ने दिन में गोली चलाई थी, जिसमें कई व्यक्ति घायल हुये थे, और वे घायलों में से तीन व्यक्तियों को पाकिस्तान में उठा कर ले गये थे ?

(ग) क्या इस प्रकार उठा कर ले गये व्यक्तियों के सम्बन्धियों ने डामोवरी की जिला पुलिस के पास २७ फरवरी १९५३ को उन व्यक्तियों को वापिस लाने के लिये पहुंच की थी ? और

(घ) यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (घ). आसाम सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं हुई। १४ फरवरी को गोली चलने की ध्वनि सुनाई दी, और अन्ततः ऐसा बतलाया गया कि पूर्वी पाकिस्तान की सीमा की ओर कुछ डाकुओं के साथ मुठभेड़ हुई।

मूंगफली का निर्यात

*२११९. **श्री मुनिस्वामी** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशों को हमारी मूंगफली के निर्यात की क्या स्थिति है ?

(ख) क्या यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत से मूंगफली का निर्यात कम हो गया है।

(ग) यदि ऐसा है तो, इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हाथ द्वारा चुने गये प्रकार के अतिरिक्त, मूंगफली का निर्यात आजकल बन्द है । निर्यात करने वालों को हाथ द्वारा चुनी गयी प्रकार की मुंगफली के रूप में अपनी मूंगफली के तेल के भाग में से एक छोटे हिस्से का निर्यात करने की आज्ञा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार की नीति बीजों की अपेक्षा तेल के निर्यात की है ।

हीराकुंड बांध द्वारा कुछ गांवों का पानी में डूबना

*२१२२. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **सिन्चाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हीराकुंड बांध के बन जाने के उपरांत लगभग २०० गांव तथा सम्बलपुर जिले की लगभग २,१६,४०० एकड़ भूमि पानी में डूब जायगी ?

(ख) वहां की पीड़ित जनता के प्रति-स्थापन तथा उस क्षेत्र की जनता की खोई हुई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार क्या कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने उद्योग तथा सिंचाई इत्यादि (भूमि अर्जन) विकास अधिनियम १९४८ के उपबन्धों के अनुसार क्षतिपूर्ति दे दी है । उड़ीसा राज्य सरकार के पुनर्वास तथा कृषि योग्य भूमि बनाने सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच हो रही है ।

बम्बई के तांबा इंजिनियरी कारखाने की बंदी

*२१२३. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ दिसम्बर १९५२ को अल्पकालीन सूचना वाले, प्रश्न के दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि २६ दिसम्बर १९५२ के आसपास बम्बई के तांबा इंजिनियरी कारखाने की प्रबन्ध समिति तथा समस्त कर्मचारियों ने सरकारी श्रमिक पदाधिकारी के सम्मुख यह निश्चित किया था कि यह कारखाना २ मार्च १९५३ से फिर चालू होगा जब कि समस्त कर्मचारी इसमें उपस्थित होंगे ?

(ख) क्या यह सत्य है कि प्रबन्ध समिति ने अचानक ही २१ मार्च १९५३ की अर्ध रात्रि को इस कारखाने की बंदी की घोषणा कर दी ।

(ग) क्या यह सत्य है कि डिज़िल इंजिनों के भारी आयात ने इस कारखाने के कार्य को और भी कठिन बना दिया ?

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही सरकार ने की हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सरकार के पास कोई यथार्थतम सूचना नहीं है ।

(ग) जुलाई १९५२ से डिज़ल इंजिनों के आयात के लिए कोई अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है अतएव यह प्रश्न तो उठता ही नहीं है ।

(घ) डिजल इंजिनों के आयात बंद करने के अतिरिक्त राज्य सरकारों को अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत देशी डिज़ल इंजिन खरीदने की सलाह दी गई है ।

जीदाह स्टेशन पर मुसाफिर खाने का निर्माण

*२१२४. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व पाकिस्तान सरकार के

साथ साथ जीदाह. सौदी अरेबिआ में हज की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए मुसाफिरखाना बनाने के लिए कुछ ज़मीन खरीदी थी ?

(ख) क्या उक्त मुसाफ़िरखाने के निर्माण में कोई उन्नति हुई है ?

(ग) हज यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों द्वारा अनुभूत कठिनाइयों की ओर क्या भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस प्रकार की कठिनाइयों के विषय में कह रहे हैं, यदि वे इनकी व्याख्या कर दें तो मैं इस सम्बन्ध में जांच करने का प्रयत्न करूंगा।

पश्चिमी बंगाल को औद्योगिक गृह-निर्माण के लिये धन का आवंटन

*२१२५. **श्री के० के० बसु** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल द्वारा औद्योगिक गृह निर्माण के लिए पूरी योजना प्रस्तुत करने के पश्चात भी भारत सरकार ने वहां गृह निर्माण कार्य के लिए निश्चित धन को देने से इन्कार कर दिया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो इसका क्या कारण है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अर्थ सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्रांत को अलग अलग से धन निश्चित नहीं किया गया था। जैसे ही पश्चिमी बंगाल सरकार की गृह निर्माण योजना की विस्तृत तालिका अंतिम रूप से तैयार हो जायगी वैसे ही अर्थ सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत इसे अर्थ सहायता दे दी जायगी।

(ख) इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय धार्मिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध

*२१२६. **श्री रिशांग किशांग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीयों पर चाहे वह किसी धर्म को मानते हों जो अमरीका, इंगलैंड और फ्रांस में इस विचार से जाना चाहते हों कि वहां जाकर वह अपने अपने धर्म का विस्तार एवं प्रचार करेंगे तो क्या उन पर भी किसी प्रकार का विशेष प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है, अर्थात् दूसरे भारतीयों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगेगा ?

(ख) क्या उन देशों के प्रतिनिधि यदि भारत में अपने धर्म विस्तार तथा प्रचार के लिए आते हैं तो क्या उन पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगेगा ?

(ग) क्या विदेशी धार्मिक संस्थाओं पर और विशेष रूप से आदिमजाति क्षेत्र में बनी हुई विदेशी धार्मिक संस्थाओं पर कोई प्रतिबन्ध लगा है ? ताकि वे संस्थायें आजकल धर्मविस्तार एंव प्रचार का कार्य छोड़ दें।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सरकार को इस प्रकार के प्रतिबन्धों का कोई ज्ञान नहीं है। बहुत थोड़े भारतीय ही अमरीका, इंगलैंड अथवा फ्रांस को धर्मविस्तार एवं प्रचार के विचार से गये हैं।

(ख) और (ग). विदेशी यात्रियों पर जो यहां धार्मिक भावनाओं को लेकर आते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं है। किन्तु जब कभी जैसे

ही उनकी कार्यवाही भारत के लिए हानिकारक होने लगती हैं तो उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। कुछ सीमान्त क्षेत्रों में जिनमें से कुछ क्षेत्र भीतरी क्षेत्र के नाम से पुकारे जाते हैं वहां सभी विदेशियों के; धार्मिक संस्थाओं के कार्यकर्ता भी जिनमें सम्मिलित हैं, आवागमन पर रोक लगा दी गई है।

पिछले वर्षों में काफी संख्या में विदेशी धार्मिक संस्थाओं के सदस्य यहां भारत में आये हैं।

चन्दर नगर में पश्चिमी बंगाल नगरपालिका अधिनियम लागू

*२१२८. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) चन्द्रनगर में पश्चिमी बंगाल नगरपालिका अधिनियम लागू करने से पूर्व क्या वहां के निवासियों की सम्मति ली गई थी ?

(ख) क्या चन्द्रनगर निवासियों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन किया था जिसमें कहा गया है कि चन्द्रनगर निवासियों की सुविधाओं को स्थिर रखने में यह अधिनियम यथेष्ट नहीं है अतएव इस अधिनियम में फिर संशोधन हो ?

(ग) क्या इस अधिनियम को वहां लागू करने से पूर्व सरकार का विचार चन्द्रनगर निवासियों की राय लेने के लिए कोई कार्यवाही करने का था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):

(क) नहीं।

(ख) और (ग): चन्द्रनगर मंत्रणा परिषद् के कुछ सदस्यों ने अभ्यावेदन किया था। बंगाल नगरपालिका अधिनियम १९३२ की ६५ धाराएं उचित संशोधन करने के उपरांत चन्द्रनगर में लागू करने के लिए वहां बढ़ा दी गई हैं। इन धाराओं के अनुकलन के उपांरत अधिनियम की शेष धाराओं को लागू करने का विचार सरकार का है।

नगर निवासियों की राय लेने का सच्चा और सही ढंग चुनाव है। चुनाव होने पर ही उनकी राय ली जा सकती है।

कृषि सम्बन्धी मशीनों के अतिरिक्त भाग

*२१२९. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने कृषि सम्बन्धी मशीनों के अतिरिक्त भागों का आयात करने के लिए अनुज्ञप्ति देने का निश्चय कर लिया है।

(ख) अब तक कितने अनुज्ञप्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं ?

(ग) किन आधारों पर ये अनुज्ञप्ति पत्र जारी किये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) अब तक वर्तमान अनुज्ञप्ति काल में ६ अनुज्ञप्ति पत्र लगभग ३८,०७० रुपये मूल्य के सुगम मुद्रा क्षेत्र से आयात करने के लिए दिये गये हैं।

(ग) पहले से चले आ रहे आयातकों को, उनकी अतिरिक्त मांगों की पिछली परिमात्रा का विचार करके ही उन्हें अनुज्ञप्ति पत्र जारी किये जाते हैं।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा

*२१३०. **श्री राजगोपाल राव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका उद्घाटन २ अक्तूबर १९५२ को हुआ था, के साथ ही साथ राष्ट्रीय विस्तार सेवा चालू करने का भी विचार किया गया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो इस कार्य क्रम का क्षेत्र क्या होगा ?

(ग) क्या इस योजना में आंध्र के श्री काकुलम के पिछड़े जिलों को भी सम्मिलित करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में लगभग देश का एक चौथाई भाग सम्मिलित किया जायगा ।

(ग) राज्य के प्रत्येक ज़िले को इस कार्य क्रम में सम्मिलित करने का विचार है ।

लाख उद्योग

*२१३१. **श्री पुन्नूस** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि भारतवर्ष से बीज के आकार में, तथा छड़ी के आकार में लाख का भारी निर्यात होने से भारतवर्ष में लाख उद्योग में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, तथा लाख उद्योग के लगभग ७० प्रतिशत कर्मचारी बेकार हो गये हैं ?

(ख) यदि यह ठीक है तो क्या सरकार लाख के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ताकि देश के इस उद्योग को बरबादी से बचाया जा सके ?

(ग) लाख उद्योग के बेकार कर्मचारियों के कष्ट निवारण के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार को इस बात का ज्ञान है कि आजकल लाख उद्योग में काफ़ी कठिनाइयां हैं । लाख उद्योग में पहले कुल कितने कर्मचारी थे तथा उनमें से कितनों को अलग कर दिया गया है इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिल सकी है ।

(ख) छड़ी आकार के लाख के निर्यात को रोकने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) यह तो राज्य सरकारों का मुख्य कार्य है ।

प्लास्टिक तारों का आयात

*२१३२. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत सरकार ने अभी प्लास्टिक तथा लचकीले (फ्लेक्सीबल) तारों के आयात पर १० प्रतिशत का प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो क्या जनवरी से जून १९५३ तक के आयात काल के सम्बन्ध में कार्यरत नीति के दुहराने का ही यह परिणाम है ?

(ग) इस नीति में सरकार ने अचानक ही इतने परिवर्तन किये हैं उसका क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) नीति में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है ।

(ग) बिजली के तांबे के तार के प्रदाय में सुधार होने के कारण आयात अनावश्यक हो गया है क्योंकि घरेलू उद्योगों ने आवश्यकतानुसार मांगों की पूर्ति के लिए काफ़ी तार तथा लचकीले (फ्लेक्सीबल) तार का उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है ।

बॉल बियरिंग का मूल्य

*२१३३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को यह विदित है कि कृषि सम्बन्धी औजारों, विशेषतया कुट्टी काटने वाले यंत्रों के निर्माण के

लिये प्रयोग में लाये जाने वाले भारतीय बॉल बियरिंग्स संख्या ६२०४, ६२०५ तथा ६२०६ के एक जोड़े का मूल्य लगभग १३ रुपये है ;

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि उसी प्रकार के जापानी बॉल बियरिंग्स का मूल्य लगभग ४ रुपये प्रति जोड़ा है ;

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि जब से इस उद्योग को संरक्षण दिया गया है तब से भारतीय बॉल बियरिंग्स की लागत लगभग २०० प्रतिशत बढ़ गई है ;

(घ) क्या विशेषतया पंजाब के कृषि सम्बन्धी औंजारों के बनाने वालों को बाल बियरिंग्स का इतना अधिक मूल्य देने के कारण अपन व्यापार में बिल्कुल कोई लाभ नहीं होता ; और

(ङ) क्या भारत सरकार का भारत में बने हुए बाल बियरिंग्स का कोई उचित मूल्य निर्धारित करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (घ). इस विषय में हाल में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) तथा (ग). सरकार के पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

(ङ) संरिक्षत उद्योगों के उचित मूल्य रखना सरकार और प्रशुल्क आयोग का कर्त्तव्य है। सरकार मंत्रालय के विकास विभाग से इस विषय के इस पहलू की जांच करने के लिये कह रही है ।

विस्फोटकों का कारखाना

*२१३४. **डा० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या असैनिक प्रयोजनों के लिये विस्फोटक पदार्थ बनाने के हेतु एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना बनाने के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ; और

(ग) इस का वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक: भारत में असैनिक प्रयोजनों के लिये विस्फोटक पदार्थ बनाने का प्रश्न विचाराधीन है और कारखाने के स्थान तथा इस के उत्पादन सामर्थ्य के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

नासिक नगर वैद्यमण्डल की ओर से अभ्यावेदन

*२१३५. **श्री बी० डी० शास्त्री** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को नासिक नगर वैद्य मण्डल की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में कि भारत सरकार से आयुर्वेदिक औषधियों को तैयार करने में प्रयोग किये जाने वाले कतिपय पदार्थों पर आयात शुल्क घटाने की प्रार्थना की गई है ?

(ख) भारत सरकार ने इस अभ्यावदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या उस का करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

'हरिके' बांध

१४१४. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि 'हरिके' बांध का उद्घाटन किया गया है; तथा

(ख) इस बांध से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तो इस बांध से किन्हीं नये क्षेत्रों की सिंचाई नहीं होगी । इसे फिरोज़पुर से निकलने वाली पूर्वी तथा गंगा नहरों से मिलाने के लिये नहरें बनाई जा रही हैं । इस के अतिरिक्त कुछ पुरानी भरी हुई नहरों के स्थान में नये हैड-वर्क्स से निकलने वाली एक छोटी सी नहर बनाई जायेगी । इस हैडवर्क्स से नई भूमि की सिंचाई के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के सम्बन्ध में भूकम्प तथा बाढ के कारण हानि

१४१५. **श्री गोहेन** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के (१) मिशमी पहाड़ियों तथा (२) अबोर पहाड़ियों के जिलों में १९५० के बड़े भारी भूकम्प तथा बाद की बाढ़ से कितनी जन हानि और रहने के तथा अन्य मकानों और फसलों इत्यादि को मिला कर सम्पत्ति की कितनी क्षति होने का अनुमान लगाया गया है ?

(ख) क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावित लोगों की सहायता तथा पुनर्वास के लिये १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

(ग) व्यय की गई कुल राशि में से कितनी (१) निष्कारण सहायता, (२) संकट के समय आरम्भ किये गये कार्यों के द्वारा सहायता, और (३) वास्तविक पुनर्वास पर व्यय की गई थी ?

(घ) क्या मिशमी पहाड़ियों तथा अबोर पहाड़ियों के जिलों के वर्तमान बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिये कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो वह क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) मिशमी पहाड़ियां ।

जन हानि ६०२ (अनुमानित संख्या)

सम्पत्ति की क्षति--

पशु हानि	२५ प्रति शत
घर तथा अन्न भण्डार	१५ प्रति शत
खड़ी फसलें	८० प्रति शत
सड़कें और पुल	७० प्रति शत

५० सरकारी भवनों को भी क्षति पहुंची थी ।

अबोर पहाड़ियां ।

जन हानि ३५० (अनुमानित संख्या)

सम्पत्ति की क्षति--

पशु हानि	३५ प्रति शत
घर तथा अन्य भण्डार	३० प्रति शत
खड़ी फसलें	७५ प्रति शत
सड़कें और पुल	५० प्रति शत

अध्यापकों के क्वार्टरों सहित ४५ प्राथमिक पाठशालाओं तथा नौकरों के मकानों सहित ११ अन्य सरकारी भवनों को भी क्षति पहुंची थी ।

(ख) १३,७७,७६८ रुपये, जिस में राज्यपाल की आसाम भूकम्प सहायता निधि का ३,८४,९४७ रुपये का अंशदान भी सम्मिलित हे ।

(ग) तथा (घ). यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

मैशीनरी मैन्युफ़ैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता

१४१६. **श्री के० के० बसु** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने मैशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता को कुल कितनी सहायता दी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सरकार ने इस कम्पनी के (साढ़े चार

प्रति शत ब्याज के) विशेष संचयी पूर्वाधिकार अंशों में २५ लाख रुपये लगाये हैं।

अनुसन्धान के लिये स्वर्णपदक

१४१७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड ने एक स्वर्णपदक रखा है जो कि पूर्व वर्ष में भारत के जल संसाधनों के विकास से सम्बन्धित अनुसन्धान की कार्यशैली, सिद्धान्त अथवा प्रक्रिया के विषय में सब से अच्छी तथा मौलिक रचना लिखने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) को दिया जायेगा; और

(ख) १९५१ तथा १९५२ में किन व्यक्तियों की रचनायें सब से अच्छी समझी गई थीं और उन्हें स्वर्णपदक दिये गये थे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५१ के लिये जल-अनुसन्धान केन्द्र मैसूर के निर्देशक श्री वी० गणेश अय्यर को पदक देने का निश्चय किया गया है । १९५२ के पुरस्कार के सम्बन्ध में रचनायें मांगी गई हैं और केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड की आगामी वार्षिक बैठक में बोर्ड की कार्यसमिति उन पर विचार करेगी ।

चर्म उद्योग

१४१८. **श्री जजवाड़े** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार चर्म उद्योग अर्थात् चमड़ा रंगने तथा चमड़े की वस्तुएं बनाने के काम को एक कुटीरोद्योग के रूप में पुनःविकसित करने के लिए क्या पग उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण जिसमें भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण चर्म उद्योग के विकास में सहायता देने के लिये किये गये कार्यों का वृत्तान्त दिया हुआ है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६२**]

अल्प तथा दीर्घकालीन परियोजनायें

१४१९. **डा० असीन** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किस प्रकार की परियोजनाओं को अल्प या दीर्घकालीन परियोजना समझा जाता है ;

(ख) पंचवर्षीय योजना के अधीन अल्पकालीन परियोजनाओं पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है या व्यय करने का विचार है ।

(ग) इस योजना के अधीन दीर्घकालीन परियोजनाओं पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है या व्यय करने का विचार है; और

(घ) क्या यह सत्य है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में अल्पकालीन परियोजनायें हमारे देश के लिये अधिग उपयुक्त हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) उन परियोजनाओं को अल्पकालीन परियोजना कहा जा सकता है जो कि २ से ३ वर्ष तक के अन्दर पूरी की जा सकती हैं । इन में अधिकांश अधिक अन्न उपजाओ योजनायें, छोटी मोटी सिंचाई तथा सामूहिक परियोजनायें तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य समाज सेवा सम्बन्धी योजनायें भी आ जाती हैं ।

(ख) तथा (ग). दीर्घकालीन योजनाओं पर कुल व्यय १,३०० करोड़ रुपये के लगभग होगा और अल्पकालीन योजनाओं पर लगभग ७६९ करोड़ रुपये होगा ।

(घ) अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दो ही प्रकार की परियोजनायें इस देश के उचित ढंग से आर्थिक विकास के लिये आवश्यक हैं।

काश्मीर की अमुस्लिम अपहृत लड़कियां

१४२०. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद की (जो क्षेत्र की तथाकथित आज़ाद काश्मीर सरकार के अधिकार में है) अपहृत अमुस्लिम लड़कियों तथा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में, जो कि अब भी आज़ाद काश्मीर के लोगों या आक्रमणकारियों के हाथ में हैं, कोई अनुमान लगाया है ?

(ख) ऐसी अपहृत लड़कियों की संख्या कितनी है जिनके बारे में सरकार को पता है ?

(ग) क्या १९५२ में उन क्षेत्रों से किन्हीं को पुनः ढूंढ कर लाया गया है और यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं बताया जा सकता।

(ख) सूचना देने वालों नें अपने अपहृत सम्बन्धियों के नाम पंजीबद्ध करवाते समय जो पते-ठिकाने बताये थे अब वे पुराने हो चुके हैं। अतः ऐसी कोई निश्चित संख्या बतलान कठिन है, जिन के विषय में कि निश्चय पूर्वक यह कहा जा सके कि उन व्यक्तियों के पते-ठिकाने सरकार को ज्ञात हैं।

(ग) जी हां, ३३१।

"हीराकुंड की सारी कहानी"

१४२१. **श्री राधा रमण :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सरदार दीवान सिंह द्वारा लिखित 'हीराकुंड की सारी कहानी' नामक प्रचारपुस्तिका को पढ़ा है और उस में इस परियोजना के पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को देखा है ?

(ख) ये आरोप कहां तक ठीक हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है या उस का क्या करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) इस का उत्तर 'हां' में है।

(ख) इस प्रचार पुस्तिका में जिन अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है उन सब मामलों की विस्तृत जांच की व्यवस्था की जा रही है। जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तथा सरकार द्वारा उस की परीक्षा कर लिये जाने के पश्चात् आगे और कार्यवाही की जायेगी।

बनारसी वस्त्र व्यवसाय में बेकारी

१४२२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बनारसी वस्त्र व्यवसाय की गिरती हालत के कारण श्रमिकों में बेकारी ज़ोरों से बढ़ रही है और बहुत से श्रमिक भारत छोड़ कर पाकिस्तान जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी हां। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सूचना दी है कि काम करने वालों में बेकारी बढ़ रही है। किन्तु हमें यह विदित नहीं है कि बुनकर लोग इसी कारण से भारत छोड़ कर पाकिस्तान जा रहे हैं।

औषधि अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में औषधियों का निर्माण

१४२३. **श्री चरक :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के आधीन कितनी ऐसी औषधि अनसन्धान

प्रयोगशालाएं हैं जहां औषधियां निर्मित तथा तैयार की जाती हैं ?

(ख) प्रत्येक प्रयोगशाला पर प्रतिवर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि और निर्मित उत्पादों से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था, कसौली, तथा बी० सी० जी० प्रयोगशाला, ग्विन्डी, मद्रास, ही केन्द्रीय सरकार के आधीन ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जहां औषधियों का निर्माण होता है ।

(ख) उक्त दोनों केन्द्रीय सरकार अनुसन्धान प्रयोगशालाओं सम्बंधी एक विवरण सदन पटल पर रखा है ।

विवरण

१९५१-५२ में व्यय

प्रयोगशाला का नाम	आवर्त्तक	अनावर्त्तक	आय, यदि कोई ह तो
	रुपए	रुपए	रुपए
केन्द्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, कसौली	६,७० ८४८	१,४८,६५०	४,६९,८२५
बी० सी० जी० प्रयोगशाला, ग्विन्डी, मद्रास	सूचना उपलब्ध नहीं है ।		

हीराकुंड परियोजना में पर्यवेक्षक तथा सहायक इंजीनियर

१४२४. **सरदार लाल सिंह :** (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एक सहायक इंजीनियर के पद में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि श्री चारी नामक एक व्यक्ति, जिनके पास इंजीनियरिंग की कोई भी अर्हताएं नहीं हैं, हीराकुंड परियोजना में, संघ लोक सेवा आयोग को बिना कोई निदेश किए हुए, एक सहायक इंजीनियर नियुक्त किया गया था ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि उसकी क सहायक इंजीनियर के रूप में नियुक्ति से पूर्व, वह बिना उस मंत्रालय, जो उपयुक्त प्राधिकारी है, की स्वीकृति के एक मुख्य भण्डाराधिकारी नियुक्त किया गया था और उसे अधिकतम वेतन दिया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सहायक इंजीनियर के पद के लिए भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अथवा उसकी सलाह से, की जाती है, जहां पर उस नियुक्ति के एक वर्ष से अधिक बने रहने की सम्भावना होती है । आपातिक मामलों में, कभी कभी, प्रारंभ में नियुक्तियां सीधे केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के द्वारा की जाती हैं और पदों को विज्ञापित करन के लिए मांग संघ लोक सेवा आयोग को भेज दी जाती हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

अखिल भारतीय आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकारों को मंहगाई भत्ता

१४२५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अखिल भारतीय आकाशवाणी के कर्मचारी-कलाकारों को महंगाई भत्ता देने का विचार कर रही है ?

(ख) उनकी सुख सुविधाओं को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं। कर्मचारी-कलाकारों की उपलब्धियां जीवन निर्वाह संबधी बढ़े हुए मल्यों के लिए उचित सोच विचार के बाद निश्चित की जाती हैं।

(ख) कुछ सुख सुविधाएं जैसे कि निःशुल्क डाक्टरी देख भाल, अर्जित तथा आकस्मिक छट्टी, उपदान, यात्रा भत्ता आदि क चारी-कलाकारों को दी जाती ह। सरकारी निवास-स्थान अथवा उसके बदले में मक न किर या भत्ता का प्रश्न और अवकाश नियमों तथा उत्पदान की शर्तों संबंधी मामले विचाराधीन हैं।

आदिम जाति-लोगों की व्यवसायिक तथा शिल्पि-शिक्षा

१४२६. **श्री गोहेन** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के आदिमजाति लोगों की उन्नति के हेतु व्यवसायिक तथा शिल्पि-शिक्षा को प्रारम्भ करने के लिये क्या कार्यवाहियां की हैं ?

(ख) ऐसी योजनाओं का अन्तिम लक्ष्य क्या है ?

(ग) इन योजनाओं की मदें क्या हैं ?

(घ) प्रत्येक योजना को कार्यान्वित करने में कितनी धन राशि व्यय होगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अभिकरण क्षेत्रों में व्यवसायिक तथा शिल्पिकशिक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

अभिकरण के छः में से चार ज़िलों में चार कुटीर उद्योगों के केन्द्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, पहाड़ी लड़कियों के लिए तीन बुनाई केन्द्र खोले गए हैं। उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के सभी स्कूलों में बढ़ईगीरी, बुनाई, बेंत तथा बांस का काम और कृषि आवश्यक विषय हैं।

(ख) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत लक्ष्य, ६.१९ लाख रुपयों की कुल लागत पर ६ कुटीर उद्योगों के केन्द्र और एक शिल्पिक स्कूल खोलना है।

(ग) कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण केन्द्रों में आरी चलाना और बढ़ईगीरी, लुहार का काम, कताई, और बुनाई, दर्जी का काम, बेंत और बांस का काम, चमड़े का काम, राज का काम, साबुन बनाना और मधु मक्खी पालन वयस्कों को पढ़ाए जायेंगे, जब कि शिल्पिक स्कूल में उद्योगों के शिल्पी तथा संगठन कर्त्ताओं को तैयार करने के लिए इन में तथा अन्य उद्योगों में उच्च प्रशिक्षण देने का विचार है।

(घ) कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण केन्द्रों तथा शिल्पिक स्कूल के लिए क्रमशः ४·६५ लाख रुपए और १·५४ लाख रुपए व्यय होंगे।

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के लिए भाषा विज्ञान तथा संस्कृति विभाग

१४२७. **श्री गोहेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के लिए भाषाविज्ञान तथा संस्कृति के विभाग स्थापित किए गए हैं, और यदि ऐसा है तो उसके

उद्देश्य क्या हैं, और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में भाषा विज्ञान तथा संस्कृति अनुसन्धान के लिए विभागों को स्थापित करने का विचार है ।

भाषा विज्ञान विभाग के लिए आधार तैयार करने के हेतु दो भाषा पदाधिकारी नियक्त किए गए हैं ।

भाषा विज्ञान विभाग को उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में प्रयोग में आने वाली विभिन्न भाषाओं में अनुसन्धान करने तथा उनके विकास के लिए स्थापित किया जा रहा है ।

सांस्कृतिक अनुसन्धान विभाग आदिम-जाति के लोगों के नाच, गाने, उत्सवों, लोक गीतों, लोक कथाओं तथा उनके जीवन के अन्य संस्कृतिक पहलुओं में अनुसन्धान करने के लिए है । एक सहायक उद्देश्य पहाड़ी लोगों के अच्छे तथा स्वस्थ आदिम जाति रीति रिवाजों और प्रथाओं को सुरक्षित रखने तथा उनकी उन्नति रखने के लिए उपाय ढूंढना है

कुछ आदिम जाति भाषाओं के वाक्यों के शब्दकोष, शब्द सूचियां और व्याकरण तैयार की गई हैं । कहानी की पुस्तकों और लोक कथाओं तथा लोक गीतों के संकलन का कार्य भी हाथ में लिया गया है ।

काश्मीर सीमा पर पाकिस्तान सेना का आवागमन

१४२८. श्री के० पी० सिन्हा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मार्च १९५३ के मध्य में पंजाब और काश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की तरफ सेना का भारी आवागमन देखा गया था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मार्च १९५३ में ऐसे किसी सेना के भारी आवागमन की सरकार को सूचना नहीं है । पाकिस्तान में सेनाओं के कुछ आवागमन हुये थे जो कदाचित उस समय पंजाब (पाकिस्तान) में फैली हुई आन्तरिक परिस्थिति के कारण थे ।

भारत के उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व प्रदेशों में जापानी सिपाहियों के अवशेष

१४२९. श्री एल० जे० सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि जापान सरकार ने भारत सरकार से इस बात का पता लगाने की प्रार्थना की है कि भारत के उत्तर पूर्व और दक्षिण-पूर्व सीमान्त प्रदेशों में जापानी सिपाहियों के अवशेष कहां कहां पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जनवरी में जापान सरकार ने नई दिल्ली में स्थित अपने राजदूतावास के द्वारा उन जापानी नागरिकों तथा सिपाहियों के अवशेषों के ठौर ठिकाने के बारे में सूचना मांगी थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राज्य क्षेत्र में मरे थे ।

(ख) चूंकि यह विश्वास किया जाता था कि ऐसे मृतक जापानी बंदी दिल्ली और अजमेर की राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में गाड़ दिए गए थे, अतः भारत सरकार ने इस मामले में इन्हीं राज्य सरकारों को लिखा । दिल्ली सरकार ने उत्तर दिया है कि चूंकि जापानी बंदी दिल्ली में पंजीबद्ध नहीं किए गए थे, अतः उन की कब्रों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । अजमेर सरकार के उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा हो रही है ।

राज्यहीन शरणार्थियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण

१४३०. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि संयुक्त राष्ट्रीय आयुक्त ने राज्यहीन शरणार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण देने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है ?

(ख) गत दो वर्ष हुए जो लोग सिक्यांग से काश्मीर में आए थे उनके संबंध में संयुक्त राष्ट्रीय उच्चायुक्त का प्रतिनिधि किस प्रकार काम करेगा ?

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि उसका दफ्तर कहां पर रहेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ग). शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय उच्चायुक्त ने अपने कार्य में सहायता करने के लिए अनेक प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं । ऐसा ही एक प्रतिनिधि सुदूर पूर्व के लिए बैंकाक में नियुक्त हुआ है ।

(ख) सरकार को यह नहीं ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व सिक्यांग से काश्मीर में जो लोग आए थे, वे किसी भी प्रकार संयुक्त राष्ट्रीय उच्चायुक्त अथवा उसके प्रतिनिधि की नियुक्ति से प्रभावित होंगे अथवा नहीं । काश्मीर में ऐसे शरणार्थी अधिक नहीं हैं ।

ग्रामीण जन संख्या की गृह-व्यवस्था

१४३१. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश की ग्रामीण जन संख्या की कुल गृह-व्यवस्था संबन्धी आवश्यकताओं का निश्चित रूप से पता लगाने का विचार करती है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या इस प्रयोजन के हेतु निकट भविश्य में वह कोई उपयुक्त शासन तन्त्र नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, यदि आवश्यक समझा गया तो बाद में एक नमूने के द्वारा परिमाप किया जा सकता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्देशन फोटोग्राफी तथा ध्वनि में प्रशिक्षण

१४३२. **श्री दिगम्बर सिंह :** (क) क्या **सुचना तथा प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई में निर्देशन, फोटोग्राफी तथा ध्वनि कला में निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की है ?

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ?

(ग) उसके नियम क्या हैं ?

(घ) क्या राजनीतिक पीड़ितों के लिये कोई विशेष सुविधा है ?

(ङ) उसमें उम्मीदवारों का चुनाव किस प्रकार से होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार का चलचित्र विभाग बम्बई ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६३**]

(घ) जी नहीं ।

(ङ) आवे अभ्यर्थी राज्य सरकारों की सिफारशों के आधार पर चुने जायेंगे और बाकी केन्द्रीय सरकार द्वारा ।

बोकारो तापविद्युत संयन्त्र में चौथा बायलर

१४३३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा

करेंगे कि तीन बायलर स्थापित करने की वर्तमान योजना पूर्ण हो जाने पर बोकारों तापविद्युत संयंत्र में चौथा वाष्प यन्त्र भी स्थापित करने का विचार है और यदि है तो वह कब स्थापित किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जी हां, श्रीमान् । दामोदर घाटी योजना के द्वितीय प्रक्रम के मध्य बोकारो थरमल स्टेशन पर चतुर्थ वाष्प यंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

मलाया और सुदूर-पूर्व के लिए कार्तूसों से भरे हुए जहाज़

१४३४. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत फ़रवरी में कलकत्ता के किंग जार्ज बन्दरगाह पर मलाया और सुदूरपूर्व में भेजने के लिये बी० आई० एस० एन० के जहाज़ एस० एस० पंडुआ में कारतूसों की पेटियां लादी गई थीं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं । श्रीमान् । यह जहाज़ बर्मा के लिये भरा गया था ।

जम्मू और काश्मीर में रेडियो कार्यक्रम

१४३५. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के रेडियो कार्यक्रम का व्यय अखिल भारत आकाशवाणी, दिल्ली के कार्यक्रम पर किये गये व्यय से कम है ?

(ख) यदि उपर्युक्त (अ) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक होने की अवस्था में इस कमी का क्या कारण है ?

(ग) किस स्टेशन पर शुल्क न्यूनतम है और किस स्टेशन पर सब से अधिक है तथा दोनों में कितना अन्तर है ?

(घ) क्या सरकार के समक्ष इस समूचे प्रश्न की जांच का प्रस्ताव है ताकि यह अन्तर अधिक न रहे ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली स्टेशन विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है जिस में साप्ताहिक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं और उसके संप्रेषण की दैनिक अवधि भी अधिक है ।

(ग) अखिल भारत आकाशवाणी द्वारा १९५२-५३ में खर्च की गई राशि दिल्ली स्टेशन के सम्बन्ध में सब से अधिक थी और औरंगाबाद स्टेशन पर सब से कम । यथार्थ व्यय के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं किन्तु दोनों स्टेशनों के लिये जो निधियां निर्धारित की गई थीं उनका अन्तर ४,४२,२०० रुपये है ।

(घ) उपर्युक्त (ख) भाग को दृष्टिगत करते हुये इस तरह की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

कोसी योजना का बिलका बांध

१४३६. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोसी योजना के बिलका बांध के आकल्प को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि उक्त तथ्य सही है तो इस बांध का अनुमानित लागत मूल्य और इसके पूर्ण होने की अवधि कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) बांध का आकल्प और आनुषंगिक कार्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु वे पूर्ण होने के समीप हैं ।

(ख) बांध की अनुमानित लागत अभी तैयार की जा रही है और आगामी महीने

में उसके पूरा हो जाने की आशा है । अतः वर्तमान स्तर पर उसकी अनुमानित लागत अथवा पूर्ण होने की तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

नई दिल्ली में निवास स्थान

१४३७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के समक्ष नई दिल्ली क्षेत्र के सरकारी निवास स्थान का राशन करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्रस्तुत किया गया था ; और

(ख) यदि यह सच है तो क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) स्थान के एक अंश को अनिवार्यतः पुनः किराये पर देना अथवा निवास स्थान का राशन व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है किन्तु स्वेच्छापूर्वक निवास स्थान में भागीदार बनने की अनुमति है ।

त्रिपुरा में गृह-उद्योगों का परिमाप

१४३८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५२-५३ के बजट में त्रिपुरा के गृह उद्योगों के परिमाप के लिये कुछ रक़म निर्धारित की गई थी ;

(ख) उक्त बजट का कितना भाग सन् १९५२-५३ में व्यय किया जा चुका है ; और

(ग) यदि उक्त निधि का खर्च नहीं किया जा सका तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) । प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

गृह उद्योग प्रयोगात्मक टुकड़ी

१४३९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री दिनांक २२ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५४५ के अनुपूरक प्रश्नों की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे :

(क) हरदुआगंज में १९५० में प्रारम्भ की गई गृह उद्योग प्रयोगात्मक टुकड़ी क्यों बन्द कर दी गई थी ;

(ख) कितने वर्षों तक इसका संचालन होता रहा ;

(ग) इस पर किया गया कुल व्यय ;

(घ) उन गृह उद्योगों के नाम जिनके सम्बन्ध में प्रयोग किये गये थे ;

(ङ) इस टुकड़ी के प्रभारी कौन थे ; और

(च) वहां कितने वैतनिक कर्मचारी काम कर रहे थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (च) । हरदुआगंज में १९५० में गृह उद्योग संस्था स्थापित की गई थी । इसका उद्देश्य गृह उद्योग कार्य का प्रशिक्षण और संविनियोग प्रकार की मशीनों को जारी करने और लोकप्रिय बनाना था । उस समय उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं था और हरदुआगंज को मुख्यतया इस दृष्टि से चुना गया था कि प्रस्तुत कारखाने की अप्रयुक्त इमारतों का इसके लिये उपयोग किया जा सकता था । इस योजना पर अक्तूबर, १९५२ तक ३,५७,७७० रु० की कुल निधि खर्च की गई थी जिसमें से १,६४,५०० रुपये इमारतों की मरम्मत के लिये व्यय हुआ । उपकरण पर जिसमें प्रमुख रूप से जापानी मशीनें और अन्य मशीनों के बीजार

सम्मिलित हैं ८०,८२० रुपये खर्च किया गया। १,१२,४५० रुपये कर्मचारिवृन्द तथा आकस्मिक कार्यों आदि पर व्यय हुआ उक्त संस्था के अधिकारी श्री एस० एस० पालित थे तथा इसमें १८ वैतनिक कर्मचारी कार्य नियोजित थे ।

योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रशिक्षण सुविधाओं का उपबंध समाप्त कर दिया गया क्योंकि श्रम मंत्रालय ने उसी प्रयोजन से अन्य व्यवस्था कर दी थी। जापानी मशीनों की जांच पर केन्द्रीत करने और स्थानीय परिस्थितियों में प्रयोगात्मक दृष्टि से उनका उपयोग यह देखने के लिये किया गया कि किस सीमा तक तथा किन परिवर्तनों के साथ वे आवश्यकतानुसार देश के लिये उपयोगी ढंग में काम दे सकती हैं। अतः इंस्टीट्यूशन का मुख्य कार्य जापानी मशीनों की उपयुक्तता पर प्रयोग करना था। ये मशीनें यहां सुई बनाना, चटाई बुनना, चारा काटना, मुद्रण, तेल निकालना आदि विविधि कार्यों के लिये प्राप्त की गई थीं। कुछ मशीनें व्यर्थ सिद्ध हुईं जबकि थोड़े से अनुभव से ही यह मालूम हो गया कि अन्य मशीनें अनुपयुक्त थीं। अन्य मशीनों के सबध में भी प्रयोग करने पर राई का तेल निकालने का जापानी हेन्डर आयल एक्सपेलर, जापानी गेराबों, निसोखु करघे और चारा काटने की जापानी मशीनें भारतीय परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। चारा काटने और तेल निकालने की उक्त मशीनों को व्यावसायिक स्तर पर निर्माण करने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण कार्य को तिलांजलि देने और जापानी मशीनों के संबंध में अधिक अनुसंधान सीमित होने की दशा में यह मालूम हुआ कि संस्था को चालू रखने से निरर्थक व्यय होगा। इस प्रयोगशाला की एकान्त स्थिति और ढलाई के कारखाने तथा वर्कशाप की सुविधाओं के अभाव के परिणाम स्वरूप उक्त ढंग की मशीनों का वृहद् मात्रा में निर्माण अथवा इस प्रकार के कार्य करना सम्भव नहीं था जिनमें उपर्युक्त सुविधाएँ आवश्यक हैं। इन सब कारणों से यह निश्चय किया गया कि संस्था को बनाये रखने से कोई लाभ नहीं होगा अतः वह जनवरी १९५३ में बन्द कर दी गई।

पश्चिमी बंगाल में पटसन के मिल

१४४०. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल के पटसन के मिलों में अर्थात् दी बंगाल (सूरजमल नागरमल) दी बिड़ला (बिड़ला ब्रदर्स) और दी हुकमचंद (रामदत्त राम किशन) पटसन मिलों में कुल कितने करघे चालू हैं ; और

(ख) पश्चिमी बंगाल के पटसन के मिल अर्थात फोर्ट विलियम (केटलवेल बुलेन अण्ड कम्पनी) और गौरीपुर (मेक्रीयल बेरी लिमिटेड) और गजेज (मेक्रीयल बेरी लिमिटेड) पटसन मिलों में कुल कितने करघे चालू हैं।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ख)। आवश्यक सूचना प्रकट करने वाला एक विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६४**]

तम्बाकू के लिये विदेश व्यापार

१४४१. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८ के पश्चात विदेशों में भारतीय तम्बाकू के लिये नई मंडियां स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसका परिणाम क्या हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सदन पटल पर विवरण पत्र प्रस्तुत किया

गया है । [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ६५]

उद्योगों को पंजीयन

१४४२. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन औद्योगिक व्यवसायों की अनुमानित संख्या कितनी है जो उद्योग (विकास और नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन से बच रही हैं ?

(ख) कितने मामलों में पंजीयन का खंडन किया गया है ?

(ग) कितने मामलों में दंड विधान के अनुसार कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार के पास सूचना नहीं है ।

(ख) ६ ।

(ग) अभी तक एक भी नहीं ?

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

१४४३. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कपड़े के आंशिक विनियंत्रण और उत्पादन शुल्क के सरल कर देने के कारण क्या सरकार वस्त्र-आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारी वृन्द तथा उसके बजट में कमी कर रही है ।

(ख) क्या किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार इस कार्यालय के सुपुर्द किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कुछ कमी की जा चुकी है तथा और अधिक कमी की संभावना है ।

(ख) जी हां । वस्त्र आयुक्त हाथ करघे बोर्ड और सिल्क, नकली सिल्क तथा नारियल की जटा के उद्योगों पर काम कर रहे हैं ।

प्रदर्शनि हेतु चलचित्रों को प्रमाणित करना

१४४४. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन चलचित्रों के नाम तथा संख्या जिन्हें जनवरी, १९५२ से मार्च, १९५३ तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाणपत्र नहीं दिये गये ; और

(ख) उक्त चलचित्रों को प्रमाणपत्र न देने के प्रमुख कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सदन पटल पर विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ६६]

(ख) इन चलचित्रों को प्रमाणपत्र न देने के प्रमुख कारण उनका सेक्स अथवा अपराध की भावना से संबंधित होना अथवा निम्न नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना अथवा शान्ति एवं व्यवस्था के विचार से अथवा विदेशों के सम्बंध में आपत्तिजनक दृश्यों से युक्त होना है ।

नलकूपों के सामान के लिये आदेश

१४४५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत वर्ष में नलकूप बनाने के लिए नलकूप का सामान बनाने वाले भारतीय निर्माताओं को सामान देने के लिए क्या कोई आदेश दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां तो वे कितने के हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आदेश दिये गये हैं ।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों ने-भारतीय निर्माताओं को लगभग २६३ नल की मशीनें, २००० टन तांबें तथा ए० सी० एस० आर० वाहक (कन्डक्टर) तथा

४९५ परिवर्तकों (ट्रांसफोरमर) के लिए आदेश देने का विचार किया है।

हैदराबाद तथा औरंगाबाद के अखिलभारतीय आकाश वाणी केन्द्रों के कर्मचारी

१४४६. श्री एच० जी० वैष्णव : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद (दक्षिण) तथा औरंगाबाद के अखिल भारतीय आकाशवाणी केन्द्रों के कर्मचारी तथा अधिकारियों के पद में परिवर्तन करने का क्या कोई विचार है ?

(ख) इस परिवर्तन का क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं । विलयीकरण के उपरांत उनके पदों का परिवर्तन अखिल भारतीय आकाशवाणी के पदों के अनुसार कर दिया गया है ।

(ख) अखिल भारतीय आकाशवाणी के सभी पदों में समानता लाने के लिए ही इन पदों में परिवर्तन किया गया है ।

हैदराबाद सरकार को ऋण

१४४७. श्री एच० जी० वैष्णव : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद सरकार को वहां की सिंचाई योजना में आर्थिक सहायता देने के विचार से कोई ऋण देना स्वीकार किया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो वह ऋण कितने धन का है, और वह योजना कौनसी है ?

(ग) क्या हैदराबाद सरकार की ह दराबाद राज्य में टूटे फूटे तालाबों को सुधारने के लिए अतिरिक्त ऋण देने की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली गई है ?

(घ) यदि यह ठीक है तो वह कितनी ध नराशि है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) सूचना सम्बन्धी विवरण संलग्न है [**देखिय परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६७**]

(ग) और (घ) । जैसा कि विवरण में बताया गया है, राज्य सरकार की प्रार्थना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

हिमालय में सेंधा नमक के निक्षेप

१४४८. श्रीमती कमलेन्दुमती शाह : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हिमालय पर्वत के भीतरी भाग में सेंधा नमक की चट्टानें काफी मात्रा में पाई गई हैं ?

(ख) यदि यह ठीक है तो भारत सरकार ने इस सेंधा नमक की चट्टानों के निक्षेपों से नमक निकालने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सेंधा नमक की चट्टानों को निक्षेप हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के गुमा, ड्रांग तथा सेंगल में पाये गये थे ।

(ख) लगभग १ १।२ लाख मन प्रतिवर्ष इन चट्टानों से नमक निकाला जाता है उसकी खपत के लिये हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुख्य पहाड़ी प्रदेश हैं, तथा कुछ अंशों में पंजाब के कांगड़ा जिला तथा जम्मू और काश्मीर के कुछ भागों में भी यह नमक आता है ।

मंडी खदानों को आधुनिक ढंग पर लाने की योजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है। निक्षेपों की गहराई अथवा उनकी स्थलता

जानने के लिये खोदने का काम शुरू हो गया है। इन कार्यवाहियों के कार्यरत हो जाने के उपरांत और उनके परिणामों के आधार पर भविष्य में काम किया जायगा।

भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही

१४४९. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सेवक समाज ने योजना आयोग को सभी प्रकार के पदाधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो क्या सरकार उस योजना का विस्तृत विवरण सदन पटल पर रखेगी ?

(ग) क्या सरकार ने उस योजना के विषय में कुछ निश्चय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) योजना सम्बन्धी विस्तृत विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६८**]

(ग) योजना के सिद्धान्तों से सरकार साधारण रूप में सहमत है। सम्बन्धित मंत्रालयों से विस्तृत ब्यौरा के सम्बन्ध में विचार विमर्ष हो रहा है ?

क्षय रोग से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास स्थान

१४५०. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्वस्थकर निजी मकानों में रहने के कारण क्षय रोग से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकान देने में प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर "हां" है, तो १-१-१९५२ से ३१-३-१९५३ तक ऐसे कितने प्रार्थना पत्र आये हैं और कितने ऐसे व्यक्तियों को सरकारी निवास-स्थान दिये गये हैं ; तथा

(ग) विशेष निवास-स्थान के लिये इसी कालावधि में प्राप्त हुए कुल प्रार्थना पत्रों में से कितनों के साथ डाक्टरी प्रमाण-पत्र थे जिन में सरकारी निवास-स्थान दिये जाने की सिफारिश की गई थी ; और कितने ऐसे व्यक्तियों को वास्तव में सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। बारी से बाहर वाले व्यक्तियों के लिए जो विशेष जगह हैं उसमें से इनको जगह देने के विषय में विचार किया जाता है।

(ख) ६ प्रार्थनापत्र आये हैं, जिनमें से ५ को स्वीकृति दी जा चुकी है और २ अधिकारियों को वास्तव में जगह मिल भी गई है?

(ग) सभी के साथ डाक्टरी प्रमाण-पत्र थे ?

व्ययन विभाग के लिए भर्ती

१४५१. **श्री के० के० बसु** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४० से १९४५ तक प्राचीन व्ययन विभाग में जो अब मंत्रालय के अधीन है श्रेणी द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ में कितने कितने कर्मचारी रखे गये थे ?

(ख) उनमे से कितनों को स्थायी बना दिया गया है ?

(ग) सन् १९४५ के पश्चात् कितनों को अलग कर दिया गया है ?

(घ) कितनों की पदावनति की गई तथा कितनों ने त्यागपत्र दिया है ?

(ङ) उनमें से कितने अब भी अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं ?

(च) भाग (क) में पूछे गये कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में आदेश जारी किये गये थे कि उन्हें नियमित समझा जाय ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) से (च) । सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सदन पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

धातुकार्मिक कोयला

१४५२. श्री पी० सी० बोस : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला की वह विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं जिन्हें धातुकार्मिक कोयला समझा जा सकता है ?

(ख) वह कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां इस प्रकार का कोयला पाया जाता है तथा कोयले का काम होता है ?

(ग) कोयला की अन्य कौन कौन सी श्रेणियां हैं जिन्हें धोकर धातुकार्मिक कोयला बनाया जा सकता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) तथा (ग) । कोयले की कुछ विशेष प्रकार की श्रेणियां कारबोनाइज़ करके धातु कार्मिक कोयला में परिवर्तित की जा सकती हैं । साधारण निम्न शक्ति के कोयले अथवा द्वितीय श्रेणी का कोयला धातुकार्मिक कोयले के रूप में प्रयुक्त हो सकता है । चुना हुआ बी० तथा श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय को उसकी राख कम करने के पहले धोना होगा । तृतीय श्रेणी का कोयला भी धोया जा सकता है और उसे धातुकार्मिक कोयला के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार कोयला की परिमात्रा कम हो जायगी तथा वह महंगा पड़ेगा ।

(ख) झरिया, रानीगंज, गिरीदीह तथा पूर्व एवं पश्चिम बोकारो कोयला क्षेत्र हैं ।

दामोदर घाटी परियोजना क्षेत्र के कुटीर उद्योग धंधे

१४५३. श्री पी० सी० बोस : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी परियोजना के कारण कितने व्यक्तियों ने अपनी कृषि योग्य भूमि को खो दिया है अथवा खोने वाले हैं ?

(ख) क्या सरकार किसी योजना के द्वारा इन पीड़ित व्यक्तियों को कुटीर उद्योग धन्धों का कार्य चलाने के लिये बिजली देने का विचार रखती है, क्यों कि बिजली अब वहां काफ़ी मात्रा में मिलने लगी है ?

(ग) क्या इस क्षेत्र में बिजली सस्ते दामों पर देने का निश्चय सरकार ने किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दामोदर घाटी परियोजना का लगभग ६०,००० व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा ।

(ख) दामोदर घाटी परियोजना अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत इस क्षेत्र के समस्त विकास का उत्तरदायित्व दामोदर घाटी निगम पर है । दामोदर घाटी परियोजना क्षेत्र में कुटीर उद्योग धन्धों के संगठन करने के बारे में निगम ने अभी तक कोई निश्चित योजना नहीं बनाई है ।

(ग) दामोदर घाटी परियोजना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकार की आज्ञा के बिना निगम ३० हजार वाल्ट से कम शक्ति की बिजली नहीं दे सकता । बिजली का विस्तृत विभाजन सम्बन्धित सरकार का कार्य है ।

विज्ञापनों का जारी करना

१४५४. **श्री मुनिस्वामी :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में केन्द्रीय सरकार की नीति तथा प्रक्रिया क्या है ?

(ख) क्या अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा पारित संकल्पों का ज्ञान सरकार को है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) समाचार पत्रों को विज्ञापन देने सम्बन्धी नीति सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) । अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपि सरकार को नहीं मिली है किन्तु समाचार पत्रों में छपे प्रतिवेदन को देखा है ।

मलाया को सुपारी का निर्यात

१४५५. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मलाया के सुपारी व्यापारियों ने भारत सरकार से वर्तमान सुपारी परिमात्रा को बढ़ाने के लिये कहा है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ऐसा अभ्यावेदन सरकार को नहीं मिला है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंडी की नमक खदान

१४५६. **श्री हेम राज :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंडी नमक खदान में बर्मा द्वारा, तथा बारूद द्वारा गर्म करके खदान उड़ाने का काम प्रारम्भ हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो किस दिनांक से ?

(ग) इन कार्य प्रणालियों से कितना नमक प्रति वर्ष मिल सकेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) बर्मा द्वारा चट्टान उड़ाने का कार्य मंडी खदान में प्रगति पर है । इसके परिणाम पर ही बारूद द्वारा गर्म करके उड़ाने का कार्य निर्भर करता है ।

(ख) बर्मा से उड़ाने का कार्य ४ दिसम्बर १९५२ को प्रारम्भ हुआ था ।

(ग) लगभग ६६,००० टन प्रतिवर्ष नमक मिल सकेगा ।

नमक के मूल्य

१४५७. **श्री हेम राज :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत वर्ष के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाले नमक का मूल्य किस भांति निश्चित किया जाता है ?

(ख) मंडी के सेंधा नमक का वर्तमान मूल्य भारत के अन्य भागों में पैदा होने वाले नमक की तुलना में क्या है ?

(ग) बिक्री के प्रयोजन के लिये उसकी गणना तथा निश्चय किस प्रकार किया जाता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : नमक का मूल्य निर्धारण करने का ढंग उन राज्यों के अनुसार विभिन्न है जिन में इस का उत्पादन किया जाता है । सरकारी कारखानों में लागत पूंजी और न हानि न लाभ के सामान्य सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये मूल्य निर्धारित किया

जाता है । ग़ैर सरकारी नमक के कारख़ानों के मामले में कुछ राज्य सरकारों अर्थात् मद्रास तथा उड़ीसा ने आवश्यक संभरण (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९४६ के अधीन लागत पूंजी और कुछ लाभ का अन्तर छोड़ देने के आधार पर, कारख़ाने का सीमित मूल्य निर्धारित किया है । अन्य राज्यों अर्थात् बम्बई, सौराष्ट्र, कच्छ, ट्रावनकोर-कोचीन और पश्चिमी बंगाल में सरकार ने न तो मूल्य निर्धारित किये हैं और न ही उन का नियंत्रण किया है ।

(ख) आवश्यक सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६९**]

(ग) १ अप्रैल, १९५० से राज्य के वित्तीय संविलयन से पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेंधा नमक का २ रुपये प्रति मन का मण्डी मूल्य ही चल रहा है ।

नमक पर शुल्क

*१४५८. **श्री रघुवय्या :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित नमक पर शुल्क की विमुक्ति के लिये सरकारी अथवा ग़ैर सरकारी प्रणालियों से कोई सुझाव मिले हैं ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी नहीं कोई ऐसे सुझाव नहीं किये गये । तो भी मेरी सम्भावना है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय उपकर से है न कि शुल्क से, क्योंकि नमक पर शुल्क १ अप्रैल, १९४७ को समाप्त कर दिया गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चपड़ा तथा लाख (निर्यात)

*१४५९. **श्री पुन्नूस :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२, तथा १९५२-५३ में पृथक् पृथक् किस मूल्य का तथा किस मात्रा में चपड़ा, लाख की छड़ी और लाख के बीज का देशानुसार प्रतिवर्ष निर्यात हुआ है; तथा

(ख) भारत में उन समवायों के नाम क्या हैं जो चपड़ा लाख की छड़ी तथा लाख के बीज निर्यात करते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा है। [**देखिय परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ७०**]

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान मुद्रण प्रबन्धक नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित भारतीय उत्पादन तथा वस्तु निर्माण के निर्यात-कर्ताओं की निर्देशनी भाग ८ के पृष्ठ १२ से १७ की ओर दिलाया जाता है, जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है ।

भारतीय सिपाही का पाकिस्तानियों के हाथों वध

*१४६०. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) **प्रधान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २३ अप्रैल, १९५३ को एक भारतीय सिपाही, श्री साधू सिंह को, जब कि वह सीमा पर गश्त कर रहा था, पाकिस्तानी सिपाहियों ने गोली से मार दिया और पोस्टमार्टम करके उसकी लाश लाहौर में गाड़ दी ?

(ख) भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख)। प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब सशस्त्र पुलिस का एक पैदल सिपाही साधु सिंह २३ अप्रैल, १९५३ की रात को सकतरा गांव से ज़िला अमृतसर की कलास चौकी में आते हुये अपना रास्ता भूल गया ।

ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग़लती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गया और पाकिस्तान की सीमा पुलिस ने उसे गोली से मार दिया। पंजाब (भारत) की पुलिस ने पाकिस्तानी सीमा पुलिस के पास सख्त विरोध किया है और उस की लाश वापिस करने के लिये कहा है। पंजाब (भारत) से एक विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

डी० डी० टी० का आयात

१४६०-क. श्री पी० सी० बोस: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति वर्ष डी० डी० टी० की कुल कितनी मात्रा निर्यात की जाती है ;

(ख) यह किन देशों से निर्यात की जाती है ;

(ग) इसे किस मूल्य की दर पर निर्यात किया जाता है ; तथा

(घ) इस वस्तु का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५०-५१ में लगभग ५५० टन, १९५१-५२ में २३३ टन, तथा १९५२-५३ में ७०० टन।

(ख) डी० डी० टी० इस समय अधिकतया संयुक्त राज्य अमरीका से मंगाई जाती है, थोड़ी मात्रा में इंगलैंड, स्विटज़रलैंड, तथा अन्य नरम मुद्रा क्षेत्रों से मंगाई जाती है।

(ग) भार व्यय सहित मूल्य २ रुपये से २रु० ८ आ० प्रति पौंड तक है।

(घ) जहां तक सरकार को ज्ञात है, डी० डी० टी० का अन्तर्राष्ट्रीय निर्धारित मूल्य कोई नहीं है।

बर्मा कोयला क्षेत्र के भंडारों में गैस :

१४६०-ख. श्री एन० पी० सिन्हा : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बर्मो कोयला क्षेत्रों में गत आई० एम० सी० सी० के भंडारों के नीचे गैस पैदा हो गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो कब ?

(ग) भंडारों का स्थान बदलने अथवा गैस समाप्त करने के लिए क्या पग उठाए गए हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख)। ये भंडार पुराने अवशेष के ढेर पर बन हैं। पिछले २० वर्ष से इस क्षेत्र में उष्णता आरम्भ होती देखी गई है। अब उस में से बहुत कम गैस निकलती है।

(ग) सुलगती हुई आग सदा नियंत्रण में रही है और भंडारों को कोई क्षति नहीं पहुंची।

गत वर्ष भंडारों का स्थान बदलने के सम्बंध में विचार किया गया था, परन्तु उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई, नई भवन रचना में आने वाली लागत तथा इस कारण भी कि इस परिवर्तन से प्राप्त होने वाला लाभ व्यय के समान नहीं होगा इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया।

सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के लिये केन्द्रीय बोर्ड

१४६०-ग. श्री एस० एन० दास: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि एक ऐसा केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है जो केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के संघटन प्रबंध तथा नीति की बड़ी समस्याओं से सम्बंध रखेगा;

(ख) यदि, एसा है तो इस विषय में अन्तिम निर्णय कब किया जाना है ; तथा

(ग) क्या सरकार ने ऐसा बोर्ड बनाने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). राज्य के औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंध के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकार का निर्माण प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

नैपाल की आर्थिक विकास के लिए सहायता

१४६०-घ. श्री एस० एन० दास : (क) क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या नैपाल सरकार ने नैपाल के आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाने के सम्बंध में भारत सरकार की सहायता और परामर्श मांगा है ?

(ख) यदि एसा है तो भारत सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : तारांकित प्रश्न सं० १०१ के उत्तर में २२ मई १९५३ को एक प्रैस विज्ञप्ति सदन पटल पर रखी गई थी ।

तत्पश्चात योजना आयोग की ओर से अधिकारियों का एक दल जून १९५२ में नैपाल की वर्तमान विकास योजनाओं का प्राथमिक अध्ययन करने भविष्य में आर्थिक विकास के लिए सिफारिशें करने के लिए भेजा गया । वापसी पर दल ने बताया कि इस स्थिति में नैपाल के लिए सम्पूर्ण विकास योजना मूल आंकड़ों के अभाव के कारण संतोषजनक रुप से नहीं बनाई जा सकती । इस लिए अधिक ज़ोर सशक्त प्रशासन और वित्तीय प्रणाली महत्त्वपूर्ण संसाधनों के आपरीक्षण और मूल आकड़ों के एकत्रीकरण पर देना चाहिये । तो भी संचारण के विकास पर विशेष जोर डाला गया है ।

प्रतिवेदन नैपाल सरकार को भेजा गया था जिस के उत्तर की प्रतीक्षा है । इस बीच में भारत से कुछ विशषेज्ञ नैपाल भेजने और नैपाली कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण की सुविधाएं देन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

सुपर फासफेट्स

१४६०-ङ. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) वर्ष १९५२ में अकस्मात सुपर फासफेट्स के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ; तथा

(ख) १९५३ के प्रथम त्रिमासे में इस के उत्पादन के सम्बंध में क्या स्थिति रही ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५२ में उत्पादन में कमी का प्रधान कारण उपभोक्ताओं द्वारा कम लागत थी ।

(ख) १९५३ के प्रथम त्रिमासे में उत्पादन ६,२२७ टन है ।

दूरपूर्व में भारतीय दूतावास

१४६०-च. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दूर पूर्व में हमारे पांच दूतावासों में कोई पुस्तकालय नहीं है और वहां से व्यापार एवं वाणिज्य के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का कोई अन्य साधन नहीं है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दक्षिण पूर्वीय एशिया और दूर पूर्व में सब भारतीय मिशनों के साथ छोटे पुस्तकालय संलग्न हैं । इन पुस्तकालयों में से कुछ के पुनर्संघटन और विस्तार की योजना विचाराधीन है । पोकिंग के सिवाय इन

सब-मिशनों में वाणिज्य विभाग हैं जो भारतीय वाणिज्य तथा व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना दे सकते हैं ।

तिब्बत को सूती कपड़े का निर्यात

१४६०-छ. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने एक वर्ष कालावधि की प्रमाणिकता के साथ तिब्बत को कपड़ा निर्यात करने के लिए अनुमतिपत्र जारी करने का निर्णय किया है ?

(ख) क्या निर्यात के लिए कोई अभ्यंश निश्चित है ?

(ग) यदि ऐसा है तो क्या धन-राशि होगी ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). अभ्यंश के आधार पर अनुमति-पत्र नहीं दिए जाते ।

नन्दी कोंडा डैम

१४६०-ज. श्री नानादास : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास तथा हैदराबाद सरकारों ने नन्दी कंडा डैम के व्यय के सम्बंध में एक संयुक्त सूचना दी है ?

(ख) यदि ऐसा है तो डैम के माप और अनुमानित लागत क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

युवक शिविर

१४६०-झ. श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवक शिविर चलाने के लिए सहायता की मांग के कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या ये आवेदन पत्र सीधे आते हैं अथवा राज्य सरकारों के द्वारा ;

(ग) क्या इस शीर्षक के अधीन किसी संस्था को सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि एसा है तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). युवक शिविरों के लिए योजना इस समय बनाई जा रही है । अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला ।

सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं को सहायक अनुदान

१४६०-ञ. श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या 'सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं को सहायक अनुदान ' शीर्षक के अधीन सहायता के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि एसा है तो क्या कोई सहायता दी गई है ;

(ग) क्या ये आवेदन-पत्र सीधे आते हैं या राज्य सरकारों के द्वारा आते हैं ; और

(घ) ये अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) हां, एक तो तदर्थ अनुदान दिया गया है ।

(ग) सीधे ।

(घ) यह तो केन्द्रीय समाजिक कल्याण मंडली निश्चित करती है कि ये अनुदान किस आधार पर वितरित किए जायें ।

"बिना सेट किये हुए सच्चे रत्नों पर" आयात शुल्क

१४६०-ट. श्रीमती जयश्री : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 'बिना सेट किये हुए सच्चे रत्नों' पर आरोपित २० प्रतिशत आयात शुल्क से आय ;

(ख) क्या भारत सच्चे प्राच्य रत्नों का निर्यात करता है ; और

(ग) क्या बिना तराशी हुई मरकत-मणियों का बिना शुल्क आयात होने दिया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आयात शुल्क की आय का अभी इतनी जल्दी निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

हज की तीर्थ यात्रा

१४६०-ठ. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान हज यात्रा के इच्छुक भारतीय राष्ट्रजनों के अभ्यावेदनों की ओर आकृष्ट हुआ है जिनमें यह प्रार्थना की गई है कि उनके जद्दा जाने के लिये जहाज पर चढ़ने के लिये कलकत्ता पत्तन को फिर से खोल दिया जाय ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार से उक्त यात्रा करने वाले भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या इतनी पर्याप्त है कि उनकी यात्रा की व्यवस्था कलकत्ता पत्तन से की जा सकती है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि हज यात्रियों को बंबई पत्तन पर एक विशेष पंजीयन-कर देना पड़ता है ; और

(घ) क्या इससे प्राप्त धन का प्रयोग उक्त यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए ही किया जाता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) भारत सरकार का यह विचार नहीं है कि आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार के भारतीय यात्रियों की संख्या इतनी पर्याप्त है कि कलकत्ता पत्तन को हज यात्रा के लिये फिर से खोलना उचित होगा । इस विचार से केन्द्रीय हज समिति के सदस्य भी सहमत हैं ।

(ग) तथा (घ). यात्रियों को पार-पत्रों के स्थान पर तीर्थ-यात्रा-पत्र दिये हैं । इन सभी पत्रों को, चाहे वे कहीं से जारी किय गये हों, ६ रुपये प्रति तीर्थ-यात्रा-पत्र जमा करा कर बंबई की पत्तन हज समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है ।

इस प्रकार प्राप्त धन को बंबई की पत्तन हज समिति, कलकत्ता की विशेष हज समिति और अन्य राज्यों की हज समितियों में बांट दिया जाता है । ये सब समितियां हज को जाने वाले भारतीय यात्रियों के कल्याण का ध्यान रखने के एकमात्र प्रयोजनों से बनाई गई हैं ।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
१३ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, १३ मई, १९५३

सदन की बैठक नवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

९. १५ म०पू०

स्थगन प्रस्ताव

देहली में पुलिस द्वारा लाठी-प्रहार

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस का आशय अविलम्बनीय जन महत्व के एक विशेष विषय पर चर्चा करना है, अर्थात् "कल पौने आठ बजे शाम को, दीवान हाल, देहली, के निकट राह-चलतों दर्शकों तथा खरीदारों पर अमानुषिक तथा अकारण लाठी-प्रहार तथा देहली के एक एडवोकेट, श्री वी० पी० जोशी पर देहली पुलिस द्वारा अकारण आक्रमण।"

क्या माननीय गृह-मंत्री के पास इस विषय में कोई सूचना है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मेरे पास कोई यथार्थ सूचना तो नहीं है। परन्तु जो कुछ सूचना मुझे प्राप्त है वह इस प्रस्ताव में किए गए दोषारोपण के नितान्त प्रतिकूल है।

परन्तु मैं यह सुझाव देता हूं कि एक अल्प-सूचित प्रश्न रखा जाए जिस पर मैं सभी वास्तविक तथ्य सदन के सम्मुख रख सकूंगा तथा यह बतला सकूंगा कि देहली में क्या घटनाएं घट रही हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मुझे यह स्वीकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः अनुमति नहीं दी जाती है।

विशेषाधिकार का प्रश्न

एक सदस्य की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : नियमानुसार, कल दिए गए वक्तव्य तथा काश्मीर सरकार से डा० मुकर्जी की गिरफ्तारी के बारे में प्राप्त ए तार को देखते हुए, मैं समझता हूं कि अब विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। श्री देशपांडे की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति ने यह स्पष्ट निर्णय दिया था कि किसी संसद्-सदस्य को साधारण व्यक्तियों की तुलना में कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि उस गिरफ्तारी के बारे में कोई विशेष उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। केवल इतना अन्तर है कि गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को चाहिए कि इस सदन को गिरफ्तारी की सूचना दे दे। इस प्रकरण में यह कर दिया गया है। माननीय सदस्य विशेषाधिकार की पुष्टि के हेतु कुछ तर्क

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रस्तुत करना चाहते हैं परन्तु इस समय इस की अनुमति नहीं दी जा सकती । तार जो प्राप्त हुआ है वह पढ़ कर सुना दिया गया है ।

श्री एन० सी० चटजी (हुगली) : क्या आप मुझे एक अवसर देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति देने से पूर्व ज़रूरी है कि मेरा समाधान हो कि इस प्रकार का कोई प्रश्न है । यदि न हो तो अनुमति दे कर सदन का समय लेना कुछ आवश्यक नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्रीमान्, क्या म यह जतला सकता हूं कि श्री देशपांडे के प्रकरण में विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर सदन द्वारा कदापि विचार नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम तो मैं यह जानना चाहता हूं कि विशेषाधिकार का कैसा प्रश्न है ?

श्रीएन० सी० चटर्जी: विशेषाधिकार का प्रश्न यह है : प्रत्येक संसद् सदस्य को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी भाग राज्य अथवा राज्य-क्षेत्र में भ्रमण कर सकता है । अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत....

उपाध्यक्ष महोदय : और कुछ भी करे उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ?

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं यह नहीं कहता हूं । भारत के प्रत्यक नागरिक को देश भर में घूमने फिरने का अधिकार है । और फिर डा० मुकर्जी को तो, सम्वादों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जम्मू-काश्मीर जाने की अनुमति भी मिल चुकी थी । गुरदास-पुर के डिप्टी कमिश्नर ने डा० मुकर्जी को यह बतला दिया था.....

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : यह सत्य नहीं है । यह सम्वाद गलत है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें यह बतलाया कि उसे भारत सरकार से यह अनुदेश प्राप्त हो चुका है कि उन्हें जम्मू-काश्मीर राज्य में जाने दिया जाए । परन्तु जैसे ही उन्हों ने उक्त राज्य में प्रवेश किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । प्रत्यक संसद-सदस्य को किसी भी राज्य में जान का अधिकार है । जम्मू-काश्मीर राज्य एक भाग (ख) राज्य है और भारत के राज्य-क्षेत्र का एक भाग है । संसद् सदस्यों का कर्त्तव्य है कि केवल अपने विशेष निर्वाचन-क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व न करते हुए देश के सभी भागों की शिकायतों को सुनें और उन्हें यहां तक पहुंचाएं । श्री देशपांडे का प्रकरण इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ ही नहीं । डा० काटजू ने इसे केवल सदन-पटल पर रख दिया था । हमें इस पर चर्चा का अवसर नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : डिप्टी कमिश्नर द्वारा अनुमति यदि दी भी गई हो तो उस का कुछ भी प्रभाव राज्य विशेष के अधिकार पर नहीं पड़ता क्योंकि वहां की शान्ति तथा व्यवस्था के बारे में जितना ठीक वह जान सकते हैं दूसरा कोई नहीं जान सकता । इस विषय में एक संसद्-सदस्य तथा एक साधारण व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं । जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है उसे इस के बारे में सूचना रहनी चाहिए । यह सूचना हमें प्राप्त हो चुकी है । मैं अपनी अनुमति नहीं दे सकता हूं क्योंकि इस विषय में विशषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है :

सरदार हुक्म सिंह : (कपूरथला भटिंडा) श्री देशपांडे के प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट कभी इस सदन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई । क्या ऐसी स्वीकृति अथवा अनुमोदन के बिना उस रिपोर्ट को पूर्व-दृष्टान्त माना जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार किसी सदस्य को कोई

ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो सकते जो भारत के किसी अन्य नागरिक को प्राप्त न हो सकते हों। इस विषय में किसी प्रकार का विभेद नहीं हो सकता।

अनुपस्थिति के लिए छुट्टी

श्री बद्दम येल्ला रेड्डी, संसद्-सदस्य की सदन से ६० दिन तक अर्थात् ११ मार्च से १० मई १९५३ तक, अनुपस्थिति का सदन द्वारा संक्षमण किया गया।

राज्य परिषद से प्राप्त संदेश

संसद सचिव : राज्य परिषद् के सचिव से यह दो सन्देश प्राप्त हुए हैं कि :

"(१) १२ मई, १९५३, को उ ग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १९५३, जो लोक सभा द्वारा ५ मई, १९५३, को पारित हुआ था, राज्य परिषद द्वारा बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ है।

(२) १२ मई, १९५३, को पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विधान मंडल (अधिकार प्रत्योजन) विधेयक १९५३, जो लोक सभा द्वारा ३० अप्रैल, १९५३, को पारित हुआ था, राज्य परिषद् द्वारा बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ है।"

सदन-पटल पर रखे गए कागज

बाणिज्य मंत्री श्री करमरकर : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या एस० आर० ओ० ७४४, दि० २२ अप्रैल, १९५३, की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस ६३/५३]

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : मैं उन प्रकरणों का अर्द्ध-वार्षिक विवरण सदन-पटल पर रखता हूं जिन में ३१ दिसम्बर १९५२, को समाप्त होने वाले कालान्तर में भारत स्टोर विभाग, खंडन, द्वारा न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किए गए। [देखिए परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५७]

विन्धय प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक

खंड २ विधेयक का अंग बना।

खंड ३—(अनर्हता आदि का निवारण)।

श्री माधव रड्डी (आदिला बाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

ष्ठ १, पंक्ति १४ में यह शब्द, "and s[illegible]ll be deemed never to ha[illegible] disqualified"

("[illegible]र कभी अनर्हित न हुआ समझा जाएगा") निकाल दिए जाएं।

श्री बल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं करता हूं कि :

पृष्ठ १ में,

खंड ३ के स्थान में निम्न खंड आदिष्ट किया जाय :

"*3. prevention of disqualification for membership of the Legislative Assembly of Vindhya Pradesh*: It is hereby declared that the offices of the members of any District Advisory Council are not offices of profit under article 102 of the Constitution, from the date of this Act coming in to force."

("३—विन्ध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अनर्हता का निवारण : एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि से, किसी ज़िला मंत्रणा समिति के सदस्य संविधान के अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत लाभ-पद नहीं होंगे।")

संशोधन प्रस्तुत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों को यह जतला देना चाहता हूं कि दो वाद-विषय हैं : प्रथम यह कि क्या संसद् को एसी अनर्हता का संक्षमण अथवा उस से उन्मुक्ति का उपबन्ध करना चाहिए, और दूसरा यह कि क्या ऐसे उपबन्ध को भूतलक्षी होना चाहिए। इन दोनों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। यदि कोई नये वाद-विषय हों तो माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री बल्लाथरास : यह एक गम्भीर विचार का विषय है। संसद् को असीम अधिकार प्राप्त हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं तथा हमें उन के इच्छाओं की पूर्ति करनी है।

इस बात पर किसी को सन्देह नहीं है कि इस सदन को यह विधान पास करने का अधिकार है। परन्तु यह बड़े दुःख की बात है कि इस विधेयक का इतना कड़ा विरोध किया जाय।

यह तो कोई भी नहीं कहता कि इतने तुच्छ कारणों से, अर्थात् केवल लाभ-पद के कारण, इस सदन तथा देश के किसी भी विधान मंडल का कोई सदस्य अनर्हित समझा जाय। सभी की इच्छा है कि इस प्रकार की अनर्हताओं को हटाया जाय। इस बारे में किसी को मतभेद नहीं है। दूसरा वाद-विषय यह है कि संसद् को ऐसा विधान बनाने का अधिकार है। जब यह स्थिति है तो इस विधेयक का इतना अधिक विरोध क्यों किया गया है ?

पहले जब यह विषय संसद के समक्ष प्रस्तुत हुआ था तो यह सुझाव दिया गया था कि एक छोटी सी समिति नियुक्त कर दी जाय जो प्रमुख सदस्यों का साक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे पदों की सूची तय्यार करे जिन्हें लाभपद समझा जाना चाहिए अतः इस प्रकार से एक समान विधि की रचना हो सकती है।

परन्तु गत चार वर्षों में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया। हम यहां राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में आते हैं अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं, अतः जो भी विधान हम बनाएं वह समस्त देश के हित में होना चाहिए न कि किसी व्यक्ति विशेष के हित में। अब तक तो जो प्रयत्न अनर्हता निवारण के हेतु किए गए हैं वह हेतुके तथा अनियमित प्रकार के थे। जैसे जैसे आवश्यकता हुई विधि बना दी गई। सरकार का व्यवहार इस सम्बन्ध में बहुत कुछ अवैज्ञानिक प्रकार का रहा है।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं अनर्हता हटाए जाने का विरोधी नहीं हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : हम सामान्य चर्चा की ओर जा रहे हैं। माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि यह विधान भूतलक्षी होना चाहिए या नहीं। परन्तु इस संसद् को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बल्लाथरास : मुझे दो विषयों पर आपत्ति है। मुझे इस संसद के प्रत्यायुक्त अधिकार पर आपत्ति है। दूसरी बात तो प्रासंगिक सी है। प्रत्यायुक्त अधिकार के बारे में पर्याप्त चर्चा नहीं हो सकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की कि भविष्य के लिए यह अनर्हता हटा दी जाय। अतः संसद को इस चीज़ का अधिकार है। प्रश्न यह है कि क्या इस को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है। अन्यथा इस संसद को इस विधेयक के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

श्री बल्लाथरास : मेरा कथन यह है कि इस 'साधारण संसद' ने इस विधान के सम्बन्ध में 'असाधारण संसद' द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के बाहर कार्य किया है विशेषकर खण्ड ३ में जिस में भूतलक्षी प्रभाव देने की बात कही गई ह। वैधानिक संसद को, जिस के

पास असाधारण शक्तियां हैं, मैं ने 'असाधारण संसद्' कहा है और साधारण संसद वह है जिस को सामान्य शक्तियां प्राप्त हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इस संसद को जो विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है वह केवल एक प्रत्यायोजित अधिकार है जो उस को असाधारण संसद से प्राप्त हुआ है। यदि अनुच्छेद २४० न होता तो आप विन्ध्य प्रदेश विधान मण्डल के सम्बन्ध में कोई विधान नहीं बना सकते थे। उस उपबन्ध में कहा गया है कि :

> "खंड (१) में निर्दिष्ट कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी चाहे फिर उस में ऐसा कोई उपबन्ध अन्तर्विष्ट क्यों न हो, जो उस संविधान का संशोधन करता है, या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।"

इस विधेयक में कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जो सचमुच संविधान की अवहेलना करते हैं। उन को संविधान के संशोधनों के रूप में आना चाहिए न कि एक साधारण विधान के रूप में। यदि हम इस विधेयक को स्वीकार कर लेते हैं तो इस का अर्थ यह होगा कि हम अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत ही आप को संविधान के संशोधन स्वीकृत करने की शक्ति देते हैं। यह तो प्रत्यायोजन की सीमाओं से बाहर जाना हो जायगा। प्रत्यायोजन केवल एक सीमा तक आप में शक्ति निहित करता है, उस सीमा के बाहर आप नहीं जा सकते।

मेरा विधेयक के मूल सिद्धान्तों से मतभेद नहीं है। मेरा कथन तो यह है कि संविधान के अनुच्छेद २४० के आधीन प्रत्यायोजित शक्ति को सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसीलिये मैं समझता हूं कि प्रत्यायोजन के ऊपर निर्वचन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं इस सम्बन्ध में महान्यायवादी से कुछ स्पष्टीकरण की आशा करता था। पर वह इस की गहराइयों में अधिक नहीं गए। इस विषय में इस विधान के कुछ समर्थक विचारों का मैं ज़ोरदार विरोध करता हूं। मेरा विचार है कि यदि इस मामले में सरकार ने दलीय भावना से प्रेरित न हो कर निष्पक्ष रूप से काम लिया होता तो किसी ने भी इस का विरोध न किया होता। किसी भी प्रत्यायोजन के संबंध में उस का अभिप्राय और उस की भावना महत्वपूर्ण होते हैं। शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले को यह विश्वास होता है कि जिस को वह शक्ति दे रहा है वह उस प्रत्यायोजन के अभिप्राय और उस की भावना के अनुसार ही कार्य करेगा। यहां पर अभिप्राय बहुत बड़ा है। उस के अनुसार आप को यह शक्ति नहीं दी गई थी कि आप सम्पूर्ण संविधान के सिद्धान्त को चुनौती दें। कुछ सिद्धान्त और प्रक्रिया आप को दिए गए हैं। आप उन के विपरीत कदापि नहीं जा सकते हैं।

एक प्रश्न और है जिस पर किसी भी सदस्य ने ध्यान नहीं दिया है। जिस समय विन्ध्य प्रदेश विधान मण्डल के १२ सदस्य अनर्हत हो गए थे उसी समय से देश के सभी लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वे उन रिक्त स्थानों के लिए अपना चुनाव करवा सकें। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है और आप मुझे उस अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। यह कहां तक न्यायोचित है ? आप यह बताइए कि क्या इस निहित अधिकार से निर्वाचकों को वंचित रखने का आप को कोई प्रत्यायोजित अधिकार है ? मैं समझता हूं कि इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव देना गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना है। इस का परिणाम यह होगा कि आप निर्वाचकों को उन के संवैधानिक अधिकार से वंचित

[श्री वल्लाथरास]

रखना चाहते हैं। यह कार्यवाही संविधान के विरुद्ध होगी और साथ ही प्रत्यायोजित शक्ति के परे भी होंगी। इसी सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं यह कार्यवाही सभी विधि-सिद्धान्तों के विरुद्ध है। प्रोफेसर पफेनडार्फ, डाक्टर लुशिंगटन तथा एडमंड बर्क ने भी ऐसी कार्यवाही को अन्यायपूर्ण बताया है। सत्य तो यह है कि इस की उत्पत्ति स्थानीय पक्षपातों से हुई है और यह स्थानीय प्रयोजन के लिए है। इस में लोक कल्याण की भावना है ही नहीं। प्रवर समिति के प्रतिवेदन में भी यह बात कही गई है कि शक्ति के प्रत्यायोजन का दुरुपयोग हो सकता है जिस को रोकना आवश्यक है।

विरोधी दल जब कोई विचारणीय बात सामने रखता है तो उस को ध्यानपूर्वक सुन कर उस पर समुचित तथा निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए। उस को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है।

इस मामले के सम्बन्ध में एक प्रश्न और उठाया गया था जिस का किसी ने उत्तर नहीं दिया। प्रश्न यह था कि इस विधेयक में केवल उन्हीं लोगों को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है जो किसी पद पर आसीन रहे हैं। उन को तो अनर्हताओं से मुक्त कर दिया गया है, पर उन लोगों के मामलों पर कोई सोच विचार क्यों नहीं किया गया जो पहले किसी अन्य कारण से हटा दिए गए थे ?

मेरा कहना यह है कि इस प्रश्न पर हमें दलीय भावना को छोड़ कर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए। इस विधान को वैधानिक समर्थन कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। महान्यायवादी की राय पर भरोसा करने के बजाय यदि सरकार ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास निर्णयार्थ भेज दिया होता तो कहीं अधिक अच्छा होता। उस न्यायालय का निर्णय सब को मान्य होता। लेकिन हम देखते हैं कि इस विधान को जल्दी से स्वीकृत कराने के प्रयत्न हो रहे हैं। यह एक गलत तरीका है।

हम को इन सभी बातों पर सोच विचार करना है। इस सदन में कोई भी पक्ष विपक्षी दल के कर्तव्यों और कार्यों को नहीं समझता है। हम पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कुछ भी हो पर विपक्षी दल की बात सुनी ज़रूर जानी चाहिए। पारस्परिक मतभेदों को छोड़ कर उस के विचारों को अधिकतम महत्व देना चाहिए। उस की बातों को यूं ही टाल देना न्याय संगत तथा उचित नहीं है : इस सदन में विपक्षी दल के कुछ विचारों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है। इस बात की मुझे शिकायत है।

काम इस प्रकार करना चाहिए ताकि किसी को उस के सम्बन्ध में सन्देह न हो सके। इस विधेयक के सम्बन्ध में आपने चाहे कितनी ही सद्भावना से काम क्यों न लिया हो पर लोगों को आप पर सन्देह है। इस से आप को मुक्त होना है। यदि यह विधान उच्चतम न्यायालय के पास गया होता तो मेरे विचार से यह उस के द्वारा अनुचित ठहराया गया होता। ऐसी परिस्थितियों में अच्छा तो यह होगा कि यह विधेयक वापस ले लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : विचार की अवस्था समाप्त हो गई है। सदन ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है।

श्री वल्लाथरास : आप इस विधेयक को केवल अपने बहुमत के आधार पर ही स्वीकृत कर सकते हैं। हम तो केवल यह चाहते हैं कि हम उचित रूप से विधान बनाएं और वह ऐसा हो जो लोकमत को स्वीकार हो सके।

इस विधेयक में निष्पक्षता की झलक नहीं है। संसद अनुच्छेद १०२ का एक सामान्य

संशोधन स्वीकृत कर सकती है और सभी लाभ के पदों के सम्बन्ध में सभी अनर्हताओं की एक सूची दे सकती है। मैं अपने स्थान की एक शिक्षा सम्बन्धी सलाहकार परिषद का सभापति हूं। मैं ने न तो इसे स्वीकार किया है और न अस्वीकार क्योंकि मैं यहां की विशिष्ट स्थिति को जानता हूं। किन्तु ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन की सेवाएं देश की उचित प्रबन्ध के लिए आवश्यक हैं, उन को अवसर मिलना चाहिए। छोटे टुकड़ों में विभाजित विधान अच्छे विधान की कसौटी नहीं है क्योंकि विधान बनाने वाली समिति जनता की इच्छा की कोई परवाह नहीं करती, जनता की आलोचना, तथा समालोचना का इस समिति को कोई डर नहीं होता। यह समिति बिना किसी हवाले के विधान बना देती है। यदि यह समिति सदैव रहने वाली है तो चार वर्ष पूर्व ही इस की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए था और समस्त भारत के लिए एक सूची तैयार करनी थी। इस समिति ने ऐसा क्यों नहीं किया ? अतएव यह केवल इन बारह सदस्यों का मामला नहीं है। मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि यह अधिक वांछित है, यह अधिक सम्मानित है, कि इस स्थिति का अटलता और दृढ़ता से अड़ने की अपेक्षा जो कि आप अपने अधिकारों के आधार पर प्रयोग करना चाहते हैं, किन्तु ये अधिकार तो मतदान के द्वारा मान्य हो सकते हैं न कि सदन की एक राय से ऐसा करने की अपेक्षा हम को अनुच्छेद १०२ पर वैधानिक संशोधन के ढंग पर फिर से आ जाना चाहिए। कोई यह कह नहीं सकता कि इस की पृष्ठ भूमि वास्तविक नहीं थी। यह वास्तविक है। यदि आप की भावना अच्छी है तो आप सभी के विपरीत कार्यवाही क्यों नहीं करते केवल विन्ध्य प्रदेश के इन १२ सदस्यों के विरुद्ध क्यों करते हैं ? अतएव विधान की कठोर शर्तों के अनुसार इसे देखना चाहिए, अन्यथा इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेजना चाहिए, जिस का निर्णय, चाहे कुछ भी हो, मान्य होगा।

अभी आप अन्तिम निर्णय पर नहीं आय हैं और न आ सकते हैं। भविष्य के लिए यह सदन के सम्मान का प्रश्न है। चूंकि आप का बहुमत है केवल इसलिए इस विधान को पास करने का प्रयत्न न करो। यदि सदन के एक विशेष दल की यदि यही भावना है तो यह अच्छा नहीं है इस से एक बुरी धारणा बन जायगी। हम को राष्ट्र की साधारण बातों का साधारण रूप से विचार करना चाहिए।

इस मामले का शुद्ध विचारधारा से विवेचन होना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि स्थानीय बात के लिए विधान बनाया जाय। यदि यह मान लें कि इन १२ सदस्यों को फिर से चुनाव लड़ना होगा तो यह हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तयार न हो। साधारण व्यक्ति तो साधारण न्याय चाहता है जो सभी प्रकार की बुरी भावनाओं एवं छल इत्यादि से शुद्ध हो। मैं सदन में विचारार्थ अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार : एक दिन उस विधान सभा के अध्यक्ष ने घोषित किया कि ये १२ सदस्य कुछ अनर्हता के कारण सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। उन्हों ने इसे स्वीकार कर लिया और सभा भवन से बाहर चले गये। उस समय से ये सदस्य उस सभा के सदस्य नहीं हैं यहीं से हमें प्रारम्भ करना है। भारतवर्ष ही नहीं अपितु संसार के सभी देश यह जानते हैं कि ये सदस्य उस दिन से सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। हर व्यक्ति जानता है। एक वर्ष बीत गया है। अब संसद में हम यह कह रहे हैं कि विन्ध्य प्रदेश के ये सदस्य उस दिन के पश्चात से विधान सभा के सदस्य माने जायं। राष्ट्रपति ने ३१ मार्च १९५३ को अपने

[श्री नम्बियार]

घोषणा में यह बताया है कि अब ये वहां की विधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। नहीं ! अब हम कहते हैं कि २६ अप्रैल, १९५२ से इन को विधान सभा का सदस्य मान लेना चाहिए। क्या हमें ऐसा करने में ठीक है।

एक प्रवधिक भूल के कारण इन को अनर्हित कर दिया गया क्या हमें उस प्रवधिक भूल का अनुसरण करना है ? यह प्रवधिक भूल तो सभी के साथ लागू थी। मेरा तो यही निवेदन है कि इन १२ सदस्यों को और दूसरे व्यक्तियों से अलग नहीं करना चाहिए। यह प्रवधिक भूल तो सभी के लिए लागू है। इन्हीं १२ सदस्यों में कौन सी विशेषता है।

मैं तो समझता हूं कि इस के पीछे कोई बुरी भावना है। और वह बुरी भावना यह ह कि विन्ध्यप्रदेश में आपसी झगड़ों तथा मतभेद के कारण यह कांग्रेसी कुछ व्यक्ति विशष को चूर चूर कर देना चाहते हैं। इसके लिए वह सरकार के कुछ सदस्यों की सहायता तथा बहुमत वाले दल की सहायता और इसी कारण उन्हों ने एक निराली कार्यवाही—जिला परामर्श परिषद् की स्थापना, जो भारत में कहीं नहीं मिलेगी, की है।

उन्हों ने सोचा सम्भवत: इसके बहाने उन्हें कोई नौकरी ही मिल जाय। वहां उनको रखकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते थे। यह सभी कुछ इन जिला परामर्श परिषद के द्वारा होगा।

अतएव इस कार्यवाही का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी में कुछ सदस्यों को शासन सम्बन्धी कार्य सौंपने का था किन्तु निर्वाचन आयुक्त तथा राष्ट्रपति ने कहा कि यह अनुचित है आप ऐसा नहीं कर सकते और उन्हों ने इनको अनर्हित कर दिया।

इन को सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए और वहां कहें कि राष्ट्रपति तथा निर्वाचन आयुक्त का निर्णय गलत है। अतएव हम को विधान सभा में जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। किन्तु वे जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उन की स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा।

वे इस प्रश्न को लेकर यहां संसद में आय हैं कि वे जानते हैं कि यहां उन का बहुमत है। वह अपनी भूल को एक अवैध अधिनियम के द्वारा ठीक करना चाहते हैं। केवल भारत-वासी ही नहीं अपितु समस्त संसार आज उन की हंसी कर रहा है। कठिनाई तो यह है कि जिन के पास अधिकार हैं वे साधारण मनुष्यों की स्थिति का ध्यान नहीं रखते।

आप विधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं। मैं विधान के अनुसार चल रहा हूं। आप संविधान का प्रयोग इस प्रकार करना चाहते हैं कि यह आप के दल के हित में हो, आपका विचार यह नहीं रहता कि देश के साधारण व्यक्ति की साधारण आवश्यकताओं को यह उपयोगी हो। मुझ में और आप में यही अन्तर है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्य की स्थिति के विचार से यह संविधान अनुचित है। और यह भी मूलत: तथा नैतिक रूप में। आप चाहे कुछ भी कहें किन्तु साधारण मनुष्य तो यही सोचता है। और यही कारण है कि इस का विरोध हो रहा है। सरकार जब लोक कल्याण की भावना से कोई विधेयक रखती है तो हम सभी उसका समर्थन करते हैं। किन्तु इसके विपरीत जहां आप का स्वार्थ होता है तो हम उस का विरोध करते हैं। हम केवल विरोध की भावना से ही विरोध नहीं करते। इस विधेयक की प्रारम्भिक स्थिति में ही हम ने इस का विरोध किया था। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि चुनाव में ये १२ व्यक्ति फिर से निर्वाचित हो जांय। मैं तो कहता हूं कि ये १२ व्यक्ति विधान सभा में फिर से आ जायें क्योंकि

सरकार ने इन को धोखा दिया है । किन्तु सरकार ने चुनाव करने की मनाही कर दी है । चाहे हम में से कोई इस संसद् का सदस्य रहे या न रहे किन्तु इतना अवश्य सत्य है कि यह विधेयक जो लोकतंत्र विरोधी है अवश्य रहेगा जो संसद के सम्मान व उसकी ख्याति के लिए बड़ी बुरी बात होगी ।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नामनिर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि भाग ग राज्य अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने इन सदस्यों को अनर्हित किया है । इस अधिनियम में इन सदस्यों को अनर्हित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है ।

बिधि तथा अल्पसंख्यक––कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : यह अधिनियम में नहीं है । मुझे आप की जानकारी के लिए कहना होगा कि अधिनियम की धारा ४३ के अनुसार राष्ट्रपति को दिये गये अधिकारों के आधार पर एक आदेश जारी किया गया था । उस आदेश में यह अधिकार निर्दिष्ट है कि यदि किसी राज्य की विधान सभा का कोई सदस्य अनर्हित किया गया है तो भाग ग राज्य अधिनियम १९५१ की धारा १७ के अनुसार उस सदस्य का मामला राष्ट्रपति को निर्णय के लिए भेजा जायगा और राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा । ऐसा निर्णय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की राय भी ले सकता है तथा उस की राय के अनुसार अपना मत भी दे सकता है । ये दोनों खंड समान हैं जैसा कि आप संविधान में अनुच्छेद १०३ खंड (१) और (२) में भाग (क) तथा भाग (ख) राज्य और संसद के सदस्यों के बारे में है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि शब्द "अन्तिमता" से क्या अभिप्राय है । मैं कहता हूं कि यह सदन ही सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न नहीं है । और हम को यह मानना होगा । यह संविधान है जो सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है । संविधान सभा ने सदन के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होने पर जान बूझ कर अवरोध लगा दिया था ।

जब संविधान में हम 'अन्तिम' शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैं कहता हूं कि यह अन्तिम शब्द संसद के सम्बन्ध में होता है । आप सम्पूर्ण अन्तिमता को अनिष्ठित जब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप संविधान के अनुच्छेद १०३ में संशोधन प्रस्तुत नहीं करते और दो तिहाई बहुमत अपने पक्ष में नहीं कर लेते और यह नहीं कहते कि यह अन्तिम नहीं होगा । यह केवल तभी हो सकता है । यही तो प्रश्न है जिस का उत्तर मैं माननीय गृह-मंत्री से चाहता हूं ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : महान्यायवादी द्वारा दिए गये कुछ उदाहरणों के प्रयोग न किये जाने के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस विषय में सदन में विस्तृत रूप से कुछ नहीं कहा गया है ।

महान्यायवादी ने श्रीलंका के एक मामले "३२ अपील २६०" का निर्देश किया है । मेरे पास उस अपील का यहां अनुसरण नहीं किया जा सकता क्योंकि उस मामले में तो प्रिवी परिषद ने यह कहा था कि लंका पर विजय प्राप्त करने के कारण राजा को ऐसा करन का अधिकार है । हमारा विधायी अधिकार किसी विजय के कारण नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि वह मामला भूतलक्षी नहीं था, जैसा कि लार्ड डार्लिंग ने कहा है मुकदमा आरम्भ होने से पूर्व विधि पारित हो चुकी थी । अतः उस मामले को यहां दृष्टान्त रूप में नहीं माना जा सकता ।

विद्वान महान्यायवादी ने जेंकिन्स के वाद का भी उदाहरण दिया है जो कि असंगत है क्योंकि ब्रिटिश लोक सभा को विधियों में

[श्री वी० पी० नायर]

परिवर्तन करने का निर्बाध अधिकार है परन्तु इस संसद् के अधिकार संविधान द्वारा सीमित हैं। हम उस विद्यायी क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। अतः जेंकिंस का दृष्टान्त ठीक नहीं है। महान्यायवादी ऐसे विधान का समर्थन कर रहे थे जो कि लोकतंत्र पर नृषंस प्रहार है। इस सरकार का कोई भी तो सिद्धान्त नहीं है—लोकतन्त्र तो दूर रहा। प्रभुता के मद से चूर्ण होने पर विधि समाप्त होकर अत्याचार आरम्भ हो जाता है, इसलिये यह विधेयक हमारे सामने आया है।

गह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मुझे पता नहीं है इस वाद-विवाद में मेरे बोलने से कुछ लाभ भी होगा या नहीं। बोसवैल द्वारा रचित जोहनसन की जीवनी में लिखा है कि जब उन्हें किसी ने कहा "मेरे समझ में आपकी बात नहीं आती, श्रीमान्," तो उन्होंने उत्तर दिया "मैं आप को युक्ति देने के लिये वाध्य हूं, समझ देने के लिये नहीं।" यही बात मैं और विरोधी सदस्य एक दूसरे के विषय में कह सकते हैं। मैं भी नहीं समझ पाता हूं कि उन के मस्तिष्क किस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

आज प्रातः इस बहस को आरम्भ करने वाले मेरे माननीय मित्र ने लम्बी वक्तृता दी। इतनी अस्पष्ट वक्तृता को किसी न्यायालय में सहन नहीं किया जा सकता था। उन्हों ने शक्तियों के प्रदान करने के विषय में, प्रत्यायोजित विधान, उच्चतम न्यायालय आदि के विषय में कुछ कहा था। मेरे माननीय मित्र श्री एन्थनी ने बचपन की सी बात कही कि "दो प्रश्नों के विषय में मेरा समाधान हो जायगा तो मंत्री जी के पक्ष में मत दे दूंगा।" उन का समाधान कैसे हो, यही तो कठिनाई है।

सिद्धान्त यह है कि भाग 'ग' के राज्य संसद के अधिनियम से शासित होते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार—चाहे वह ठीक या गलत—भाग राज्यों के विधान मंडलों की सृष्टि संसद् के एक अधिनियम से हुई है। संसद् उन्हें समाप्त भी कर सकती है उन के विषय में जो चाहे कर सकती है। संसद् अन्य विषयों में चाहे प्रभुसत्ताधारी न हो परन्तु भाग ग के राज्यों के विषय में संसद् को सर्वोच्चय सत्ता संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है। संविधान में यह बात नितान्त स्पष्ट है। संसद् के विषय में कई उपबन्ध हैं। अनुच्छेद १०१, १०२, १०३ आदि संसद्-सदस्यों के विषय में हैं। एक अध्याय भाग क के राज्यों के विषय में है, एक अध्याय भाग ख के राज्यों के विषय में है, जिस में लिखा है कि भाग क के राज्यों सम्बन्धी सभी उपबन्ध, कुछ रूपभेदों सहित भाग ख के राज्यों पर भी लागू होंगे। भाग ग के राज्यों के विषय में तो विधि सर्वथा स्पष्ट है कि संसद् उन के विषय में विधि बना सकती है। भाग क या ख के राज्यों या संसद्-सदस्यों के विषय में जो उपबन्ध लागू हैं वे भाग ग के राज्यों के विषय में कदापि लागू नहीं हैं। यदि यह सिद्धान्त मान लिया जाये तो महान्यायवादी की विधि-सम्बन्धी राय हमारे सामने है ही—आप मेरी बात का मूल्य समझें या न समझें, हमें उन की राय का तो मूल्य स्वीकार करना ही होगा। उन्हों ने स्पष्ट कहा है कि भाग ग के राज्यों के विषय में संसद् को सांविधानिक प्राधिकार है। उन्हों ने कहा था "मुझे इस कार्यवाही के औचित्य से, कार्यवाही की नीति से कोई मतलब नहीं है। वह तो पृथक बात है। वह राजनैतिक मामला है। परन्तु जहां तक इस कार्यवाही की वैधता का प्रश्न है, इस में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता।"

दूसरी बात यह है कि उन बारह सदस्यों के विरुद्ध और लोकतन्त्र तथा दलबन्दी के विषय में और शक्ति के मद से

चूर्ण कांग्रेस द्वारा १२ सदस्य भेजने की इच्छा के विषय में सभी प्रकार की बातें कही गईं हैं; परन्तु अप्रैल १९५२ में यह कार्य पूर्ण सदिच्छा से किया गया था; यह एक प्रकार का सामान्य नियम था जिस से कोई अन्तर नहीं पड़ा। प्रान्तीय विधान-मंडल के सभी सदस्यों का जिला प्रशासन से परामर्शदाताओं के रूप में सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था जिस से कि वे जिला प्राधिकारियों को बता सकें कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। नियमों में यह व्यवस्था है कि वे दिन प्रति दिन के प्रशासन में और पदाधिकारियों के स्थानान्तरण में हस्तक्षेप नही कर सकते—वे समूचे जिले के लोक-कल्याण से सम्बन्धी प्रश्नों पर ही विचार कर सकते हैं, व्यक्तिगत प्रश्नों पर नहीं। ऐसा किया गया।

फिर सम्पूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ : क्या वह कोई पद है और यदि है तो क्या वह लाभ-पद है ? बेचारी विन्ध्य प्रदेश सरकार ने इन मंत्रणा-परिषदों का गठन करने से पूर्व विधि-सम्बन्धी राय ली और उन्हें सक्षम व्यक्तियों ने मंत्रणा दी कि यह तो लाभ-पद होगा ही नहीं, अतः अनर्हता का कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं।

फिर उन्होंने सभी सदस्यों को सम्मिलित कर लिया और वे भी सरकार के कहने से सदस्य बन गये—इच्छा से या अनिच्छा से। अक्तूबर १९५२ में विन्ध्य प्रदेश विधान-सभा के एक सदस्य ने इस प्रश्न को फिर उठाया। जब सदस्य महोदय का अभिवेदन प्राप्त हुआ तब हमें यहां यह मंत्रणा दी गई कि यह लाभ-पद तो है ही नहीं, परन्तु अपना विनिश्चय देने से पूर्व हम ने इसे निर्वाचन आयोग को भेज दिया जैसा कि भाग क तथा ख के विधान मंडलों के सदस्यों के विषय में किया जाता है। आयोग ने निर्णय दे दिया और हमें पूर्ण विश्वास है कि विधि को ठीक प्रकार नहीं समझा गया है, चाहे कुछ भी हो, त्रुटि को दूर करने के लिये तो कुछ करना होगा ही।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि संसद् की शक्तियां प्रत्यायोजित हैं। मैं इस बात को नहीं समझ पाता अतः इस का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

दूसरा प्रश्न यह था कि इसे उच्चतम न्यायालय को सौंप दीजिये। संसद् की सत्ता या किसी विधान के निर्माण में संसद् की सक्षमता के प्रश्न को उच्चतम न्यायालय के पास भेजना अत्यन्त अवांछनीय होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के पास अपना काम करने के लिये है। निसंदेह, ऐसा एक अनुच्छेद है कि, राष्ट्रपति किसी विशेष प्रश्न को उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ सौंप सकेगा, परन्तु जब कि हमारे समक्ष एक विधेयक है तो संसद् को इस का उत्तरदायित्व लेना चाहिये। और स्मरण रहे कि अधिकांश मामलों में यदि हम यह समझें कि विधि का उच्चतम न्यायालय ने समुचित निर्वचन नहीं किया है तो हम विधि का संशोधन कर सकते हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : संविधान का संशोधन ?

डा० काटजू : सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम को लीजिये।

श्री फ्रैंक एन्थनी : इस प्रकरण में आप को संविधान में संशोधन करना होगा।

डा० काटजू : हम इस विषय पर फिर आयेंगे।

संविधान में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जो यह कहता हो कि संसद् कोई विधान पारित नहीं कर सकती। संघ सूची मौजूद है। उस में कुछ मदें दे रखी हैं जिन के बारे में संसद् को विधियां बनाने का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता का उदाहरण लें। यदि उच्चतम न्यायालय उस के किसी उपबन्ध के बारे में कोई विशेष मत प्रकट करता है तो संसद्

[डा० काटजू]

को उस के सम्बन्ध में अपना निर्वचन देने का अधिकार है। उसे उस विशेष उपबन्ध की व्याख्या करने का अधिकार है, तथा यह कहने का भी कि उस का अर्थ प्रारम्भ से यही समझा जायगा। हमें अपने इस उत्तरदायित्व को निभाना चाहिये। केवल इस आधार पर कि एक विशेष अनुच्छेद के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की राय मांगी जा सकती है हम किसी विधान को रोक रखने को तैयार नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय की अपनी विशेष प्रणाली है। हो सकता है वह एक वर्ष ले ले। एक आपत्ति यह की गई है कि यह विधि भूतलक्षी नहीं होनी चाहिये। परन्तु, यही तो इस विधान का एकमात्र उद्देश्य है। इसी पर तो गत दो दिन से चर्चा चल रही है। इसे भूतलक्षी बनाने का विशेष महत्व है। यदि ऐसा न किया जाय तो वह १२ सदस्य-विशेष उस दिन से पूर्णतः अनर्हित समझे जायेंगे जिस दिन विन्ध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधि-सूचना निकाली गई थी। यदि उस के पश्चात् एक दिन के लिये भी वह विधान सभा में उपस्थित हुए हों तो उन से ५०० रुपया वसूल किया जा सकता है यदि इस विधान को भूतलक्षी न बनाया जाए तो वह निरर्थक सा होगा। मैं इस विषय में एक उदाहरण दे चुका हूं। १९५१ में एक अधि-नियम पारित हुआ था जिस के अन्तर्गत कुछ एक कमीशनों को लाभपद ठहराया गया था। इन कमीशनों में कुछ एक विरोधी पक्षों के सदस्य भी थे। परन्तु यह अनर्हत हटा दी गई थी। प्रश्न केवल यह है कि क्या यह एक केवल टैक्नीकल सी चीज है या नहीं, क्या यह न्यायोचित है या नहीं। और इस के लिये कितने ही पूर्व दृष्टान्त मौजूद हैं। (**अन्तर्बाधा**) प्रश्न यह है कि अनर्हता का निवारण उस दिन से होता है जब वह सदस्य बने थे। यह नहीं कहा जा सकता कि अनर्हता उस दिन से लागू होती है जिस दिन इस की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाये।

दोनो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना।

खंड ४—(तारण इत्यादि)

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति २४ से २८ में से निम्न शब्द निकाल दिये जायें :

"and they shall be . . . before the passing of this Act."

("और वह होंगे . . . . इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व।")

इस संशोधन से मेरा उद्देश्य यह है कि यदि अपने स्थानों के रिक्त घोषित होने के पश्चात् भी वह लोग विधान सभा में जा कर बैठे हों तो इस के फलस्वरूप वह जिस दंड के भागी होते हैं उस से उन्हें रक्षण नहीं मिलना चाहिये।

डा० काटजू : परन्तु यही तो सब से अधिक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री बिस्वास : वह लोग राष्ट्रपति के आदेश के प्रख्यापन की तिथि के बाद से विधान सभा में नहीं बैठे हैं परन्तु सम्भवतः उस से कुछ दिन पूर्व बैठे थे।

श्री नम्बियार : जब उन्हों ने एक बार एक दंडनीय अपराध कर दिया है तो उन्हें उस का दंड अवश्य मिलना चाहिये। दस या पन्द्रह वर्ष के पश्चात् भी वह इस से कदापि बच नहीं सकते। उन्हें संसद् में अधिनियम पास कर के बचाया नहीं जा सकता। अनुच्छेद

१०३ में स्पष्ट दिया गया है कि यदि कोई अनर्हता हो तो उस के बारे में राष्ट्रपति का आदेश लिया जाना चाहिये तथा उन का निर्णय अन्तिम समझा जाना चाहिये। राष्ट्रपति के निर्णय के अन्तर्गत वह अनर्हित हो चुके हैं, अतः उन्हें इस का फल भुगतना ही चाहिये। संसद् देश भर के लिये है, एक दर्जन विशेष व्यक्तियों की हित-रक्षा के लिये नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पांच रुपये ले कर अब उन्हें पांच सौ वापस देने चाहियें ?

श्री नम्बियार : पक्षपात का त्याग करते हुए उन्हें यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

डा० काटजू : जहां तक मुझे ज्ञात है, राष्ट्रपति का आदेश लागू होने के पश्चात्, २ अप्रैल, १९५३ से निर्वाचन आयोग के निर्णय या उस की मंत्रणा के अनुसार इन १२ सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया है। परन्तु उस से पहिले यह सन्देह तथा विवाद का विषय था और वे विधान सभा की कार्यवाहियों में भाग ले रहे थे। परन्तु मुझे यह बताया गया है कि इस प्रकार के मामलों में यह प्रारूपण की बात होती है और इन सभी अधिनियमों में प्रायः इस प्रकार का उपबन्ध निर्दिष्ट होता है। महान्याय-वादी ने जिन मामलों का निर्देश किया था और १९५१ में इस सदन में जो अधिनियम पारित किया गया था उन के सम्बन्ध में हम ने ब्रिटिश लोक सभा के पूर्व दृष्टान्तों का अनुसरण किया था। यह उपबन्ध किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस विषय में कोई विवाद हो। यह प्रस्ताव बिल्कुल साधारण है और इस में प्रारूपण की सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १ की पंक्ति २४ से २८ तक में से निम्न लिखित निकाल दिया जाय :

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

अनुसूची विधेयक का अंग बना ली गई।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम इत्यादि)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित कर दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक को पारित कर दिया जाये।"

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : जब विन्ध्य प्रदेश की विधान सभा के एक सदस्य ने यह विवाद उठाया था तो सरकार के वैधानिक सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दी थी कि विवादास्पद पद लाभ का पद नहीं था। अतः उन्हों ने उस सारी चीज को उसी प्रकार चलने दिया और उस विषय में निर्वाचन आयुक्त का निर्णय मांगा। वे स्वयं इस का निश्चय नहीं करना चाहते थे। अतः उन्हों-ने राष्ट्रपति को भाग ग राज्यों की सरकार के

[श्री राघवाचारी]

अधिनियम को संशोधित करने की सलाह देने का निश्चय कया। निर्वाचन आयुक्त ने जो सम्मति दी संविधान के उपबन्धों के अधीन उसे ही माना जाना था किन्तु वह उस सलाह के विपरीत निकली जो कि पहिले सरकार को दी गई थी। क्योंकि यह निर्णय उन की मंत्रणा के अनुरूप नहीं है और क्योंकि उन के पास शक्ति है और उन का बहुमत है, अतः वे इसे रद्द करवाना चाहते हैं।

यदि इसी आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो संसद् से इस की स्वीकृति की आशा नहीं करनी चाहिये। यह एक बहुत ही खतरनाक पूर्वदृष्टान्त होगा। यह विधेयक केवल इस भावना पर आधारित है कि संविहित अधिकारी का निर्णय सरकार को दी गई मंत्रणा के अनुरूप नहीं है और इसलिये गलत है, अतः वे इस निर्णय को स्वीकार करना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में इस का अर्थ यह है कि हमारी जो भी सम्मत्ति है देश को उसे मानना ही चाहिये; न्यायालय को उस निर्णय या सम्मति के अनुसार ही कार्य करना चाहिये। यह एक बहुत ही खतरनाक पूर्व-दृष्टान्त है। अतः मैं इस का विरोध करता हूं।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र ने जो आपत्ति उठाई है उस में वस्तुतः कोई सार नहीं है। कई बार जब कोई न्यायालय कोई निर्णय करता है ——और पुराने समय में जब प्रिवी कौंसिल द्वारा कोई निर्णय किया जाता था—तो सरकार उस के विषय में वैधानिक सम्मति पूछती है कि क्या उस निर्णय से संसद् का अभिप्राय पूरा हो जाता है या नहीं। प्रति दिन ऐसा नहीं किया जाता। हम सब बड़े उत्सुक हैं .....

श्री राघवाचारी : आप ने यह बात बिल्कुल नहीं बतलाई।

डा० काटजू : हम प्रति दिन ऐसा नहीं करते। हम साधारण विषयों के सम्बन्ध में न्यायपालिका के निर्णय को मान लेते हैं। किन्तु यदि यह कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो उस निर्णय को रद्द करने के लिये उस के विपरीत एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

किन्तु मैं इस आधार पर बिल्कुल नहीं चल रहा हूं। विद्वान महान्यायवादी ने कहा था कि ऐसे अनेकों पूर्वदृष्टान्त हैं जिन में कि संविहित अधिकारी ने किसी को अनर्ह घोषित किया हो——चाहे वह यहां का निर्वाचन आयोग हो, या वहां ब्रिटिश लोक सभा की कोई समिति हो; उस के बाद यह प्रश्न उठता है कि क्या यह लाभ-पद है या नहीं। मान लीजिये कि यह है, तो यह प्रश्न उठता है——क्या उस व्यक्ति ने सद्भाव से कार्य किया है, क्या वह अनर्ह घोषित किये जाने के योग्य है। यह बात कि निर्वाचन आयोग ने किसी विशेष प्रकार का निर्णय दिया है—— उस के कोई विशेष मंत्रणा दे देने के कारण, यह संसद् लोकतन्त्रात्मक संसद्, जो कि सम्पूर्ण भारत की प्रतिनिधि है, ऐसा करने में अशक्त है, और शरारत को दूर करने के लिये किसी भूल को सुधारने के लिये या निर्वाचकों के साथ न्याय करने के लिये कुछ नहीं कर सकती, ऐसी बात है जिसे कि मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि उन्हें यह नहीं समझना चाहिये कि हम कोई बुरा पूर्वदृष्टान्त प्रस्तुत कर रहे हैं या हम परिनियम के उपबन्धों या परिनियम की भावना या उस के शब्दों के विरुद्ध जा रहे हैं या संविधान द्वारा निर्मित किसी अधिकारी के अधिकारों की अवहेलना कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "विधेयक को पारित कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सम्पदा शुल्क विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"सम्पदा शुल्क के आरोपण तथा एकत्रीकरण की व्यवस्था के लिये, प्रवर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक गत नवम्बर में पैंतीस व्यक्तियों की एक समिति को सौंपा गया था और विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कुछ सदस्यों ने समिति के विचारार्थ कतिपय सुझाव दिये थे । दो बातें जिन पर कि कतिपय सदस्यों ने विशेष रूप से बल दिया था ये थीं कि छूट की सीमा—अर्थात् खण्ड ३४—जहां तक कि कोई सम्पदा शुल्क नहीं देना पड़ेगा तथा अन्य कोई छटें—जो कि खण्ड ३२ में दी हुई हैं—विधेयक में ही निर्दिष्ट कर दी जाये जिस से कि इस विषय में कोई मिथ्या आशंका न रहे ।

वाद विवाद के उत्तर में मैं ने कहा था कि सरकार छूट की सीमा को पुनः समाविष्ट करने या छूटों तथा कमियों सम्बन्धी उपबन्धों के बारे में या किसी प्रकार की आशंका को दूर करने के लिये किसी भी सुझाव का स्वागत करेगी । मुझे प्रसन्नता है कि प्रवर समिति ने इन दोनों बातों के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार कर के इन की व्यवस्था कर दी है और छटें तो विधेयक में ही सम्मिलित कर ली गई हैं । छूटों की चर्चा करते समय बाद में मैं इन का भी उल्लेख करूंगा ।

प्रवर समिति ने इस विधेयक पर कितना समय लगाया है और कितना परिश्रम किया है वह इसी बात से ज्ञात हो जाता है कि इस सम्बन्ध में प्रवर समिति की इक्कीस बैठकें हुईं और अन्तिम बैठक तक सुधार, रूपभेद और संशोधन किये जाते रहे । समिति ने कतिपय निकायों द्वारा उस के समक्ष प्रस्तुत किये गये ज्ञापनों तथा तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं, अर्थात् इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, पंजाब व्यापार मंडल तथा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के संघ के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई साक्ष्य पर भी विचार किया था । अतः प्रवर समिति से प्राप्त विधेयक काफी संशोधित रूप में है । एक अर्थ में यद्यपि मेरे माननीय मित्रों सर्व श्री वी० पी० नायर तथा के० के० बसु ने अपनी सम्मति में मतभेद प्रकट किया है, किन्तु इस के बावजूद भी यह विधेयक बहुत सुधरा हुआ है, क्योंकि सदस्यों ने इस में अधिक से अधिक मतैक्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ।

प्रवर समिति द्वारा जो महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं, जिन का कि इस विषय की जटिलता को ध्यान में रखते हुए मुझे बार बार निर्देश करना पड़ेगा, उन पर कुछ कहने की अपेक्षा मैं सामान्य जनों की भाषा में यह बतलाना चाहता हूं कि इस शुल्क को लगाने की क्या योजना है । कहा जाता है कि विधेयक के कतिपय उपबन्धों की भाषा बड़ी उलझी हुई है और वास्तव में कुछ तो यहां तक कह डालते हैं कि यह समझ में नहीं आती । अतः यदि मैं संक्षेप से इस विधेयक के उपबन्धों की व्याख्या कर दूं तो इस से सदन को सम्भवतः इस पर विचार करने में सहायता मिले ।

सब से पहिले हम विधेयक के प्रभारात्मक उपबन्धों तथा इस के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे । खण्ड ५, ६ और ७ प्रभारात्मक उपबन्ध हैं और खण्ड २० में प्रभार का क्षेत्र प्रख्यापित है । सम्पदा शुल्क सभी प्रकार की सम्पत्ति के मूलधन पर लिया जा सकता है, चाहे वे

[श्री सी० डी० देशमुख]

तयशुदा हों या न हों, इस में अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यों में स्थित कृषि योग्य भूमि भी आ जाती है, जो कि किसी व्यक्ति की मत्यु पर दूसरे को मिल जाती है या यह समझा जाता है कि मिल जायेगी। भारत से बाहर स्थित अचल सम्पत्ति, अर्थात् जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर किसी भी अवस्था में, इस माने हुए अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त के आधार पर कि अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकार उस देश की विधियों के अनुसार चलता है जिस देश में कि वह सम्पत्ति स्थित हो, इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं आती। भारत में स्थित सारी चल और अचल सम्पत्ति पर शुल्क लिया जायेगा चाहे मृत व्यक्ति भारत का अधिवासी हो या न हो।

[श्री पाटस्कर अध्यक्ष-पद पर आसीन]

भारत से बाहर स्थित चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में, यदि मृत व्यक्ति भारत का अधिवासी हो अथवा वह किसी समझौते के अन्तर्गत आजीवन किरायेदार रहा हो, यदि समझौता करने वाला उस समझौते के लागू होने के समय भारत का अधिवासी हो, तो सम्पदा शुल्क लिया जायेगा।

यह बतलाना आवश्यक है कि सम्पदा शुल्क एक परिवर्तन शुल्क है जो कि मृत व्यक्ति की सम्पदा के हस्तान्तरण पर जो कि उस की मृत्यु के पश्चात् होता है, लिया जाता है। यह सारी सम्पदा को ध्यान में रखता है और केवल उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता जिस को कि वह सम्पदा मिलनी हो। अतः यह उत्तराधिकार शुल्क से भिन्न है जो कि किसी उत्तराधिकारी से उस के पूर्वाधिकारी की मृत्यु पर उसे अपने आप मिली हुई सम्पत्ति पर लिया जाता है। इस सिद्धान्त को सदन पहले ही स्वीकार कर चुका है। प्रवर समिति के प्रति वेदन की द्वितीय कण्डिका में इस विषय में निर्देश भी किया हुआ है और प्रशासनात्मक सुविधा जैसे किसी अन्य कारण के अतिरिक्त, मैं समझता हूं कि प्रवर समिति का यह कारण भी बहुत विश्वासजनक है कि यदि हम अब किसी अन्य बात की ओर ध्यान दिये बिना पुनः उत्तराधिकार शुल्क की योजना को अपना लें तो हम संघ की सूची में एक और प्रविष्ट कर रहे होंगे और हमें यह सारी प्रक्रिया आरम्भ से फिर दोहरानी पड़ेगी।

जो सम्पत्ति किसी की मृत्यु के पश्चात् दूसरे को मिल जाती है वह तो सरलता से जानी जा सकती है, या उसे सरलता से जान लेना चाहिये, किन्तु विधि में उस सम्पत्ति पर भी शुल्क लगाने की व्यवस्था की जा रही है जिस के विषय में कि यह समझा जायेगा कि वह मृत्यु के उपरान्त दूसरे को मिल जायेगी। यदि विधि की यह गाथा इस में न होती, तो सम्भवतः कोई भी शुल्क प्राप्त न होता। क्योंकि सारी सम्पत्ति के मृत्यु के पश्चात् नहीं, अपितु मृत्यु से पूर्व ही दूसरे को मिल जाने की व्यवस्था की जा सकती थी और इस प्रकार विधि का प्रयोजन निष्फल किया जा सकता था।

खण्ड ६ बहुत संक्षिप्त है और इतना सीधा-सादा है कि इस से भ्रान्ति हो सकती है और इसमें यह लिखा है कि मृत व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय जिस सम्पत्ति को बेच सकता था वह उस की मृत्यु के उपरान्त दूसरे को मिली हुई समझी जायेगी। "सम्पत्ति" शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया गया है और इस में ऐसी कोई भी चल या अचल सम्पत्ति सम्मिलित है जो कि उसे मिल गई हो या भविष्य में मिलने की आशा हो; उस के विक्रय से प्राप्त धन, अथवा विक्रय से प्राप्त धन का कोई विनियोग भी सम्मिलित है। इस में किसी व्यक्ति द्वारा उस की सम्पत्ति

के बदले लिया हुआ ऋण या अन्य कोई अधिकार अथवा ऋण का शोधन, या दूसरे के हित के लिये दिया गया कोई अधिकार भी सम्मिलित है। किसी व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति बेचने का तभी अधिकार है यदि उसे वे सब सामान्य अधिकार प्राप्त हैं जो कि किसी भी वयस्क व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और जिन के द्वारा कि वह सम्पत्ति को बेच सकता है ।

"मृत्यु के पश्चात्" की अभिव्यक्ति अर्थात् मृत्यु के निर्देश द्वारा ही जिस कालावधि का निश्चय किया जा सकता है, की परिभाषा भी विधेयक में बताई गई है। इस के अन्तर्गत तुरन्त अथवा निश्चित रूप से अथवा संभावना द्वारा, और या मूलत: अथवा तथा कथित आदिष्ट की जाने वाली परिसीमा से अर्थात् यदि व्यक्ति मर गया हो तो अन्य व्यक्ति के स्थान में, आता है । किसी सम्पत्ति अथवा बार्षिकी पर ब्याज जो व्यक्ति की मृत्यु पर समाप्त हो जाता है उस की मृत्यु पर उस सीमा तक हस्तान्तरित हो जाएगा जहां तक लाभ होता है अथवा जितना ब्याज प्राप्त करने वाले को मिलता है। इस उपबन्ध में उत्तराधिकारियों के सदस्य का मामला भी आता है जिस का मूल अर्थ स्वामित्व की एकता है और कोई सदस्य यह सिद्ध नहीं कर सकता कि उस का कोई निश्चित भाग है अथवा सम्पत्ति के निबटारे का अधिकार है। तो भी इस देश में बच्चों के अधिक मरण को ध्यान में रखते हुए यह शुल्क तभी भारित होता है यदि वह व्यक्ति १८ वर्ष का हो जो मर गया है अथवा यदि उस का पुरुष पूर्वज परिवार में उत्तराधिकारी न हो तो एसे उत्तराधिकार सम्बन्धी हितों के सम्बन्ध में भारित होता है। ब्याज को लेने वाले पर शुल्क नहीं लगता जहां मृत व्यक्ति पदाधिकारी होने अथवा न्यासाधिकारी होने के नाते हित रखता हो, क्योंकि इस से कोई लाभ प्रोद्भूत नहीं होता अथवा पदाधिकारी या न्यासाधिकारी की मृत्यु के कारण उत्पन्न नहीं होता। प्रवर समिति ने खंड ७ की परिभाषा में स्पष्टीकरण के लिए यह जोड़ दिया है कि स्थान का अधिकारी न तो पद का अधिकारी है और न ही निगम अधिकारी है और इसलिए उस की मृत्यु द्वारा हित प्राप्त करने पर शुल्क लगेगा। खण्ड ७ के विरोध में प्रवर समिति ने इस संशोधन की ओर निर्देश किया है, जो संशोधन इस न किया है क्योंकि यह इस प्रकार की संस्था है जो दक्षिण में पाई जाती है ।

अब पुरस्कारों सम्बन्धी उपबन्धों की ओर आता हूं । इस विषय से सम्बन्धित खण्ड ८, ९, तथा १० हैं । मृत्यु सम्बन्धी पुरस्कार अर्थात् मृत्यु के समय दिए जाने वाले पुरस्कार जो खण्ड ३२ की विमुक्तियों के अधीन है, भार अधीन लाए गए हैं क्योंकि वे भी मृत्यु के पश्चात् आरम्भ होते हैं। क्योंकि पुरस्कार देने वाला अपनी मृत्यु से पूर्व सकल हितों को नहीं दे देता इसलिए पुरस्कार मृत्यु के पश्चात दिया गया समझा जाता है। जीवन काल में पुरस्कार देकर शुल्क निवारण पर रोक लगाने के लिए दो वर्ष की कालावधि निश्चित की गई है जिस में दिए गए पुरस्कार मृत्यु पश्चात दी गई सम्पत्ति के क्षेत्र में आ जाते हैं। लोक पूर्त प्रयोजनों के लिए दिए पुरस्कारों के मामलों में कालावधि ६ मास है। इस विषय में प्रवर समिति ने श्रेष्ठ माध्यम ढूंढा है । ऐसे विचार भी रखे गए जिन में दोनों मामलों में कालावधि को बढ़ा देने अर्थात् एक मामले में ५ वर्ष और दूसरे अर्थात पूर्त संस्थाओं के सम्बन्ध में एक वर्ष कर देने की इच्छा व्यक्त की गई। दूसरा विचार यह था कि कालावधि कम कर दी जाय अथवा कोई कालावधि न रखी जाए। इन विभिन्न विचारों में यहां तक कहा गया कि क्योंकि यह विधेयक गत ७ वर्ष जनता के समक्ष रहा है इसलिए कालावधि संयुक्त राज्य की तरह कम से कम

[श्री सी० डी० देशमुख]

५ वर्ष रखनी चाहिये । यह विषय एक निमति टिप्पण में दिया गया है । दूसरे थे जो कहते थे कि कम से कम पूर्त प्रयोजनों के लिए दिए गए पुरस्कारों के लिए कोई कालावधि नहीं होनी चाहिए । यदि पूर्त प्रयोजनों के लिए कोई कालावधि नहीं होगी तो इन्हें विलम्बित कर दिया जाएगा व्यवहारत: वे मृत्यु के समय के पुरस्कार बन जायेंगे और हमारे विचार में वे अधिकतया बच जायेंगे क्योंकि ऐसे पुरस्कारों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए अधिक अच्छे प्रमाणों की प्रत्याशा नहीं की जा सकती । दूसरे पुरस्कारों के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि बीच का पथ अर्थात दो वर्ष, सब प्रासंगिक विचारों के आधार पर उपयुक्त है । क्योंकि पुरस्कार से सम्पत्ति का हस्तान्तरण अथवा देना अभिप्रेत है, तो दो वर्ष की कालावधि जिस में पुरस्कार देने वाले का अधिकार अथवा उपभोग नहीं रहेगा, पुरस्कार के वास्तविक और निश्चित होने को सिद्ध करेगा । जहां पुरस्कार देने वाले का सम्पत्ति में कुछ हित रहे, और यह हित मृत्यु से दो वर्ष पूर्व न दिया जाए तो यह निश्चित है कि उस पर सम्पदा शुल्क देना होगा ।

अब मैं शुल्क परिहरण को रोकने से सम्बन्धित उपबन्धों की ओर आता हूं । शुल्क परिहरण को रोकने के लिए बनाए गए कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में शिकायत की जाती है कि उन का अनुसरण कठिन होगा । निस्सन्देह वे बहुत उलझे हुए और प्रावैधिक हैं परन्तु यदि उद्देश्य की व्याख्या की जाए तो वे समझ में आ जाते हैं । इस श्रेणी में खण्ड ११ से २६ तक हैं । यदि मृत्यु पर समाप्त होने वाले हित का मृत्यु से २ वर्ष पूर्व किसी प्रकार निबटारा किया जाए अथवा निश्चय किया जाए तो उस पर शुल्क भारित होगा । प्रवर समिति में प्रासंगिक खण्ड अर्थात खण्ड ११ में यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया कि यह खण्ड चाहे हित का एक विनिमय द्वारा अथवा एक से अधिक सम्बन्धित कार्यों द्वारा निबटारा अथवा निश्चय किया जाए, लागू होगा । तोड़ दिये जाने योग्य निबटारे अधीन सम्पत्ति अथवा ऐसी सम्पत्ति जिस में मृत अपने काम के लिए अथवा अपने सम्बन्धियों के लाभ के लिये कोई हित रखता हो, शुल्क से भारित होगी और ऐसा है लगाई हुई संयुक्त पूंजी के सम्बन्ध में यदि मृत ऐसी पूंजी का असली स्वामी हो । खण्ड ३२ में उल्लिखित विमुक्तियों के अधीन पुरस्कारदाता के हित के लिए रखी गई (Life Insurance Policy) जीवन बीमा के अधीन ली गई धन राशि चाहे नाम निर्देशित अथवा सौंपी हुई हो उस सम्पत्ति के अन्तर्गत आती है जो मृत्यु पर दी गई समझी जाती है । यदि मृत ने पूरी किश्त दी हुई हो तो सारी धन राशि पर शुल्क लगेगा और किश्तों का कुछ भाग मृत व्यक्ति ने दिया हो तो उस अनुपात से वह भारित होगी । मृत व्यक्ति द्वारा निबटारा की गई किसी सम्पत्ति में से अथवा ऐसे निबटारे से उत्पन्न होने वाली आय में से दी जाने वाली किश्तें उस द्वारा दी गई समझी जायेंगी । मृत व्यक्ति द्वारा खरीदे गए अथवा प्रबन्ध किए गए वार्षिकी अथवा हित पर उस सीमा तक शुल्क भार लगगा जहां तक उस की मृत्यु के पश्चात लाभदायक हित उत्पन्न हुआ हो । उस व्यक्ति के शुल्क भार से बचने पर रोक लगाने का उद्देश्य है जो अपने जीवन काल में ऐसी किश्तों के शोधन आदि द्वारा सम्पत्ति को घटा दें जो उस की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न अथवा प्रोद्भूत होने वाले अथवा लाभदायक हित के रूप में फिर दृष्टिगोचर हो । शुल्क भार उस हित अथवा वार्षिकी पर लगा दिया गया है जिस का प्रबंध यद्यपि प्रत्यक्षत: मृत व्यक्ति ने न किया हो

परन्तु वस्तुतः अंशतः अथवा पूर्ण उस सम्पत्ति पर निर्भर हो जो उस की हो ।

अब हम खण्ड १७ पर आते हैं जिस का सम्बन्ध मृत व्यक्ति द्वारा नियंत्रित समवाय को हस्तान्तरित सम्पत्ति से है । इस मामले में मृत व्यक्ति के भाग का मूल्य नहीं जिसे हस्तान्तरित समझा जाएगा वरन नियंत्रित समवाय की सम्पत्ति का ऐसा अनुपात है जो उस समय समवाय की मूल कुल आय और मृत व्यक्ति की मृत्यु तक के गत तीन वर्षों में उस व्यक्ति द्वारा उपभुक्त लाभों में है । मूलतः "नियंत्रित समवाय" की परिभाषा बोर्ड द्वारा नियमों में विहित करने के लिये छोड़ दी गई थी, परन्तु प्रवर समिति ने "नियंत्रित समवाय" की परिभाषा निविष्ट करने के लिए इस खण्ड का संशोधन कर दिया । एक 'नियंत्रित समवाय' परिभाषा द्वारा वह समवाय है जो पांच व्यक्तियों से अधिक के नियंत्रणाधीन हो और यह संचित शर्त है, और जो सहायक समवाय नहीं और जिस में जनता वस्तुतः अभिरुचि नहीं रखती । एक समवाय जिस में जनता वस्तुतः अभिरुचि रखती हो आयकर अधिनियम की धारा २३—क में इन्हीं आधारों पर परिभाषित है, अर्थात् २५ प्रतिशत से अधिक मतदान की शक्ति रखने वाले भाग बिना शर्त के दिए गए अथवा जनता द्वारा बिना शर्त लिए गए और भाग उन के अधिकारियों द्वारा स्वच्छन्दतापूर्वक हस्तान्तरण के योग्य हैं । समवाय का नियंत्रण करन वाले व्यक्तियों की संख्या का निश्चय करने के लिए, सम्बन्धी उदाहरणतः पति, पत्नी, पूर्वज, परम्परागत उत्तराधिकारी एक दूसरे के बहन अथवा भाई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नामनिर्देशित हैं तथा उस अन्य व्यक्ति सहित तथा अंश भागी व्यक्ति आदि, वह सब क्रमानुसार एक व्यक्ति समझे जायेंग ।

एसी सम्पत्ति के मृत व्यक्ति द्वारा स्थिर निर्णय और निबटारे के मामले में जिस का वह स्वयं न्यासाधिकारी हो, निबटारा की गई सम्पत्ति का मूल्य तभी अपवर्जित किया जाएगा यदि सम्पत्ति का अधिकार और उपभोग लाभ प्राप्त करने वाले ने मृत्यु से कम से कम पांच वर्ष पूर्व ले लिया हो । पांच वर्ष के स्थान पर दो वर्ष की कालावधि आदिष्ट कर के प्रवर समिति ने इस खण्ड (यह खण्ड २१ है) को अधिक कठोर बना दिया है क्योंकि उन के विचार में बच्चों इत्यादि के हित में न्यासों की रचना से बच निकलने के लिए बहुत गुंजाईश छोड़ देगी ।

फिर प्रवर समिति ने खण्ड २६ को भी जिस का सम्बन्ध सम्बन्धियों को सम्पत्ति देने से है, संशोधित किया है । इस संशोधन का यह प्रभाव है कि सम्बन्धियों के हित में किए गए निबटारों को वस्तुतः पुरस्कार समझा जाएगा और वे तदानुसार पारित होंगे जब तक यह न बताया जाए कि निबटारा पूरे मूल्य अथवा आंशिक मूल्य के लिए किया गया है जिस पर आंशिक मूल्य की राशि सम्पत्ति के मूल्य से घटाई जाएगी। किसी वार्षिकी अथवा अन्य हित की रचना जो मृत व्यक्ति की मृत्यु पर समाप्त होनी हो इस प्रयोजन के लिए मूल्य नहीं समझी जाएगी और न ही नियंत्रित समवाय द्वारा प्राप्त किया गया मूल्य समझी जाएगी । किसी वार्षिकी के मूल्य रूप में, मृत्यु पर समाप्त होने वाला नियंत्रित समवाय के हित में किया गया निबटारा ऐसा समझा जाएगा जैसा कि निबटारा सम्बन्धी के लिए किया गया हो जब तक यह न बताया जाए कि मृत के जीवन काल में मृत का कोई सम्बन्धी समवाय का सदस्य नहीं था ।

अब हम एक व्यक्ति की मृत्य पर सम्पत्ति के दिए जाने अथवा दी गई समझी जाने के अपवादों की ओर आते हैं । मृत व्यक्ति द्वारा न्यासाधिकारी के रूप में अधिकृत सम्पत्ति का अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया निबटार उस की मृत्यु पर किया गया नहीं समझा

[श्री सी० डी० देशमुख]

जाएगा। किसी सम्पत्ति के निबटारे के मामले में जहां किसी व्यक्ति का हित इस से पूर्व कि यह अधिकार का हित बन जाए असफल हुआ हो अथवा सिद्ध हो गया हो, तो सम्पत्ति मृत्यु पर दी गई नहीं समझी जाएगी। एक व्यक्ति की मृत्यु पर, जिसे जीवन भर का हित सौंपा गया हो वैध हस्तान्तरण करने वाले को चली जाने वाली सम्पत्ति अपर व्यक्ति की मृत्यु पर दी गई नहीं समझी जाएगी।

जहां पति अथवा पत्नी ऐसी सम्पत्ति की आय के अकेले अथवा इकट्ठे अधिकारी हों जिस का निबटारा अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किया गया हो और उन में से एक की मृत्यु पर जीता रहने वाला सकल सम्पत्ति का नहीं परन्तु उस की आय का अधिकारी हो गया हो तो जीवित रहने वाले की मृत्यु तक उस पर सम्पदा शुल्क नहीं लगेगा।

अब हम अपवादों तथा सहायताओं पर आते हैं। विवाह से सम्बन्धित दलों में से एक की मृत्यु पर निबटारे की तिथि से किसी सम्पत्ति के किये गये निबटारे के सम्बन्ध में यदि सम्पदा शुल्क दे दिया गया हो तो अन्य दल की मृत्यु पर कोई सम्पदा शुल्क नहीं लगेगा जब तक अपर व्यक्ति उस की मृत्यु पर अथवा निबटारे की अवधि में सम्पत्ति का निबटारा करने के लिये सक्षम न हो और यदि उस की मृत्यु पर निबटारे अधीन बाद की परिसीमायें लागू हों तो वह उस की मृत्यु के समय स्वतन्त्र रहा हो अथवा सम्पत्ति का निबटारा करने के लिये सक्षम होते हुए किसी समय स्वतन्त्र रहा हो।

केन्द्रीय सरकार को अन्य देशों के साथ दुगना कराधान परिवर्जन समझौते करने की शक्ति देने वाला उपबन्ध भी बनाया गया है। जहां ऐसा कोई समझौता नहीं है वहां पर किसी विदेश में दिया गया सम्पूर्ण शुल्क अथवा उस का एक भाग विदेशी सम्पत्ति के मूल्य में से काट लिया जायेगा। प्रवर समिति ने देय सम्पदा शुल्क में से मृतलेख-प्रमाण, शासनाधिकार-पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिये दी गई फीस की राशि की कटौती के लिए भी एक उपबंध निविष्ट किया था, पर यह कटौती सम्पदा शुल्क के १।६ भाग से अधिक नहीं हो सकती।

इस के अतिरिक्त उस में द्रुत-उत्तराधिकार के लिये सहायता है। द्रुत-उत्तराधिकार सहायत प्रवर समिति द्वारा भूमि तथा व्यवसाय को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति पर दी गई थी और उन्हों ने यह भी व्यवस्थित किया कि प्रथम मृत्यु के तीन महीनों के अन्दर महामारी आदि से होने वाली दूसरी मृत्यु पर कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।

इस विषय पर विभिन्न मत हैं क्योंकि कुछ लोगों का यह विचार है कि द्रुत-उत्तराधिकार भूमि तथा व्यवसाय को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति पर नहीं दिया जाना चाहिये विशेषकर अनुत्पादक सम्पत्तियों पर जैसे कि जवाहरात, जैसा कि श्री नायर और श्री बसु के विमति-टिप्पणी में कहा गया है। तीन महीने के अन्दर होने वाली दूसरी मृत्यु पर विमुक्ति के सम्बन्ध में भी आपत्ति कुछ ऐसी ही है। दूसरे लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि यदि पांच वर्ष के अन्दर दूसरी मृत्यु हो तो पूर्ण विमुक्ति होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में अन्य बहुत से देशों के उपबन्धों की मैं ने तुलना की है। मैं समझता हूं कि लगभग ४३ ऐसे देश हैं जहां सम्पदा शुल्क लगाया गया है, और मेरे विचार से प्रवर समिति द्वारा सभी सम्पत्ति को सहायता दे कर और तीन महीने के अन्दर होने वाली दूसरी मृत्यु को विमुक्त कर के उपबन्धों को उदार बनाया जाना एक दृष्टिकोण से उचित है और दूसरे विचार बिन्दु से पर्य्याप्त है।

अपने पति की मृत्यु के सात वर्ष के अन्दर मरन वाली एक हिन्दू विधवा का हित विमुक्त है, यदि ऐसा हित समांशिता के सदस्यों को मिलता है । प्रवर समिति द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सहायता हिन्दू विधवाओं पर लागू होती है चाहे वे मिताक्षर अथवा दायभाग सम्प्रदाय द्वारा शासित होती हों ।

कुछ विशिष्ट विमुक्तियां खंड ३२ में समाविष्ट हैं जो निम्नलिखित हैं :--

(१) मृत्यु के छै महीनों के अन्दर सार्वजनिक पूर्त प्रयोजन के लिये दिये गये २५०० रुपये तक के दान ।

(२) मृत्यु के दो वर्ष के अन्दर दिय गये १५०० रुपये तक के अन्य छोटे दान ।

(३) घरेलू सामान, औजार, इत्यादि, २५०० रुपये की सीमा तक ।

(४) वे पुस्तकें जो बिक्री के लिये नहीं हैं--और इस की कोई आर्थिक सीमा नहीं है ।

(५) पहनने के कपड़े उस में सिले हुए बहुमूल्य जवाहरात को छोड़ कर । यहां पर भी कोई आर्थिक सीमा नहीं है ।

(६) सम्पदा शुल्क के भुगतान के लिये दिये गये और देय शुल्क की राशि की सीमा तक सरकार को सौंपे गये बीमा पत्रों पर देय धन राशियां ।

(७) ५००० रुपये तक के अन्य जीवन-बीमा पत्रों पर देय धन राशियां ।

(८) तसवीरें, चित्रकारियां, कला कृतियां इत्यादि जो कि परिवार में रोक रखी गई हैं अथवा सरकार या किसी विश्वविद्यालय या किसी लोक-संस्था को अन्तिमेच्छा द्वारा दान कर दी गई है ।

(९) अन्य तस्वीरें इत्यादि जो मद (८) के अन्तर्गत नहीं आतीं और जो परिवार में रोक रखी गई हैं और बिक्री के लिये नही हैं । यहां पर भी कोई आर्थिक सीमा नहीं है ।

(१०) प्रत्येक आश्रित स्त्री रिश्तेदार के विवाह के लिये ५००० रुपये तक के किये गये दान अथवा अलग किया गया धन ।

आप यह देखेंगे कि उन मदों का, जिन के सम्बन्ध में, कोई आर्थिक सीमा निश्चित की गई, कुल जोड़ लगभग १६,५०० रुपय है, इस में मद (१०) के आधीन केवल एक स्त्री आश्रित सम्मिलित है । इस के अतिरिक्त, अन्य मदें ऐसी हैं, जिन के लिये कोई आर्थिक सीमा नहीं है । इस में काफी हद तक एक पूर्ण सूची और धन की एक पर्य्याप्त मात्रा आ जाती है ।

ऐसी किसी भी मदों के सम्बन्ध में, जो ऊपर की सूची में नहीं आतीं, अधिसूचना द्वारा सहायता स्वीकृत करने की अवशिष्ट शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित की गई है । इस सम्बन्ध में, इस संशोधन के पीछे छिपे हुए अभिप्रायों के बारे में कुछ माननीय सदस्यों के गहरे संशय सर्वथा निराधार हैं । इस का नरेशों की सम्पत्ति के बा रे में कोई संभव निर्देश नहीं है । हम ने इस खण्ड को इस सामान्य रूप में क्यों छोड़ दिया है इस का कारण यह है कि कुछ ऐसी आपातिक परिस्थितियां होती हैं जिन में कोई सहायता मांगी जाती है लेकिन जिन के लिय सामान्य मदों के बीच कोई व्यवस्था करना आवश्यक नहीं प्रतीत

[श्री सी० डी० देशमुख]

होता । उदाहरण के लिये, एक लड़ाई का छिड़ जाना । आप यह देखेंगे कि यहां युद्ध-मृत्यु के बारे में कोई निर्देश नहीं है और हो सकता है कि उस युद्ध में हुई मृत्यु के मामले में किसी प्रकार की छूट मांगी जाय । मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं पर मैं यह बात फिर दुहराता हूं कि इस खण्ड के समावेश का किसी विशेष वर्गों के लोगों की सम्पत्ति के साथ कोई संभव सम्बन्ध नहीं है ।

अब मैं सम्पत्ति के एकत्रीकरण तथा शुल्क की दरों के प्रश्न पर आता हूं । अन्य आदेय सम्पदा पर देय शुल्क की दर निश्चित करने के लिये अनुसूची के बाहर के राज्यों में स्थित कृषि-भूमि भी जोड़ ली जायेगी । खण्ड ३२ के आधीन विमुक्त सम्पत्ति का मूल्य भी सम्मिलित किया जायगा । यदि ऐसा न किया गया होता तो जितना ही बड़ा दावा होगा उससे भी बड़ी विमुक्ति की सीमा होगी जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होगी । इस में कोई सन्देह नहीं है कि दर के प्रयोजनों के लिये विमुक्त सम्पत्ति को भी सम्मिलित करना होगा । ब्रिटेन में जीवन-बीमा पत्रों के लिय विमुक्ति अथवा स्त्री आश्रितों के लिय व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं ह । लेकिन उस सम्पत्ति के संबंध में जिसमें संयुक्त हिन्दू परिवार सम्पत्ति का कोई हित सम्मिलित है ५०,००० रुपये तक की विमुक्ति सम्पत्ति अथवा किसी दूसरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में ७५,००० रुपये सर्वथा विमुक्त हैं । यह भेद सम्पत्ति के प्रकार के आधार पर किया गया है, अर्थात् वह सम्पत्ति जो एक स्वार्जित सम्पत्ति के प्रकार की ह और जो एसी नहीं है और जो, हमारे विचार से, किसी भी प्रकार संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करती । तथ्य तो यह है कि ऐसा भेद एक सयुक्त हिन्दू परिवार की आय, जो दूसरों की आय से भिन्न है, के सम्बन्ध में आयकर-अधिनियम के अन्तर्गत पहले से ही विद्यमान है । जहां पर एक सम्पदा में दोनों प्रकार की सम्पत्तियां होती हैं, वहां पर शुल्क की एक आनुपातिक आधार पर गणना करने का ढंग निकाला गया है और खण्ड में निगमित कर लिया गया है ।

दूसरा और एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण का है । सम्पदा शुल्क सम्पत्ति के मुख्य मूल्य पर देय होती है और उस की गणना मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय अथवा उस के शीघ्र बाद खुले बाजार में उस के लिये मिलने वाले मूल्य के आधार पर करनी पड़ती है । मूल्य का अनुमान लगाने में मृतक व्यक्ति की मृत्यु के फलस्वरूप हुए किसी भी मूल्यापकर्ष पर भी विचार किया जायगा । पर इस बात पर कोई विचार नहीं किया जायगा कि सारी सम्पत्ति एक ही समय में बाजार में रखी जानी है । यह आधारभूत सिद्धान्त है जिस पर मूल्य निर्धारण किया जाता है । उन व्यक्तिगत कम्पनियों के, जिन में अंश के अन्य-संक्रामण पर एक प्रतिबन्ध होता है अंशों का मूल्य निर्धारण इस धारणा पर किया जायगा कि वह अंशधारी पंजीबद्ध होने का अधिकारी हो जायेगा । आपेक्षित हित के सम्बन्ध में शुल्क तब देय होता है जब कि वह अधिकार में आता है । पर यदि उत्तरदायी व्यक्ति फौरन ही शुल्क देना चाहता है तो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय का विपर्यस्त मूल्य निश्चित किया जायेगा । मृत व्यक्ति की मृत्यु पर समाप्त हो जाने वाले हित का मूल्य ऐसी सम्पत्ति के मुख्य मूल्य के आधार पर निश्चित किया जायेगा जिस से उतनी आय प्राप्त होगी जो मृतक व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई आय के बराबर है । अतः सामान्य रूप से मूल्य-निर्धारण नियंत्रक द्वारा एसे साधनों और तरीके से किया जाता है जो कि

बोर्ड विहित करे । बोर्ड चाहे तो वह उचित समय भी विहित कर सकता है जब कि नियंत्रक द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है ।

अब स्वीकार के योग्य कटौतियों पर आइये । १००० रुपये तक के अंत्येष्ठी क्रिया सम्बन्धी व्यय घटाये जा सकते हैं । यह बहुमत का विचार है ।

अन्य ऋणों तथा उत्तरदायित्वों में मृत्यु की तिथि तक के कराधान-उत्तरदायित्व सम्मिलित है चाहे वह परिगणित हो अथवा बाद में परिगणित किया जाने वाला हो । शुद्ध मूल्य की गणना करने में इन को स्वीकार करना है । महर-ऋणों के लिये ५००० रुपय तक छूट दी गई है । हो सकता है कि, हम को यह निश्चित करना पड़ कि वाद विवादों से बचने के लिये ये ऋण किसी प्रकार के लेख के द्वारा साक्षीकृत हों । परन्तु मृतक व्यक्ति द्वारा बनाये गये किसी भी कृत्रिम ऋणों के लिये कोई भी कटौती नहीं की जायगी । विदेशी सम्पत्ति के प्रशासन में हुए व्यय केवल पांच प्रतिशत तक स्वीकार किये जायेंगे ।

इस के उपरान्त हम इस प्रश्न पर आते हैं कि उत्तरदायी व्यक्ति कौन है ? नियंत्रित कम्पनियों को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में, कम्पनी तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी की वितरित आस्तियां प्राप्त करता है, उत्तरदायी हैं । दूसरे मामलों में, उत्तर साधक, वैध प्रतिनिधि, प्रत्येक न्यासधारी अथवा अभिभावक और प्रत्यक वह व्यक्ति जिस के पास कोई भी लाभाधिकार है वह कर्त्तव्य के लिये उत्तरदायी है और उस को मृत्यु के छै महीने के अन्दर सम्पत्ति का एक हिसाब भेजना पड़ेगा । सब उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से और अलग अलग उत्तरदायी होते हैं, पर अपने अधिकार की सम्पत्ति से अधिक नहीं । एक ऐसे हित के निबटारे के, जो मृत्यु पर समाप्त हो जायगा, न्यासधारियों को स्पष्ट रूप से उत्तरदायी बना दिया गया है चाहे उन्हों न सम्पत्ति त्याग ी हो अथवा नहीं ।

जहां तक शुल्क के निर्धारण, एकत्रीकरण तथा प्रत्यर्पण का संबंध है, सभी उत्तरदायी व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य है कि वे मृत्यु की तिथि के छै महीने के अन्दर अपनी सम्पत्ति का हिसाब नियंत्रक को भज दें । जहां पर एक प्रशासन अनदान के लिये प्रार्थनापत्र दिया जाता है, उत्तरसाधक को नियंत्रक के पास सारी सम्पत्ति के लेखा के एक विवरण के साथ मूल्य निर्धारण के शपथ-पत्र की एक प्रति भेजनी पड़ती है । आवेदक को प्रतिनिधित्व के अनुदान का अधिकार देने वाला आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि नियंत्रक का एक प्रमाणपत्र नहीं पेश किया जाता जिस में यह लिखा हो कि शुल्क दे दिया गया है या दे दिया जायेगा, अथवा कोई शुल्क बाकी नहीं है । नियंत्रक किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति से सम्पत्ति का लेखा देने को कह सकता है और यदि वह व्यक्ति उस आज्ञा को नहीं मानता है अथवा लेखा नहीं भेजता है तो नियंत्रक दंड दे सकता है । जहां पर किसी सम्पत्ति की छूट के कारण अथवा अन्यथा सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण न्यून आगणित हुआ हो, नियंत्रक उस व्यक्ति से लेखा को संशोधित करने के लिये कह सकता है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह (नियंत्रक) उस के कथन को सुनन के बाद शुल्क निर्धारित कर सकता है । जहां किसी ने कोई लेखा न दिया हो, नियंत्रक एक लेखा तैयार करवा सकता है और उस को एक उत्तरदायी व्यक्ति के पास उस की स्वीकृति के हेतु भेज सकता है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह देय शुल्क की राशि निश्चित कर सकता है ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

जब भी कोई राशि देय निश्चित की जाती है तो नियंत्रक उत्तरदायी व्यक्ति को एक मांग की सूचना देगा । पेचीदा मामलों में बोर्ड एक आवेदनपत्र के आधार पर सम्पदा शुल्क का सन्धान स्वीकार कर सकता है, जहां पर शुल्क का निर्धारण कई मौतों, जिन पर सम्पत्ति दूसरे को मिली हो, के कारण अथवा अन्यथा कठिन हो । मृत्यु की तिथि से १२ वर्ष बीत जाने पर शुल्क के निर्धारण के लिये कोई कार्यवाही नहीं आरम्भ की जा सकती । २० वर्षों तक न दिया गया कोई शुल्क बोर्ड द्वारा माफ किया जा सकता है । वह राशि देने पर एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा । सम्पदा शुल्क मृत्यु की तिथि से देय हो जाता है और वह अचल सम्पत्ति पर पहला भार होता है । अचल सम्पत्ति पर शुल्क के सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्ति शुल्क को आठ वार्षिक अथवा सोलह अर्ध-वार्षिक बराबर किस्तों में, चार प्रतिशत ब्याज अथवा उस अधिक ब्याज के साथ जो सम्पत्ति से प्राप्त होता है , देने का अधिकार मांग सकता है ।

कोई भी अधिक्य शुल्क दो माह के अन्दर लौटाया जा सकता है और अतिरिक्त देय शुल्क का भुगतान भी उसी समय के अन्दर हो जाना चाहिये ।

तत्पश्चात्, मैं अपीलों तथा निर्देशों के प्रश्न पर आता हूं । नियंत्रक द्वारा निश्चित की गई सम्पदा शुल्क के विरुद्ध अपील मंण्डल के सम्मुख आती है । अपील ९० दिन के अन्दर कर दी जानी चाहिये । यदि झगड़ा सम्पत्ति के मूल्य से सम्बन्धित है, और पुनरावेदक चाहता है तो मण्डल दो मूल्यांकन करने वाले, एक मण्डल द्वारा नामांकित तथा दूसरा पुनरावेदक द्वारा नामांकित के पास यह प्रश्न निर्णय के लिये भेजा जा सकता है यदि मंडल चाहे तो । इस का व्यय उस पक्ष को करना पड़ेगा जिस की ओर से इस का निर्देशन मूल्यांकन करने वालों के पास भेजा गया था । मतभेद के मामले समझौते से तय किये गये तृतीय मूल्यांकन करने वाले के पास भेजे जाते हैं या समझौते से तय न होन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किये गये मूल्यांकन करने वाले के पास । जिन में पुनरावेदक को अपने द्वारा भेजे जान में पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है तो उस पक्ष को कहां तक व्यय उठाना पड़ेगा यह मण्डल के निर्णय पर छोड़ दिया गया है । मूल्यांकन करने वालों का निर्णय अन्तिम निर्णय होता है कानूनी प्रश्न पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निर्देश कर दिया जाता है ।

कुछ मिनट में होने वाली मत-विभिन्नता के पर्यवेक्षणों से निर्णय करन पर एक अनुचित अभिनति जान पड़ती है कि नियंत्रक के निश्चय के विरुद्ध अपील एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के सम्मुख जानी चाहिय, मण्डल के पास नहीं । जैसा कि मैं ने सदन में भारतीय आयकर (संशोधित) विधयक पर वाद विवाद के सिलसिले में व्याख्या की थी कि यदि अपील पूर्णतया प्रशासन विभाग के बाहर की किसी संस्था के पास होती है तो निश्चय ही कानूनी शब्दों के अनुसार पूर्ण अनुकूलता लाने के हित में किसी न किसी प्रकार की कठोरता का पालन किया जाता है । दूसरी ओर, विभाग द्वारा की गई अपील के मामले में अधिक लचीलापन हो सकता है और सदैव होता भी है, जो पूर्णतया नवीन विधान में जैसा कि यह है, ऐसे मामले में आवश्यक हो जाता है। और यही दृष्टिकोण एक अत्यन्त आवश्यक संस्था के प्रतिनिधिमों द्वारा रखा गया था जिस ने प्रवर समिति के सम्मुख अपना प्रमाण प्रस्तुत किया था । उन्होंने बताया: "हमारे अपने युद्धकाल के

आधिक्य लाभकर अनुसन्धान के अनुभव ने यह दिखा दिया कि यह हमारे लिये बड़ा अच्छा उपाय हो सकता है यदि यह मामला केन्द्रीय राजस्व मंडल द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में ही तय करन के लिए छोड़ दिया जाय, क्योंकि हम जो चाहते थे, वह यह था कि केन्द्रीय राजस्व मण्डल एक पुनर्वाद प्राधिकारी या उच्च न्यायालय का न्यायाधिकरण जितना उदार हो सकता था, उस से ये कहीं अधिक उदार था।" अब इस में होने वाली बाधा को बिना आवश्यक रूप से स्वीकार किये हुए मैं निवेदन करता हूं कि उसी मार्ग का अनुसरण करना पूर्ण बुद्धिमानी होगी, कम से कम अपने अनुभव के इस प्रारम्भिक काल में। कुछ अन्य देशों में स्थिति यह है। संयुक्त राज्य अमरीका में प्रथम अपील बोर्ड आफ टैक्स अपील्स के पास की जाती है जो सरकार की कार्यकारिणी शाखा की एक एजेन्सी है। आस्ट्रेलिया में पहली आपत्ति सम्पदा शुल्क के आयुक्त पर है। दक्षिण अफ्रीका में, मूल्यांकन का प्रश्न मध्यस्थ निर्णय पर छोड़ दिया गया है। ९५ प्रतिशत मामलों में उस सम्पत्ति के मूल्यांकन के प्रश्न से संबंधित होगी जिस के सम्बन्ध में मूल्यांकन करन वाला व्यक्ति मण्डल द्वारा दो स्वतन्त्र मूल्यांकन करने वालों को निर्देश करन की आवश्यकता समझता है। न्यायाधिकरण के सभी प्रकार की सम्पत्ति के कुशल मूल्यांकन करने वालों की अधिक संख्या मिलने की आशा हम नहीं कर सकते। और तत्पश्चात् यदि अपील किसी स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के पास होती तो उन्हें मूल्यांकन का प्रश्न कुशल मूल्य निर्धारण करने वालों को निर्देश करना पड़ता। इस दृष्टि से, मण्डल के पास अपील जाना निश्चय ही अधिक पसन्द किया जायगा क्योंकि जैसा कि मैं ने कहा कि प्रशासनीय पदाधिकारी पूर्णतः पुनर्विवाद प्राधिकारी की अपेक्षा कम कड़े होंगे।

तत्पश्चात् प्रश्न यह है कि सम्पदा शुल्क पदाधिकारी कौन कौन हैं और प्रशासनीय उपबन्ध क्या हैं? सम्पदा शुल्क के प्रशासन कार्य संभालने वाले पदाधिकारी केन्द्रीय राजस्व मण्डल, नियन्त्रक तथा मूल्य निर्धारण करने वाले हैं। अन्तिम पदाधिकारी यथा मूल्य निर्धारण करने वाले स्वतन्त्र होंगे, विभिन्न व्यवसायों के शिक्षित व्यक्ति और उन का एक मण्डल केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा जो उन के द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क की दर भी तय करेगा। ये मूल्य निर्धारण करने वाले जैसा कि मैं कह चुका हूं, स्वतन्त्र होंगे, और मण्डल द्वारा जारी किये जाने वाले विभागीय निर्देश इन पर लागू नहीं होंगे। सम्पदा शुल्क निर्धारित करने का कार्य नियंत्रकों द्वारा जिन में उप-नियंत्रक एवं सहायक नियंत्रक भी सम्मिलित हैं, किया जायगा।

मैं सदन को अन्य कार्य सम्बन्धी उपबन्धों जैसे अस्त शुल्क का भूमि कर के अवशिष्ट के रूप में जिलाधीश के द्वारा जमा करना, सूचना का पहुंचाना तथा विनिमय करना, नोटिसों का पहुंचाना, सूचना का प्रकट न करना, तथा मण्डल की नियम बनाने की शक्तियों आदि के लिये कष्ट नहीं दूंगा। ये साधारण उपबन्ध हैं जो किसी कर लगाने वाले परिनियम के लिये आवश्यक हैं।

यह कहा जा चुका है कि सभी अच्छी वस्तुयें प्रतीक्षा करने योग्य हैं, और इस उपाय के विषय में, हम ने लगभग आधा तपस कर लिया है, लगभग छै वर्ष तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्।

एक माननीय सदस्य : तपस् का समय है .....

श्री सी० डी० देशमुख : बारह वर्ष, मेरे माननीय साथी जो अभी चले गये हैं डा० काटजू ने एक बार मुझ से कहा था कि

[श्री सी० डी० देशमुख]

वह इस उपाय को वकीलों के लिये ईश्वर का एक सुन्दर उपहार समझते हैं । मैं इसे संसद् का एक उपहार मानूंगा, यदि यह पारित हो जाता है, तो, और इस देश के अच्छे लोगों के लिये भी । और अब जब हम ने इस विधेयक की उन्नति के लिये आगे कदम बढ़ाये हैं, मैं आशा करता हूं कि . . . .

माननीय सदस्य : अपशकुन ।

श्री राघवाचारी : एक विचार यह था कि विधेयक में दर भी लागू कर दिये जाते ।

श्री सी० डी० देशमुख : विचार यह था कि दर तब लागू किये जाते जब विधेयक या तो पारित हो चुका होता या पारित होने को होता ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव रखा गया :

"कि विधेयक जैसा कि प्रवर समिति द्वारा सम्पत्ति शुल्क लगाने तथा जमा करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया है, विचार किया जाये ।"

माननीय श्री वल्लाथरास द्वारा एक संशोधन किया गया है । मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि क्या वह इसे रखना चाहते हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान् । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री अपने भाषण की एक एक प्रतिलिपि हम लोगों को देने की कृपा करें ।

सभापति महोदय : यह केवल एक प्रस्ताव है । वह सदस्यों को अवश्य ही प्रतिलिपियां दे देंगे ।

श्री वल्लाथरास : हां, श्रीमान्, मैं अपना संशोधन नहीं रख रहा हूं ।

श्री रमचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं जानना चाहूंगा कि इस अधिवेशन में इस विधेयक पर केवल तीन दिन ही विचार किया जायगा अथवा कुछ दिन और दिये जायेंगे ।

सभापति महोदय : अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । यह सदस्यों के चाव लेने की बात है । अभी तो इस की आरम्भिक अवस्था है, आगे चल कर इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : जहां तक मैं समझता हूं विधेयक महत्वपूर्ण है और दो दिन में इस पर विचार नहीं किया जा सकता । अतः मैं चाहूंगा कि अगले अधिवेशन में तीन दिन का समय और दिया जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं अपने को वचनबद्ध पाता हूं और चाहूंगा कि इस विधेयक पर विचार-विमर्श के लिये कम से कम पांच दिन का समय दिया जाय । किन्तु मान लीजिये कि लोग इस में चाव नहीं लेते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तीन दिन विचार-विमर्श के लिये पर्याप्त हैं, ऐसे समय में निर्णय किया जा सकता है किन्तु वह निर्णय मैं नहीं समझता कि इस की समाप्ति के लिये होगा । यदि ऐसी इच्छा है कि वाद विवाद कुछ और चले तो मैं तीन दिन और देने के लिये तत्पर हूं ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री अपने आश्वासन को पूरा करेंगे। अतः ऐसी अवस्था में अन्य कोई प्रस्ताव रखना समय से पूर्व होगा ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : मैं निवेदन करता हूं कि अब विधेयक को न लिया जाय ।

सभापति महोदय : देखा जायगा ।

श्री वल्लाथरास : मैं इस विधेयक के पूर्ण पक्ष में हूं । जहां तक जनता के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इस का कोई विरोध नहीं किया गया

है। यों साधारणत: भी इस विधेयक के सिद्धान्त पर कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गई है।

मैं समझता हूं कि डा० मथाई का प्रतिवेदन आजाने पर ही इस विधेयक के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण निश्चय हो सकेगा। यों सरकार को किसी भी कर लगाने के पूर्व उस के परिणामों पर विचार कर लेना भी अत्यन्त आवश्यक रहता है। डा० मथाई के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने से कोई लाभ नहीं। एक निश्चित मत इस विधेयक के सम्बन्ध में यह है कि इस शुल्क के आरोपित हो जाने से देश की सामाजिक अर्थ व्यवस्था पर कोई गम्भीर प्रभाव न पड़ेगा। बस यदि कोई महान आपत्ति इस पर हो सकती है तो वह यह है कि दायभाग विधि वाले स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे मिताक्षरा से कोई भेद भाव नहीं रखना चाहते हैं। यह केवल कल्पना की चीज है कि वह कहां तक समानता तथा सच्चाई के आधार पर एक दूसरे से व्यवहार कर सकते हैं।

कुछ व्यक्तियों का कथन है कि इस से सम्पत्ति के बटवारे में बहुत कुछ समानता हो जायेगी जिस से समाज में सुव्यवस्था हो सकेगी। किन्तु मैं ने किसी भी देश में नहीं देखा कि आयकर अथवा करों के द्वारा कभी भी असमानता कम हुई हो। अत: गम्भीर विचारकों के लिये यह सोचना कि सम्पत्ति पर शुल्क लगा देने से धन का पुनर्वितरण हो जायगा, भयानक भूल है।

अपने देश नें यदि हम छूट स्तर को देखें तो पता लगेगा कि लगभग ६० प्रतिशत भूमि मालिकों के पास ६०,००० रु० या ५०,००० रु० की कीमत से कम की ही सम्पत्ति निकलेगी। जमींदार तथा अन्य बड़े बड़े महाराजाओं के पास लाखों रुपये की सम्पत्ति है। अनेक मीरासदारों पर भी इस का प्रभाव पड़ेगा। वे इतने धन का अपव्यय करते हैं उन के लिये किसी को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई धनी अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग भी देश के हित में लगा देता है अथवा समाज की उन्नति में व्यय करता है, तो फिर भी उस के पास शेष सम्पत्ति इतनी बच रहेगी कि वह बड़े आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है किन्तु मेरा निजी अनुभव यह है कि वे अपना सारा धनव्यर्थ में ही व्यय किया करते हैं। जब पहले ज़मीदारी उन्मूलन के बारे में वाद विवाद हुआ तो चारों ओर शोर गुल मच गया किन्तु जब यह कार्यान्वित किया जाने लगा तो चहुं ओर शान्ति हो गई और यह भावना कि जो कुछ भी हो गया है वह ठीक है सभी लोगों में आ गई। और ठीक यही बात इस कर के जारी करने के बारे मे भी है। कुछ लोग इसके बारे में अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं।

किन्तु इसके बारे में तो कुछ कहना नहीं है कि, सभी लोग यह चाहते हैं कि धनवानों पर कर लगे कर की सीमा, अर्थात कितने पर कर लगाया जाय इसके बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। सन् १९४६ तथा १९४८ के पहिले विधेयकों में एक सुझाव द्वारा बताया गया है कि कम से कम १ लाख रुपया की सम्पत्ति पर कर लगाया जाय। किन्तु मेरा विचार तो यह है कि ५० हजार से अधिक की सम्पत्ति पर भी कर लगा देना चाहिए। सम्पति का मूल्यांकन करने के लिए जो समिति बनाई जाय वह सर्व प्रकार से पूर्ण हो ताकि किसी को कहने की कोई गुंजाइश ही न रहे। क्योंकि प्रत्येक सम्पत्ति का मूल्य विपणन मूल्य के अनुसार कुछ न कुछ हुआ करता है। किन्तु यह आधार बड़ा भयानक है। मान लें कि एक साधारण मुहल्ले में एक मकान का मूल्य यदि १० हजार रुपया है किन्तु

[श्री वल्लाथ रास]

उस के ठीक पास में एक धनवान व्यक्ति अपने किसी उद्योग के लिए कुछ भूमि लेता है तो यह निश्चय है कि इस मकान का मूल्य भी बढ़ जायगा । एक उद्योगपति अपने किसी कारखाने के लिए कुछ भूमि खरीदता है तो वह काफी मंहगे दामों पर उसे खरीदता है । दूसरी ओर जब एक कर निरीक्षक कर सम्बन्धी जांच के लिए वहां जाता है तो उद्योगपति के विक्रय लेख के आधार पर ही पड़ौस के मकान का मूल्य आकंता है । अतएव वह निरीक्षक कहेगा कि जब भूमि का विपणन मूल्य १०० रुपया प्रति वर्ग फुट है तो भला यह कैसे संभव है कि वह इस मकान की भूमि का मूल्यांकन १ रुपया प्रति वर्ग फुट के हिसाब से करे । इसलिए भूमि का मूल्यांकन करते समय सरकार को वहां की स्थानीय परिस्थितियों का भी विचार करना वाहिए । यदि एक स्थान विशेष की दो सम्पत्ति के मूल्य में काफ़ी अन्तर है तो इस बढ़े हुए मूल्य के मुख्य कारण की विशद व्याख्या करके उसे तै कर देना चाहिए । शहरों में मकान किसी व्यक्ति की सम्पत्ति के बारे में विशेष महत्त्व रखते हैं । कुछ मकानों का मूल्य ५ हजार लगता है जब कि कुछ का ५ या ६ गुना अधिक । अतएव मूल्यांकन करते समय सावधानी रखने की बड़ी आवश्यकता है । यदि नगर में एक व्यक्ति के पास केवल एक ही मकान है और इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है तो इसको विशेष महत्व देना चाहिए । तथा उसको विशेष आधार र मुक्त कर देना चाहिए । यदि उसके मकान का मूल्य मुक्त स्तर से कुछ थोड़ा अधिक भी है तो भी उसे क्षमा कर देना चाहिए । यदि ऐसा किया गया तो हजारों व्यक्तियों की जिनके पास केवल एक ही मकान है कठिनाइयां दूर हो जायगी ।

दूसरी बात यह है कि ५० हजार की सीमा रखी गई है । अब यदि एक मकान का मूल्य ५० हजार ४ सौ रुपया है तो इस पर कर लग जायगा किन्तु दूसरी ओर यदि उसका मूल्य केवल ४,९९९ रुपया है तो कर नहीं लगेगा और यदि वह ५० हजार १ रुपया है तो भी कर लगेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस मामले में कर तो केवल एक ही रुपया पर लगेगा ।

श्री बल्लाथ रास : एक दूसरी बात जो मैं देखता हूं वह यह है कि कर की दर कर का प्रकार कर की प्रमात्रा उसका अधिकतम तथा न्यूनतम निश्चित किया जाना यह सब बातें तो दूसरे विधेयक के लिए छोड़ दी गई हैं जो कि इस विधेयक के स्वीकृत होने से पहिले ही प्रस्तुत किया जायगा । इसी बात पर तो मतभेद है । आपने इसे भविष्य के लिए क्यों रोका और वह भी इस विधेयक के पारण के समय तक के लिये ? इस विधेयक में ही उनको क्यों नहीं सम्मिलित करते ? कर की दर इस वर्तमान विधेयक का उपबन्ध हो सकता है । मैं नहीं समझता कि यदि वह इस विधेयक के एक अंग के रूप में स्वीकृत होता है, तो, अथवा अलग से स्वीकृत होता है तो; कोई भयंकर बात होगी । हम कर की दर के बारे में जानना चाहते हैं कि वह दर क्या होगी । बिना उसके जाने इस विधेयक पर विचार करना एक प्रकार से बिल्कुल बेकार है । क्योंकि कुछ देशों में कर की दर ८ प्रतिशत तक होती है । और कुछ में बहुत ही कम, किन्तु विशेष स्थिति में यह बढ़ा दी जाती है । एक सरकार जिसे धन की अधिक आवश्यकता हो उसे

प्रत्येक वर्ष वित्त विधेयक तथा इसी प्रकार के अन्य विधेयकों के आधार पर कर को बार बार बढ़ाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। अतएव यह अत्यन्त आवश्यक है कि आय कर की दर बतायें और वह भी आगामी ५ वर्षों तक स्थायी रहे। प्रत्येक वर्ष अथवा आपकी स्वेच्छा के अनुसार इन करों को बढ़ाना अच्छा नहीं है।

अब मैं छोटे छोटे व्यापारों पर लगाये जाने वाले सम्पदा शुल्क के बारे में अपने विचार प्रकट करता हूं। वित्त मंत्री 'ईस्टर्न इकानोमिस्ट' में प्रकाशित लेख का हवाला दे सकते हैं जिसमें एक छोटे व्यापार के अभियोग का वर्णन है।

माननीय वित्त मंत्री ने कुछ दिन हुए तभी छोटे २ व्यापारों के संविलयन के बारे में कहा था। जहां तक मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मृत्युकर की अदायगी के लिए सम्भवतः लोगों को अपनी सम्पत्ति बेचनी पड़े और वे कर्ज़दार बन जायें। और यह कर यदि कुछ निजी व्यवस्थाओं से सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए भी बाध्य करे, तो इस परिवर्तन का स्वागत किया जायगा। और उनका यह कदम—केवल इसलिए ही नहीं कि आज भारतवर्ष में ये निजी व्यवस्थाएं एक विशेष महत्व रखती हैं, अपितु अन्य दूसरे देशों में भी उनको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और उनके कार्य में विघ्न पड़ना इसके लिए अच्छी बात नहीं है कि इनके कारण नई और अधिक व्यापार संघटन आवश्यकता के अनुसार बने।

जब एक व्यक्ति कर नहीं दे सकता तो साधारण भूमि कर विनियमन के अनुसार बकाया पड़े रहेंगे। यदि हम भूमिकर अथवा अन्य दूसरे सम्पदा शुल्क नहीं दे पाते तो हमारी सम्पत्ति एक दम नीलाम कर दी जाती है, और वह व्यक्ति जो से खरीदता है इसका स्वामी बन जाता है और वह बकाया रुपया इस मूल्य से चुका दिया जाता है। इस प्रकार देखा गया है कि हजारों की सम्पत्ति सैंकड़ों में ही निकल जाती है क्योंकि खरीदने वाले अपना एक गुट्ट बना लेते हैं। यहां तक कि न्यायालय द्वारा बेचे जाने वाली सम्पत्ति में भी इस प्रकार की गड़बड़ होती है। यह सब सम्पदा शुल्क का परिणाम है। एक अधिकारी जो इन सम्पत्तियों का नीलाम करता है उसे आसानी से खरीदा जा सकता है : वह सम्पत्ति बेचने का कार्यक्रम इस प्रकार बनाता है कि सिवाय खरीदार के कोई और दूसरा वहां नहीं पहुंचता। किसी को पता तक नहीं चलता कि नीलाम भी होगा। इन सब बुराइयों को रोकना होगा। एक नियम होना चाहिए। इंगलैंड में जब कभी ऐसी बात होती है तो वहां सम्पत्ति का नीलाम नहीं किया जाता अपितु उसे एक न्यास को सौंप दिया जाता है। और वह न्यास इसका प्रबन्ध करता है। जब आप एक सम्पत्ति पाते हैं तो उसके विपणन मूल्य के आधार पर कर लगाते हैं। जब आप कर लेते हैं तो इस स्तर से नीचे क्यों गिर जाते हैं। आपको ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब आप एक ओर विपणन मूल्य को मानते हैं तो दूसरी ओर भी उसे मानना चाहिए। अतएव इसके लिए देश में एक राष्ट्रीय न्यास बनाना होगा जिसे उन कर देने वालों की सम्पत्ति सौंप दी जाय जो कि कर नहीं दे सके हैं। वह राष्ट्रीय न्यास इन सम्पत्तियों का अधिकारी होगा। इसके पश्चात समाज के विभिन्न वर्ग जिन को इस प्रकार सम्पत्ति के इकट्ठा करने से लाभ होगा, अपने आप को ठीक कर लेंगे यह वह मामला है जिस पर गम्भीरता पूर्वक मनन करना चाहिए।

[श्री वल्लाथ रास]

जहां तक न्यायाधिकरण का प्रश्न है सरकार चाहे जितना उस पर प्रशासकीय नियंत्रण रखे । वह न्यायाधिकरण जो सम्पत्ति के मूल्यांकन तथा कर की प्रमात्रा के बारे में अपील सुने वह स्वतंत्र होना चाहिए । इसके सदस्य स्वतंत्र हो और जिनका सरकार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो । सरकार को इसके प्रति दिन के कार्य में कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए । ताकि सभी को यह ज्ञान रहे कि यह निष्पक्ष न्यायाधिकरण है यहां सच्चा न्याय होगा ।

न्याय के लिए व्यक्ति को अधिक दूर नहीं जाना पड़े इसका प्रबन्ध होना चाहिए । हर जगह, जिला न्यायालय मुन्सिफ न्यायालय होते हैं । उन्हीं लोगों को ये कार्य भी सौंप देने चाहिए । अपील के लिए ये उच्च न्यायालय को जा सकते हैं । उनका विभाजन इस प्रकार का हो कि कुछ को तो ऐसी श्रेणी में रखा जाय जिनका प्रथम निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा । लगभग ८० प्रतिशत मामलों के प्रथम निर्णय ही अन्तिम निर्णय हों । लगभग २० प्रतिशत मामले उच्च न्यायालय को जाने चाहिए । इन मामलों को भी दीवानी तथा फ़ौजदारी के अभियोग के समान मानकर निकटतम स्थानों में ही इनको निर्णीत करा देना चाहिए ।

मेरा तो बस यही कहना है कि यह विधेयक शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत हो जाय । मैं तो यह कहता हूं कि श्रमिकों तथा मध्य वर्गीय व्यक्तियों का थोड़ा भार इन धनवानों पर कर लगाकर कम कर देना चाहिए ।

मजदूर संघ के पदाधिकारी

श्री नम्बियार (मयूरम्) : तारांकित प्रश्न संख्या १२०६ जिसका उत्तर ७ अप्रैल १९५३ को दिया गया था जब कि उप श्रम मंत्री ने विप्रतिपन्न विवरण दिया था । उन्होंने कहा था कि :

> "प्रतिरक्षा संस्थानों तथा अन्य उद्योगी संस्थानों में सरकारी कर्मचारियों को यह नहीं कहा गया है कि वे अपने मज़दूर संघों में बाहरी व्यक्तियों को पदाधिकारी के रूप में नहीं ले सकते । उन्होंने यह उत्तर प्रारम्भ में दिया था, किन्तु पश्चात को उन्होंने फिर कहा कि :—
>
> > "जो कुछ भी गृह मंत्रालय ने कहा है हम उसे औचित्य के विचार से ठीक समझते हैं ।"

अब प्रश्न यह है कि क्या सरकारी कर्मचारियों के संघ में बाहरी व्यक्ति पदाधिकारी हो सकते हैं अथवा नहीं । कांग्रेस राज्य के आने से पहिले भी यह नियम था कि इन सरकारी कर्मचारियों के संघ में ५० प्रतिशत तक गैर सरकारी व्यक्ति पदाधिकारी हो सकते हैं । मज़दूर संघ विधेयक की धारा २२ के अन्तर्गत यह स्पष्ट है । भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार भी उनको ऐसा करने की आज्ञा थी ।

गृह मंत्रालय की एक पिछली सूचना में बताया गया है किसी बाहरी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारियों के संघ में पदाधिकारी बनाने की आज्ञा नहीं होगी । अब प्रश्न यह है कि क्या मज़दूर संघ अधिनियम की धारा ५० को इसी प्रकार से चलते रहना चाहिए अथवा गृह मंत्रालय से प्रकाशित यह नई सूचना इस धारा को अतिष्ठित कर देगी ।

सन् १९३५ से बाद तथा पूर्व रेलों में भी यह नियम था कि संघों में बाहरी

व्यक्ति पदाधिकारी हो सकते थे । यह भारत सरकार अधिनियम १९३५ के अनुसार था । ब्रिटिश सरकार ने भी यह अधिकार कर्मचारियों को दे रखा था । किन्तु अब यह अधिकार क्यों छीना जा रहा है । यह अनोखी बात क्यों हो रही है ।

भारत परिमापन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ को मान्यता मिली । उसके एक पदाधिकारी के रहने से, जो कि कुछ दिन पूर्व अलग कर दिया गया था, इस संघ को मान्यता देने से गृह मंत्रालय ने इन्कार कर दिया, ऐसी ही स्थिति कुछ अन्य दूसरे संघों के बारे में भी है । अतएव यह स्पष्ट है कि इस संघ के मामले में तथा वैसे भी सरकार आजकल गृह मंत्रालय द्वारा प्रसारित उस सूचना का पालन कर रही है कि बाहरी व्यक्तियों को पदाधिकारी न बनाया जाय । और जो आजकल सदस्य हैं उनको अलग किया जा रहा है, और इस प्रकार उन्हें बाहरी व्यक्ति बताया जा रहा है ।

यह वास्तविक कठिनाई है । आप मजदूर संघ में बाहर के व्यक्तियों को जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं हैं नहीं रख सकते और उनको भी नहीं रख सकते जो कि पहले कर्मचारी थे । तब आप मजदूर संघ किस प्रकार बनायेंगे ––रेलों में अथवा युद्धास्त्र डिपो मे सर्वत्र यही अवस्था है । वह श्रमिक संघ का संचालन नहीं कर सकता । जो भी व्यक्ति संघ में पदाधिकारी बनता है वह नौकरी से हटा दिया जाता है । यदि श्रमिक इन संघों का नेतृत्व करते हैं तो वे अधिकारियों के क्रोध का शिकार बनते हैं । अतः वे आगे नहीं आते हैं । इस प्रकार श्रमिकों को तंग किया जाता है । यदि बाहरी व्यक्ति अथवा भूतपूर्व कर्मचारी इन संघों में सम्मिलित होना चाहें तो विज्ञप्ति के अनुसार वे ऐसा नहीं कर सकते हैं । इसका अर्थ है कि श्रमिक संघ का संचालन किया ही नहीं जा सकता । वर्तमान परिस्थितियों में वे श्रमिक संघ ही रह सकते हैं जो सरकार एवं उसकी नीतियों का पूर्णत. समर्थन करते हैं विशुद्ध सिद्धान्तों पर श्रमिक संघ की आयोजना असंभव हो गई है । अंग्रेजी शासन में जिन अधिकारों का उपभोग किया जाता था आज उनसे वंचित किया जा रहा है । यह श्रमिक वर्ग के अधिकारों और स्वत्वों पर गंभीर आघात है ।

मेरा निवेदन है कि सरकार को श्रमिक संघ के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिये । उनसे बलात् कोई काम नहीं कराना चाहिये । संघों के पदाधिकारियों के सम्बंध में भी सरकार को मौन रहना चाहिये ।

उनका विचार एक दूसरा विषेयक उपस्थित करने का है । उसे आने दो, हम उसका हल भी निकालेंगे । सरकार को भ्रान्ति में नहीं रहना चाहिये । उन्हें चाहिये कि श्रमिक संघों को स्वस्थ विकास की दिशा में सहायता दें । यदि वे इस आन्दोलन को सम्वृद्धि का अवसर नहीं देंगे तो इसका यह अर्थ नहीं है कि श्रमिकों के पास दूसरा उपाय ही नहीं है । वे हड़ताल करेंगे और अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे । श्रमिक समर्पण नहीं करेंगे । सरकार को अधिक गड़बड़ी पैदा न कर श्रमिक संघों और श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिये ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमान्, मुझे एक बात कहनी है । श्रम आन्दोलन को निर्बाध रूप से स्वस्थ विकास में सहायता देने के लिये प्रत्येक देश के विधान में प्रायः यह व्यवस्था रहती है कि उन में बाह्य व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाय । संघ के सर्वांगीण विकास एवं हित की दृष्टि से यह आवश्यक कि श्रमिकों

[श्री के० के० बसु]

के दोनों वर्ग — सरकारी संस्थाओं और निजी उद्योग में काम करने वाले — समान स्तर पर समझे जायं। मेरा यही निवेदन है कि श्रम मत्रालय अथवा गृह मंत्रालय न श्रमिक संघों में रुचि रखने वाले बाहर के व्यक्तियों को लेने में जो रुकावटें पैदा की हैं उन्हें शीघ्र ही समाप्त कर दिया जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

श्री रघवय्या (ओंगोल) : नैनीताल में आयोजित श्रम सम्मेलन की कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि देश के श्रमिक संघों की प्रतिनिधि संस्था अखिल भारत राष्ट्रीय श्रमिक संघ ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि उन कर्मचारियों को जो श्रमिक संघ के किन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं अपनी सेवा के दो वर्षों तक स्थानान्तरित नहीं किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वाद विवाद की अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्यों को इसकी पूर्वसूचना देना चाहिये। फिर भी मैं एक प्रश्न के लिये आज्ञा देता हूं।

श्री रघवय्या : अखिल भारत श्रमिक संघ द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण और श्रम मंत्रालय की वर्तमान कार्यवाही को देखते हुए कर्मचारियों को इस प्रकार का आश्वासन दिया जाना चाहिये कि वे नौकरी की दो वर्षों की अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भेजे जायेंगे।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि श्री जयप्रकाश नारायण और श्री गुरुस्वामी सरीखे बाहरी व्यक्तियों ने अपनी बुद्धिमानी और अनुभव के आधार पर सरकार को अनेक संघर्षमय स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सहायता दी है? क्या श्रमिक संघ आन्दोलन को निरन्तर शक्तिशाली बनाने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान किया जाय। यदि सरकार की ऐसी इच्छा है तो सर्व श्री जयप्रकाश नरायण और गुरुस्वामी को श्रमिक संघों के संचालन में मदद करने के लिये अनुमति क्यों नहीं दी जाती?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : प्रतीत होता है कि मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार द्वारा निर्देशन उत्तर से भ्रान्ति उत्पन्न हो जाने के कारण समस्त वाद विवाद उत्पन्न हुआ है। बहस श्रमिक संघ अधिनियम और श्रमिक संघ की रजिस्ट्री से सम्बंधित थी। अनुपूरक प्रश्नों के दौरान में सरकारी कर्मचारियों और विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों के विषय में एक प्रश्न पूछा गया था। मैंने उत्तर में कहा था कि रक्षा तथा अन्य औद्योगिक समवाय अपने संघ के पदाधिकारियों के स्थान पर बाहर के व्यक्तियों को लेने से वर्जित नहीं किये गये हैं। आज भी यही स्थिति है। जिस विज्ञप्ति का उल्लेख किया गया है उससे स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। विज्ञप्ति में कहा गया है :

"इस प्रश्न पर कि असैनिक सरकारी कर्मचारियों को संघ के पदाधिकारियों के रूप में अन्य व्यक्तियों को लेने की अनुमति मिलनी चाहिये। गृह मंत्रालय ने विचार किया है और उसके निर्णय इस प्रकार है : अब यह मान्य स्थिति है कि वे व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं असैनिक सरकारी कर्मचारियों अर्थात सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सब सरकारी कर्मचारी असैनिक सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं अथवा संघों के पदाधिकारी निर्वाचित किये जायं। ऐसे सरकारी कर्मचारी अपने हितों की देख भाल करने और अपने कार्यों की व्यवस्था करने में पूर्ण समर्थ हैं।"

विज्ञप्ति में कहा गया है "औद्योगिक समवायों में नियुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त।" अतः समस्त वाद विवाद निरर्थक हो जाता है। इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के औद्योगिक समवायों के कर्मचारी—रेलों, बन्दरगाह, तार, टेलीफोन, बेतार, प्रसारण, और मुद्रा, समाचार-पत्र, युद्धास्त्र निर्माण गृह, सिंचाई और विद्युत-केन्द्र स्थापन, खदानों और कारखानों तथा जहाजों पर माल उतारने व चढ़ाने वाले स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारी श्रमिक संघ अधिनियम के अनुसार अपने संघ निर्माण करने में स्वतन्त्र हैं। इन संघों को स्वीकृत करने सम्बन्धी नियम पहले बता दिये गय हैं और उन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वे बाहरी व्यक्तियों को इन संघों के पदाधिकारी बनाने के विषय में भी स्वतंत्र हैं।

जैसा कि मैंने बताया है कि इस का सम्बन्ध केवल असैनिक सरकारी कर्मचारियों से है। कल्पनाजनित विरोध के सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त है। मेरा विश्वास है कि समुन्नत प्रशासन में रुचि रखने वाला तथा उस में पवित्रता और सत्य निष्ठा का आकांक्षी प्रत्येक व्यक्ति इस विज्ञप्ति का समर्थन करेगा। इस उद्घोषणा के सम्बन्ध में कि अखिल भारत राष्ट्रीय श्रमिक संघ श्रमिकों की प्रतिनिधि संस्था है उन से अनेक बार प्रतिनिधि-मय शक्ति को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है किन्तु वे सदैव 'असहयोग ही प्रदर्शित करते हैं। जब कभी उन से संबन्धित संघों द्वारा प्रस्तुत सूची के योग की गणना की गई तो यह बहुत कम थी। जिस संख्या का वे दावा करते हैं यह उस के चतुर्थांश से भी कम थी। यह कहना गलत है कि अ० भा० राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस सर्वाधिक प्रतिनिधि संस्था है।

संरक्षण के सम्बन्ध म मैं पहले ही कह चुका हूं। परिभाषा के अनुसार असैनिक कर्मचारी उसे कहते हैं जो संघ की नागरिक प्रशासन सेवा का सदस्य अथवा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य अथवा राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य हो या संघ अथवा राज्य के अन्तर्गत किसी असैनिक पद पर काम करता हो। धारा ३११ असैनिक कर्मचारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है। उन के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही के पूर्व उन के विषय में आरोप पत्र सिद्ध करना पड़ता है। वे राज्यों के सम्बन्ध में राज्यपाल और केन्द्र के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह कहना कि कर्मचारियों को तंग किया जाता है अथवा इस प्रकार की उक्ति कि वर्तमान शासन अंग्रेजी शासन से भी बुरा है विरोधी सदस्यों के लिये परिपाटी बन गई है। हम किसी भी व्यक्ति को इस लिये तंग नहीं करते कि वह श्रमिक संघ की कार्य-वाहियों में भाग लेता है। किन्तु साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि श्रमिक संघों को दुर्व्यवहार के लिये अनुज्ञप्ति नहीं मिलनी चाहिये। श्रमिकों को अनुशासन बद्ध, आदरयुक्त और कर्तव्यपरायण होना चाहिये।

श्री के० के० बसु : किन्तु इन के लिये परिस्थितियों का निर्माण होना चाहिये।

श्री आविद अली : मुझे याद है कुछ पार्टियां श्रमिकों के साथ अत्याधिक सहानु-भूति प्रदर्शित कर रही हैं। किन्तु मुझ से अधिक ये श्रमिक जानते हैं कि उक्त पार्टियां श्रमिक वर्ग का कल्याण नहीं चाहतीं हैं किन्तु वे उनसे इसलिय सम्पर्क बनाय रखना चाहती हैं कि श्रमिक संघ के माध्यम से व सरकारी प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है। हम एसा कभी नहीं होने देंगे।

श्री रघवय्या : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री आबिद अली : यह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया है कि श्रमिक संघ की गतिविधि चलती रहना चाहिये । वह स्वस्थ परिपाटी पर होना आवश्यक है । उसे दलबन्दी के आधार पर नहीं किन्तु श्रमिक संघ के स्तर पर होना चाहिय । और उसी सीमा तक श्रमिकों को नियमों तथा संविधान का संरक्षण प्राप्त हो सकता है । मुझे अधिक नहीं कहना है । श्रमिक संघ की रजिस्ट्री और उस की स्वीकृति दो भिन्न वस्तुयें हैं । किन्तु जहां तक सरकारी औद्योगिक श्रमिकों का सम्बन्ध है, वे श्रमिक संघ की रचना के सम्बन्ध में स्वतन्त्र हैं ।

श्री नम्बियार : औद्योगिक कर्मचारियों और असैनिक कर्मचारियों में अन्तर क्यों रखा गया है । इन दोनों वर्गों के भेद का कारण क्या ह और असैनिक कर्मचारियों को यह स्वतन्त्रता क्यों नहीं दी गई है कि वे बाहरी व्यक्तियों को पदाधिकारी के रूप में चुन सकें ?

श्री आबिद अली : मैं ने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है । औद्योगिक समवायों और नागरिक प्रशासन में अन्तर है । प्रस्तुत श्रमिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासन में काम करने वाले असैनिक कर्मचारी श्रमिक संघ का निर्माण नहीं कर सकते ।

इसके पश्चात् सदन चार बजे तक के लिय स्थगित हो गया ।

सदन चार बजे पुनः समवेत हुआ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे ।]

सदन की कार्यवाही

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सदन के नेता से मेरी प्रार्थना है कि क्या विदेशी कार्यों की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में बहस के लिये कुछ समय दिया जा सकता है । मैं यह प्रार्थना इस लिये कर रहा हूं कि मध्य पूर्व की घटनायें, मिश्र, हिन्द चीन और कोरिया म शांति वार्ता से देशवासियों में हल चल पैदा हो रही है । चूंकि सदन दो माह के लिये अवकाश ग्रहण कर रहा है यह आवश्यक है कि हम इन मामलों पर सरकार की विचारधारा से परिचित हो जायें । यदि इस बहस के लिये समय देना असम्भव हो तो क्या हम सदन के नेता से यह निवेदन कर सकते हैं कि उन के विदेश जाने से पूर्व वह इस विषय पर अपना वक्तव्य दें ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं विदेश नीति के प्रत्येक पहलू पर विवाद करने को सदा उद्यत हूं । परन्तु समय की तंगी रहती है, और अब पूरे दो दिन और मिल गये । यदि आप सहमत हों, तो मैं कल या परसों प्रश्नों के समय के पश्चात् संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा । माननीय मंत्री का कथन है कि संसार में महत्वपूर्ण विषय अपना रूप ग्रहण कर रहे हैं, सत्य है । परन्तु इस बात से, विषय बहुत स्थानों पर गतिशील हैं, उन को विस्तार से बहस करना कुछ कठिन है, क्योंकि किसी बात के कहने से, सहायता के स्थान पर हानि भी हो सकती है । मैं, यदि सदन चाहे तो कल या परसों इन में से कुछ विषयों पर वक्तव्य दूंगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : क्या कल या परसों विवाद के लिय एक या दो घंटे मिलने संभव हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों तमाम बातें बिगड़ी हुई अवस्था में हैं, और हो सकता है कि गलत समझने में हमें भी हैरानी हो, मेरे विचार से यह योग्य है कि प्रधान मंत्री को कल या परसों प्रश्नों के घण्टे के तुरन्त बाद विवाद की आज्ञा न देते हुए वक्तव्य देने के लिये कहा जाय ।

डा० लंका सुन्दरम् : हम विरोधी दल के लोग क्या सदन के नेता को उस विषय का

जिस की हम जानकारी चाहते हैं, सुझाव रख सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी सदस्य मुझे लिख कर दे सकता है, वह किस बात का स्पष्टीकरण चाहता है ।

डा० लंका सुन्दरम : हमें परसों का दिन निश्चित करना चाहिये ताकि हम अपने सुझाव रख सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह परसों होगा ।

राज्य परिषद के सदस्यों के लोक लेखा समिति में सम्मिलित होनें के सम्बन्ध में प्रस्ताव

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : जब प्रधान मंत्री ने हमारे सामने आज दोपहर के बाद विवाद के लिये प्रस्ताव रखा, मुझे आशा थी कि यह प्रश्न या तो कार्यवाहिक मंत्रणा-समिति में या विभिन्न दलों के सदस्यों और नेताओं के परामर्श से होगा । अत: मुझे कहना पड़ता है कि प्रस्ताव अचानक ही था, किसी भी सदस्य को दलीय भावना से इस प्रस्ताव को नहीं लेना चाहिये था। अत: मेरी अपील को योग्य अधिकारी ध्यान से सुनें, क्योंकि यदि सदन में प्रस्ताव पास हो गया, यह बहुत सी महत्वपूर्ण बातों से रहित है, न केवल इस सदन के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के लिये अपितु दूसरे सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिये भी ।

कल प्रधान मंत्री ने कहा कि जन-लेखा-समिति का निर्णय गलत था । सदन के नेता से ऐसी बात का निकलना दु:खप्रद है, क्योंकि जन-लेखा-समिति इस सदन का प्रमुख अंग है, और यह निर्विरोध इस प्रस्ताव के विषय पर निर्णय पर आये थे । और जो सदस्य यहां उपस्थित हैं, वे स्थिति के औचित्य पर प्रकाश डाल ।

प्रधान मंत्री और सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वास्तव में मुझे ऐसा सम्मिलित होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव कहने के लिये कहा गया था । मुझ पिछले चार दिनों से ही पता लगा कि जन-लेखा समिति ने क्या कहा था । जन-लेखा-समिति संविधानिक प्रयोग के लिये उच्च अधिकारी नहीं है, अत: उस मामले में मेरा विश्वास है कि समिति गलत थी ।

डा० लंका सुन्दरम : मैं प्रधान मंत्री के वक्तव्य से सन्तुष्ट हूं कि जन-लेखा-समिति के शब्द अशुद्ध थे । मैं अपनी बात को और आग नहीं ले जाऊंगा । जन-लेखा-समिति द्वारा किये गये कार्य में नासमझी थी, और धन सम्बन्धी मामलों में सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में भी । जन-लेखा समिति का प्रारम्भिक कर्त्तव्य सदन द्वारा स्वीकृत निधि का योग्य उपयोग किया जाये, तथा इस नियंत्रक महा लेखा परीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट को देखना । और जब तक जन-लेखा-समिति उस रिपोर्ट को न देख ले, तो सदन उस रिपोर्ट का परीक्षण नहीं कर सकता । यदि आप की आज्ञा हो तो मैं कार्यवाहियों के नियमों में से नियम नं० १९६ की ओर निर्देश करना चाहता हूं ।

हिसाब में दिखलाया गया धन, वैधानिक रूप से प्राप्त था, जिस कार्य के लिय वह खर्च किया गया है । कि खर्च उसी अधिकारी से सम्बन्धित है, जो इसे नियंत्रण करता है ।

कि इस में अदला बदली सक्षम अधिकारी द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन की गई है ।

सदन अकेला ही प्राक्कलनों पर मत दे सकता है । सदन द्वारा स्वीकृत निधि में से सदन के अतिरिक्त कोई कमी नहीं कर सकता । १५१ अनुच्छेद के आधीन नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर प्रक्रिया की दृष्टि से रखी है । इस पर किसी भी सदन में विवाद नहीं किया गया है । यह रिपोर्ट उसी ढ़ंग से जिस से

[डा० लंका सुन्दरम्]

कि जन लेखा समिति परीक्षण करती है, विचार की जाती है । नियंत्रक-महालेखा परीक्षक केवल कुछ कार्यबाहिक कृत्य करता है, जो विधान के उपबन्धों में है और जिस ढंग से सदन में विधियों पर मत दिया जाता है । इस सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों की दृष्टि से इस समिति के कार्य असाधारण हैं, और यह समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से परे भी साक्ष्य मांग सकती है, और अपना निर्णय सदन के सामने रख सकती है । यह सदन उस पद्धति के बारे में अधिक आगे नहीं बहस करना चाहता है कि स्वीकृत निधि किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है ।

दूसरी ओर राज्य परिषद् को इन आधार-भूत धन सम्बन्धी मामलों के बारे में सिपारिश करने का कोई अधिकार नहीं है । इस सदन द्वारा स्वीकृत धन से अधिक नहीं दिया जा सकता ।

मेरे सामने १९४८-४९ की इस समिति की दूसरी रिपोर्ट है । इसके पत्र २ से रक्षा-प्राक्कलनों का सम्बन्ध है, उस वर्ष १९½ क्रोड़ रुपये का आधिक्य था । तब समिति ने कहा था कि इस अवस्था में आधिक्य ठीक नहीं किया जा सकता । जन लेखा समिति की शक्तियां पूर्व प्राक्कलनों की समिति वाली हैं । और इस सदन द्वारा स्वीकृत निधि में आधिक्य का मामला इस समिति के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है ।

राज्य-परिषद् और लोक-सभा की शक्तियों के सीमांकन के बीच एक अन्तर खेंचने के लिये मैं कुछ सैंक मांगता हूं । यह इस सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में है । ११३ अनुच्छद के आधीन राज्य परिषद् को अनुदान की मांग के सम्बन्ध में सिपारिश करने की शक्ति नहीं है, और अनुपूरक के सम्बन्ध में भी तथा अधिक अनुदान के बारे में भी । ११६ अनुच्छेद के आधीन लेखा पर मत राज्य परिषद् में नहीं लिये जाते । इस सदन द्वारा स्वीकृत किसी भी मांग में राज्य परिषद बदली नहीं कर सकती । जन-लेखा-समिति का दूसरे सदन से सम्बन्ध नहीं है । लेखा-परीक्षण के लिये जन-लेखा-समिति में किसी दूसरे सदन के सदस्यों और इस सदन के निर्वाचित सदस्यों के साथ परोक्ष रूप में राज्य-परिषद् इस प्रस्ताव को नहीं रख सकती । मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस बात पर विचार करेगा ।

मंत्रिमंडल एकत्रित रूप में इस सदन के लिये उत्तरदायी है, और यदि जन-लेखा समिति सरकार के किसी विभाग के खर्च में कुछ उल्टी सिपारिश करती है, तो इस का अर्थ यह है कि अविश्वास का मत है और सरकार के प्रति निन्दा प्रस्ताव है । इस का परिणाम है कि धन सम्बन्धी मत के सम्बन्ध में इस सदन की सक्षमता संविधानिक ढांचे से सम्बन्धित है ।

दूसरे शब्दों में जन-लेखा-समिति इस सदन का केवल एक अंग है । इस प्रस्ताव के लागू होने के परिणामस्वरूप राज्य-परिषद् इस प्रस्ताव के उपबन्धों के अधीन, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इस रास्ते से या उस से इस सदन की महत्वपूर्ण समिति पर प्रभाव डाल रही है । दूसरे सदन द्वारा चुने गये व्यक्तियों के आने से इस समिति का बहुमत अल्पमत में परिवर्तित हो जायेगा । प्रधान मंत्री ने कहा कि उस मामले में सर्वोच्च वित्तीय शक्तियों से जन-लेखा-समिति का कोई सरोकार नहीं है और दूसरे सदन वाले अपनी अलग जन-लेखा-समिति चाहें, तो बना लें ।

मैं इस में कहना चाहता हूं कि क्योंकि उस सदन की जन-लेखा-समिति की सिपारिशें काम में

नहीं आयेगी, अतः उस समिति के बनाने का कोई उपयोग नहीं है। मैं श्री चटर्जी की परोक्ष-निर्वाचन के ढंग सम्बन्धी बात के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। चार श्रेणियों की वित्तीय शक्तियां हैं। धन सम्बन्धी विधेयक, केवल लोक सभा में ही रखे जा सकते हैं। और अध्यक्ष ही धन विधेयक घोषित करने के लिये एकाकी अधिकारी है। राज्य परिषद् इन विधेयकों के उपबन्धों में परिवर्तन करने के लिये केवल १४ दिन रखती है। दूसरा सदन धन-विधेयकों के सम्बन्ध में केवल अवर सहकार्य कर सकता है।

इस सदन की वित्तीय शक्तियों में दूसरी श्रेणी वित्त विधेयकों की है। वे राज्य परिषद् में नहीं रखे जा सकते। पहले वे इस सदन में आते हैं। परिषद् केवल संशोधनों का सुझाव रख सकती है। यदि कहीं अन्तर है, तो मिश्रित बैठक होती है। और मैं इसके परिणाम की बात नहीं करता। तीसरी श्रेणी का सम्बन्ध अनुदान से है। कर, खर्च, बेईमानी का प्रश्न तथा इसी प्रकार के और प्रश्न भी उठते हैं। केवल यही सदन इन प्रश्नों का निधान करने में सक्षम है। मैं जन निगमों के साथ व्यवहार करने की इस सदन की प्रक्रिया के नियमों में से १९६ (३) (क) की ओर निर्देश करूंगा कि जन-लेखा-समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वे राज्य निगमों, प्रोजैक्ट और व्यापार योजनाओं के हिसाब का परीक्षण करे। इन पहलुओं में इस सदन की शक्तियां सर्वोच्च हैं। और अनुदान, अवर खर्च आदि के लिये भी केवल यही सदन सक्षम है और राज्य परिषद् का कोई अधिकार नहीं है। अतः हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये। प्रधान मंत्री ने कल कहा कि हमें ब्रिटिश प्रयोग का अनुसरण नहीं करना चाहिये, परन्तु देखा जाय तो शब्दशः कि हमारे संविधान के वित्तीय उपबन्ध ब्रिटिश संसद् के १९११ के अधिनियम से लिये गये हैं।

ब्रिटिश के हाउस आफ लार्डज़ में धन विधेयकों की सिपारिश के लिये एक महीने का समय है जबकि हमारे यहां केवल १४ दिनों का। यहां वहां की अपेक्षा प्रक्रिया के नियमों में परिषद् को संसद् से कम शक्तियां प्राप्त हैं। प्राक्कलन समिति तथा जन-लेखा-समिति केवल इसी सदन के लिये स्थापित की गई थीं। और अधिक अनुदान के लिये भी यही सदन सक्षम है। अतः इस सदन के सदस्यों के साथ दूसरे सदन के सदस्यों का जन-लेखा-समिति में बैठना अवैधानिक है।

मैं सदन के नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य १९६ और १९७ नियमों के अनुसार इस सदन के अध्यक्ष के अधीन कैसे कार्य कर सकेंगे? यदि इस समिति का कोई सदस्य अध्यक्ष या समिति के सभापति का आदेश नहीं मानता, तो उस का क्या इलाज है? तो क्या यह सदन दूसरे सदन से प्रार्थना करेगा?

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिमी—रक्षित-अनुसूचित-आदिम जातियां) : कभी नहीं।

डा० लंका सुन्दरम् : क्योंकि आप नियम समिति के सभापति रहे हैं और आप ने इस प्रश्न को अच्छी प्रकार विचारा है, मैं आप से अर्ज़ करता हूं। इस सदन के १५ सदस्यों के साथ दूसरे सदन के ७ सदस्य लिये जाते हैं। तो क्या होता है और कौन नियंत्रण करता है? माननीय नेता ने कहा कि जन-लेखा-समिति की रिपोर्ट इसी सदन के पटल पर रखी जायेगी, यदि यह प्रस्ताव हो गया, तब दूसरे सदन के बारे में क्या? और तब इस सदन के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त बाहर के प्रतिनिधियों को सिपारिश करने के लिये क्यों लिया जाय? ये ऐसी बातें हैं, जो विशेष विचारणीय हैं।

क्या राज्य परिषद् की ओर से कोई पूर्व आश्वासन दिया गया है कि ये चुने हुए प्रति-

[डा० लंका सुन्दरम्]

निधि लोक सभा के अध्यक्ष तथा लोक-लेखा समिति के सभापति के अनुशासन के अन्तर्ग रहेंगे ।

उस के बिना इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या ऐसा आश्वासन मान्य होगा ?

डा० लंका सुन्दरम् : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का आश्वासन पहले से ही प्राप्त कर लिया गया है या नहीं । यह विषय ध्यान से विचारने योग्य है । अच्छा होता जो महान्यायवादी यहां उपस्थित होते ।

उपाध्यक्ष महोदय : संयुक्त सत्र के समय क्या होता है ? क्या अध्यक्ष महोदय संयुक्त सत्र का सभापतित्व नहीं करते , तथा दोनों सदनों पर नियंत्रण नहीं रखते ? इस में भी ऐसा ही होगा ।

डा० लंका सुन्दरम् : करते हैं । परन्तु अध्यक्ष महोदय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तो नहीं होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन की ओर से नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा ।

डा० लंका सुन्दरम् : दिन प्रति दिन का काम तो सभापति ही किया करेगा । अध्यक्ष महोदय को तो केवल निर्देश ही हो सकता है ।

दूसरे सदन के पूर्वाश्वासन लिये जाने की बात तो मैं कह ही चुका हूं । महान्यायवादी को उपस्थित हो कर हमें यह बतलाना चाहिये कि क्या इस प्रस्ताव के स्वीकरण के फलस्वरूप संविधान, उस के तथा इस सदन के नियमों के अन्तर्गत स्थापित रूढ़ियों तथा लोकतन्त्रीय व्यवहार का उल्लंघन तो नहीं होगा । यदि सदन-नेता मुझ से सहमत हों तो यह प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव पर चर्चा आगामी सत्र तक के लिये स्थगित कर दी जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि वह अपने पक्ष के सदस्यों पर इस वाद विवाद में भाग लेने तथा इस प्रस्ताव पर मतदान के बारे में कोई प्रतिबन्ध न लगायें । यह राजनीति का विषय नहीं है वरण संविधानिक प्रक्रिया तथा विशेषाधिकार का विषय है । यदि हम दूसरे सदन की इस बात को मान लेते हैं तो और मांगें भी आने लगेंगी ।

श्री० एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यह प्रस्ताव सर्वथा असंविधानिक है । यह तो लोक सभा द्वारा अपने आप पर कुठाराघात है । हमें बाहर के लोगों को एक ऐसे क्षेत्र में घुसने से रोकना चाहिये जो कि संविधान के अनुसार हमारा अनन्य क्षेत्र है । मुझे ब्रिटिश दृष्टान्तों से कोई विशेष प्रेम नहीं है परन्तु महान्यायवादी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे संविधान के तत्सम्बन्धी अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद १०९, ११० इत्यादि ब्रिटिश उपबन्धों की प्रतिलिपि मात्र हैं । वहां इस प्रकार की बात कभी भी नहीं की जा सकती ।

संविधान के अनुच्छेद ११३ (२) के अनुसार अनुदानों पर मतदान केवल लोक सभा द्वारा ही किया जा सकता है राज्य-परिषद् द्वारा नहीं । लोक-लेखा-समिति का मुख्य कृत्य यही है कि वह इस बात को देखे कि क्या इस सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान निश्चित प्रयोजनों पर ही व्यय किये गये हैं । यह एक ऐसा कृत्य है जो इस सदन के अनन्य क्षेत्राधिकार में है । संयुक्त सत्र का उल्लेख किया गया है परन्तु वहां भी तो धन-विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती । दूसरे सदन को किसी धन-विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है ।

और धन विधेयक का आरम्भ भी केवल लोक-सभा में ही हो सकता है । राज्य परिषद् इस विषय में अपनी सिफारिश अवश्य दे सकता है परन्तु उसे मानना न मानना लोक सभा के स्वविवेक पर निर्भर है । यह वस्तुस्थिति संसदीय लोकतन्त्र के एक मुख्य सिद्धान्त पर आधारित है । केवल इसी सदन की रचना लोकतन्त्रीय आधार पर हुई है, केवल इसी के सदस्य ही वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित हुए हैं अतः यही एक कारण है कि संविधान के रचयताओं द्वारा यह शक्ति तथा यह कृत्य हमी को प्रदान किये गये । अतः हमारी प्रत्येक समिति में केवल हमारे ही सदस्य होने चाहिये । किसी संयुक्त समिति की रचना हो ही नहीं सकती ।

राज्य परिषद् के कुछ एक सदस्यों को अर्थात् उस के एक छोटे से भाग को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती जो सम्पूर्ण परिषद् को प्राप्त नहीं है । इस प्रस्ताव का आशय अपरोक्ष रीति से एक ऐसा काम करना है जो परोक्ष रीति से कदापि नहीं हो सकता

लोक-लेखा समिति के जो कृत्य हैं वह लोक सभा के कृत्य हैं अर्थात् वह समिति यह काम हमारे अभिकर्त्ता के रूप में ही करती है । किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग इत्यादि का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह लोग अपना पृथक समिति बना लेंगे तो क्या होगा। परन्तु वह एक नहीं १५ समितियां भी बना लें तो भी वह कुछ नहीं कर सकेंगे । वह अनुदानों में न पैसा बढ़ा सकते हैं और न घटा सकते हैं । न ही वह विनियोग विधेयक को हाथ लगा सकते हैं । इस विषय में उन का सहयोग प्राप्त करने का विचार तो अच्छा है, परन्तु यह विचार संविधान के सर्वथा प्रतिकूल है ।

एक वाद-विषय जो डा० लंका सुन्दरम् द्वारा उठाया गया है राजनैतिक अवस्थान से सम्बन्ध रखता है तथा महत्वपूर्ण भी है । यदि ऐसा माना जाय कि लोक-लेखा समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी विशेष मंत्री के विभाग द्वारा धन का अपाहरण हुआ है अतः वह सरकार का निन्दन करती है अथवा कुछ इसी प्रकार की कटु आलोचना करती है, तो वह इसलिये ऐसा कर सकती है क्योंकि वह समिति इस सदन की समिति है । केवल इसी सदन को सरकार का निन्दन करने का अधिकार है । क्या आप किसी अन्य व्यक्ति अथवा निकाय को ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं ?

आप उन्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करने जा रहे हैं जो संविधान ने जान बूझ कर उन से रोक रखी थी, जिस से उन्हें विशेष रूप से वंचित रखा गया है । संविधान में तो यहां तक कह दिया गया है कि उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जायेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : यह मानना होगा कि इस प्रस्ताव का उद्गम सदन नेता की उदारता के फलस्वरूप हुआ है । उन का यह प्रयत्न जान पड़ता है कि इस प्रस्ताव द्वारा दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार किया जाये । परन्तु हमें इस विषय पर किसी उदारता के दृष्टिकोण से विचार नहीं करना है वरण इसे संविधानिक दृष्टिकोण से जांचना है ।

हम ने एक लिखित संविधान की रचना की है । देखना यह है कि संविधानिक स्थिति क्या है, लोक सभा को क्या अधिकार प्राप्त हैं और राज्य सभा को क्या । संविधान के अनुच्छेद १०९ के अन्तर्गत राज्य-परिषद् को वित्तीय विषयों में हस्तक्षेप का कुछ भी अधिकार नहीं है । यह सब कुछ इस लिये किया गया है कि राज्य परिषद् को विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधि समझा गया है और हम जनता के प्रतिनिधि समझे जाते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे]

अनुच्छेद ८० का खण्ड ४ कहता है कि प्रथम अनुसूची के भाग क अथवा भाग ख में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे। और अनुच्छेद ८१ के अनुसार हम अपरोक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए हैं। जब जनता पर कर लगाना है तो जनता के अपरोक्ष प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण प्रभुत्वपूर्ण शक्ति होनी चाहिये। इंगलैंड के संसदीय इतिहास में बादशाह होता था, परन्तु लोक-इच्छा के साधन ब्रिटिश लोक सभा का विकास हुआ। ब्रिटिश लार्ड सभा और राजा के साथ ब्रिटिश लोक सभा का संघर्ष हुआ क्योंकि ब्रिटिश लार्ड सभा चाहती थी कि जनता के धन का उपयोग जनता के प्रतिनिधियों की इच्छानुसार होना चाहिये। १९११ के संसद् अधिनियम के अनुसार ब्रि० लोक सभा का अन्तिम उत्तर था कि ब्रिटिश लार्ड सभा को देश के वित्त सम्बन्धी मामलों में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हम ने इन उपबन्धों को मान लिया है तथा हम ने १९११ के संसदीय अधिनियम से इन को संविधान में स्थान दिया है। अतः हम लोग जो सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें वित्तीय मामलों में सम्पूर्ण शक्तियां होनी चाहिएं।

राज्य परिषद् के पास जहां तक वित्तीय मामलों का सम्बन्ध है, विवाद की शक्ति है, परन्तु वे बजट आदि पर मत नहीं दे सकते, केवल संशोधन सुझा सकते हैं, लोक सभा जनता के धन का सदुपयोग चाहती थी, अतः एक लेखा-परीक्षा-विभाग खड़ा हुआ। परन्तु उस पर लोक-प्रिय प्रतिनिधियों का नियंत्रण न होने के कारण लोक-लेखा समिति का प्रादुर्भाव हुआ।

श्री गलैड स्टोन ने इस पद्धति को चलाया। नियंत्रक लेखा महा-परीक्षक का कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक विभाग के लेखा का परीक्षण करे कि खर्च सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। तथा सेना, नौ सेना, और असैनिक सेवाओं सम्बन्धी खर्च की अलग अलग रिपोर्ट वह संसद् को देता है। इस रिपोर्ट के परीक्षण के लिये संसद् के व्यापारिक अनुभवी सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। और इस सदन का यह उत्तरदायित्व है कि यह देखे यह रकम व्यर्थ नहीं खर्ची जाती। और यदि नियंत्रक लेखा महा-परीक्षक ने किसी विभाग के लेखा में कोई त्रुटि देखी है तो वह लोक लेखा समिति को बतलाता है, जो लोक-सभा का ध्यान इस ओर दिलाती है। यह सदन और नियंत्रक-लेखा महा परीक्षक के बीच माध्यमिक है। यह समिति प्रत्यक विभाग के विनियोग लेखा की रिपोर्ट की वार्षिक कापी का परीक्षण करती है, और व्यर्थ किये गये खर्च को अस्वीकार करती है, तथा अपना निष्पक्ष निर्णय एवं आलोचना प्रदान करती है। इस प्रकार यह समिति लोक-धन का योग्य उपयोग, जो संसद् के संकल्पों के अनुसार ही हो, करने का संसदीय नियंत्रण करती है। और स्वीकृत रकम के वास्तविक विनियोग का परीक्षण करना ही इस सदन का मुख्य कर्त्तव्य है जिसे, वह इस समिति के उपकरण द्वारा पूरा करता है। १९७ नियम के आधीन अध्यक्ष का लोक-लेखा समिति पर पूर्ण नियंत्रण है। परन्तु यदि राज्य-परिषद् के सात सदस्य मिला लिये गये, तो हो सकता है कि कल वे मांग करें कि उन के सभापति का भी इस पर कुछ नियंत्रण होना चहिये।

दूसरा समिति सदन में अपनी रिपोर्ट रखने से पहिले उचित समझ कर अपनी रिपोर्ट का कुछ पूर्ण भाग सरकार को दे सकती है, और जब तक वह सदन में न रखी जाय, तो इसे गुप्त रखा जात है। परन्तु इन ७ सदस्यों के वहां होने से यह कैसे गुप्त रखी जा सकती है। ये सात व्यक्तियों का प्रश्न

नहीं । यह तो संविधान के नियमों और भाव के मान करने का प्रश्न है ।

दूसरे क्या इन सदस्यों को केवल परामर्श देने का अधिकार दिया गया है, अथवा मत देने का भी ? कई स्थानीय समितियों में सहायक सदस्य होते हैं, परन्तु उन को मतदान का अधिकार नहीं होता । इस बात को स्पष्ट करना चाहये ।

लोक सभा की स्थापना के उद्देश्य को विचार में रखते हुए देश के वित्त का निर्णय लोक सभा में ही होना चाहिये, जो कि अपरोक्ष जनता के प्रतिनिधियों की सभा है । उस के रहते हुए राज्य परिषद् का अस्तित्व इन ५०० सदस्यों में अविश्वास प्रकट करता है । चाहे कुछ समय के लिये परिषद् रखी भी जाय, परन्तु उन को हमारे बराबर शक्ति का अधिकार देना संविधान की भाषा और भावना के विरुद्ध होगा और हम देश की सेवा नहीं करेंगे । महात्मा गांधी जी ने भी गोलमेज़ सम्मेलन में फेडरल स्ट्रक्चर समिति के सामने दूसरे सदन की अनावश्यकता सम्बन्धी वक्तव्य दिया था ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) उठें—

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राघावाचारी, उन को भी अवकाश मिलेगा ।

श्री जोकीम आल्वा : विवाद के आगे बढ़ने से पहले, मैं अध्यक्ष महोदय से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं :

(१) क्या अध्यक्ष को राज्य-परिषद् से इस समिति के लिये व्यक्तियों को नामांकित करने का अधिकार है ?

(२) यदि सभापति नामांकित हो जायें, तो क्या उन का निर्णायक मत होगा ?

मैं इन का केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने को खड़ा हुआ हूं । संविधान में लोक धन के विनियोग और खर्चे की जांच का उत्तरदायित्व इसी सदन पर है । और १९६ नियम में लोक लेखा के परीक्षण का भार इसी समिति पर है । इस में और भी दिया गया है कि इसी सदन द्वारा इसी सदन में से समिति के सदस्य चुने जायेंगे । अतः मैं इस प्रस्ताव को संविधान के प्रत्येक पहलू से उल्ट समझता हूं । १९६ नियम के अधीन इस समिति की उप समिति भी बनाई जा सकती है, जो पूर्ण शक्ति के साथ सब काम कर सकती है ।

इस प्रकार वह सदन, जिस में अपरोक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये सदस्य हैं, कुछ और वर्षों में सरकारी दल के लोगों से भरपूर हो जायगा । और संविधान द्वारा दिये उत्तर-दायित्व का पालन दूसरे लोगों द्वारा ही होगा ।

नियमों के अधीन तो समिति का निर्वा-चन सदन द्वारा ही होना चाहिये, और सदस्य केवल इसी सदन के होने चाहियें ।

दूसरी बात यह है कि सदन के नेता को इस सदन के अधिकारों और विशेषा-धिकारों की रक्षा करनी होती है । अतः समझौते का कोई प्रश्न नहीं है । समझौते का यह मतलब नहीं कि अपने अधिकारों में से कुछ उन को दे दिये जायें । अतः इन सहायक सदस्यों सम्बन्धी प्रस्ताव को संविधान और नियम के उल्ट होने के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती ।

प्रधान मंत्री ने आठ महीने पहिले इसी की बाबत अध्यक्ष महोदय से पूछा था और नियमों के संशोधन के कुछ प्रस्ताव राज्य परिषद् ने रखे थे, तो इस समिति और नियम-समिति ने एकमत से इस प्रस्ताव का विरोध किया था, कि यह संविधान और नियमों के विरुद्ध है । और अब यह पुनः विभिन्न दलों के नेताओं के परामर्श के बिना पेश कर दिया

[श्री राघवाचारी]

गया है । जब यह बात स्पष्टतया संविधान, नियमों तथा दोनों समितियों के निर्णयों के विरुद्ध है, तो समझौते का कोई मतलब नहीं । अतः इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हम प्रत्येक बात में सरकार का विरोध नहीं करते ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा०काटजू) : आगे बोलियेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यदि सब ओर से हमारी हंसी होती है, तो भी हम बरदाश्त कर सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : डा० काटजू इस की प्रशंसा करते हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मुझे इस प्रस्ताव की कुछ त्रुटियां भी बतलानी हैं, परन्तु फिर भी, अधिकतर हम इस प्रस्तव के पक्ष में हैं ।

वास्तव में हम अपने अधिकारों के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं । परन्तु ब्रिटिश के दोनों सदनों के झगड़ों के ऐतिहासिक कारण हैं । और जो बातें वहां लागू होती हैं, वे हमारे देश की परिस्थिति पर लागू नहीं होतीं । निस्सन्देह हम - जनता द्वारा उपरोक्ष निर्वाचित होने के कारण हमारे सदन का महत्व बहुत अधिक है । तो भी संसद में दो सदन तथा प्रधान जी होते हैं । तीनों के योग्य सम्बन्ध से ही देश का भला हो सकता है । यदि कोई हमारी स्थिति को गिराने का प्रयत्न करे, तो हम अवश्य उस का विरोध करें ।

श्री गिडवानी (थाना) : क्या कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे सदन रखने के हक में है ?

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हम परम्परा-वादी नहीं और हमारा यह विचार नहीं कि ये दूसरे सदन सब स्थानों पर अवांछनीय है । यदि हमारी विजय हुई तो हम संविधान को भी बदलेंगे और वास्तविक जनतंत्रात्मक रूप में । संसद लोक-सभा राज्य परिषद् और प्रधान से मिल कर बनती है । और हमारा इन में प्रमुख स्थान है । यदि हमारे अधिकारों और विशषाधिकारों को कोई छीनने का प्रयत्न करे तो हम इस की आज्ञा न देंगे । परन्तु हमें वर्तमान परिस्थिति में दोनों सदनों में सद्भावना उत्पन्न करनी चाहिये । मैं दोनों सदनों में हुई कटुता को नहीं चाहता । मैं संविधान को बदलना चाहता हूं । देश के भले के लिये हम संविधान को बदलें और दूसरे सदन के अस्तित्व को भी मिटा दें । परन्तु यदि दूसरा सदन अस्तित्व में है, तो उसे भी संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के साथ क्रियात्मक कार्य करने का अधिकार होना ही चाहिये ।

जहां तक लोक-लेखा समिति में दूसरे सदन के सदस्यों की सहायता का सम्बन्ध है यदि हम देखते हैं कि हमारे अधिकारों पर इस से चोट नहीं आती, तो हमें इस प्रस्ताव का विरोध करने का कोई कारण दिखाई नही देता ।

धन विधेयकों संबन्धी बड़े बड़े संविधा-निक ज्ञानियों ने बोला । परन्तु हम भूल नहीं सकते कि इस संविधान के अधीन राज्य-परिषद् का महत्वपूर्ण स्थान है । विधान बनाने के विषय में यह दोनों सदनों की बैठक बुलवा सकती है जो राज्यों के दूसरे सदन नहीं कर सकते । क्योंकि हमारा फैड्रल स्ट्रक्चर है । इस प्रकार के ढ़ांचे में दूसरे सदन की आव-श्यकता होती है । यदि हमारे साथ में होता तो हम भाषाओं के आधार पर प्रान्त

बनाते, और दूसरा सदन राष्ट्रपिताओं का सदन होता । हम तो सम्पूर्ण स्वरूप को ही बदलेंगे, जिस की कल्पना भी आप ठीक प्रकार से न कर सकें । परन्तु आज वर्तमान संविधान द्वारा दूसरे सदन को स्थान है । और वे सदस्य देश के शासन में भाग लेना चाहते हैं और यही अवसर है जब कि वे अच्छी प्रकार से जांचे जा सकते हैं ।

संविधान के अधीन नियंत्रक लेखा महा परीक्षक अपनी रिपोर्ट दोनों सदनों के सामने रखता है और प्रधान मंत्री ने कहा कि वे अपनी अलग लोक-लेखा समिति बना सकते हैं । क्या लोक-लेखा समिति सदस्यों को निधि के वित्तीय वंटन का नियंत्रण करने में योग्य बनाती है ? निस्सन्देह, ऐसा नहीं होता । राज्य-परिषद् अनुदान पास नहीं करती । अनुदान पारित हो जाने के बाद वे विधेयक में मिलाये जाते हैं, और वित्त मंत्री उन्हें दूसरे सदन में रखता है और यह उसी संस्था में पारित किया जाना होता है । उस सदन का अपना अस्तित्व है, और उसे भी अधिकार है कि नियंत्रक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उन के सदन पटल पर रखी जाये । उन को भी धन के खर्च करने की पद्धति को जांचने का हक है । उन का कर्त्तव्य है कि सरकार ने रुपया ठीक प्रकार से खर्च किया है अथवा नहीं । जैसी गड़बड़ होती है, उस पर वाद विवाद खुले रूप में होना चाहिये और राज्य-परिषद् के सदस्यों को भी इसे जांचने की खुल होनी चाहिये और यही हम चाहते हैं राज्य परिषद् संसद् की कार्यवाही में अधिक भाग लेना चाहती है और इसे अधिक अवसर प्राप्त होने चाहिये ।

इस का एक उदाहरण लोक लेखा समिति के कार्य में भाग लेना है । यदि हम राज्य परिषद् को नहीं चाहते तो हमें इसे तोड़ देना चाहिये । अन्यथा संविधान की परिसीमाओं के अधीन हमें राज्य परिषद् का सम्बन्ध लोक लेखा समिति में जोड़ना चाहिये ।

अब मैं अन्तिम बात पर आता हूं । मैं नहीं समझता कि क्यों कुछ चर्चा द्वारा सदन के सब भागों को विश्वास में लाये बिना क्यों प्रधान मंत्री द्वारा रखे गये किसी विशेष प्रस्ताव की सूचना दे दी जाती है । अच्छा होता यदि सदन के सब भागों और विशेषत: विरोधी दल को विश्वास में लाया जाता ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नियमों के लागू करने और 'सम्बन्ध' शब्द की परिभाषा के सम्बन्ध में कठिनाइयां बताई गई हैं । इन बातों में अवश्य बहुत प्रावैधिक प्रासंगिकता है और ऐसी उलझनें उत्पन्न होने की संभावना है जिन्हें हम नहीं चाहते । दूसरे सदन के सम्बन्ध में हमारी विचारधारा स्पष्ट होते हुए भी इन उत्पन्न होने वाली उलझनों और कठिनाइयों के कारण इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय शीघ्र नहीं देना चाहिये । प्रस्ताव को निलम्बित कर देना ही सरकार के लिये प्रज्ञेय होगा ।

श्री रघूरामय्या (तैनालि) : सूचना सम्बन्धी प्रश्न पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस ओर के सदस्यों को भी इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं श्री जयपाल सिंह के समाप्त करने पर मैं माननीय सदस्यों को कहूंगा ।

श्री थानू पिल्ले : आप दूसरी ओर के माननीय सदस्यों को देख सके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये । मैं ने किसी माननीय सदस्य को बोलने की इच्छा प्रगट करते नहीं देखा । मैं सदन के प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिये कह सकता हूं । माननीय सदस्यों को चाहिये

[उपाध्यक्ष महोदय]

कि वे अपने स्थान पर खड़े हो कर बोलने की इच्छा प्रगट करें ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को निलम्बित करने का है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात नहीं ।

श्री जयपाल सिंह : इस सदन तथा लोक लेखा समिति में मेरे साथियों तथा कई नेताओं ने एकमत से दूसरे सदन के लोक लेखा समिति के साथ सम्बन्ध का विरोध किया है । इस लिये मुझे अधिक नहीं कहना है ।

मेरा विचार है कि यदि प्रस्तोता यह स्पष्ट कर दे कि लोक लेखा समिति के सदस्य अतिरिक्त व्यय को संक्षमा कर सकेंगे, तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि यह प्रस्ताव स्वयमेव असफल हो जायेगा ।

मैं संविधान का पंडित नहीं हूं परन्तु मैं ने इस प्रस्ताव के संवैधानिक पक्ष पर बहुत कुछ सुना है । हम ने धन विधेयक के आगामी पत्र पर बहुत विचार किया है । यद्यपि लोक लेखा समिति का सम्बन्ध भूत से है । उस ने पहले व्यय की गई धन राशि पर विचार करना है इसलिये मैं फिर वही बात दोहराता हूं कि प्रस्तोता को स्पष्ट करना चाहिये कि क्या दूसरे सदन के सदस्यों को अतिरिक्त व्यय संक्षमा करने का अधिकार दिया जा रहा है, ताकि हम झमेले में न पड़े रहें ।

वस्तुतः मैं प्रस्ताव का विरोधी हूं परन्तु क्या हमें दूसरे सदन की योग्यता का लाभ नहीं उठाना चाहिये यदि वह धन विधेयक से सम्बन्धित हमारे अधिकार में बाधा न डाले । मेरे विचार में लोक-लेखा समिति परिनिरीक्षण कर सकती है परन्तु क्या उस धन राशि का परिनिरीक्षण जिस पर इस सभा ने मत दिया था । प्रस्तोता को यह भी स्पष्ट करना चाहिये लोक-लेखा समिति के बनाने में दूसरे सदन का क्य सम्बन्ध होगा । क्या उन्हें सदस्यता तथा मत देने का पूरा अधिकार होगा । यदि ऐसा है तो इस प्रस्ताव को अवश्य असफल करना चाहिये ।

श्री वी० बी० गांधी : श्रीमान्, दूसरी ओर की चर्चा अब तक अवास्तविक रही है यद्यपि हमें उन की ओर से अधिक योग्य प्रयत्न की प्रत्याशा थी ।

कल प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि "यह सभा तथा हमारा संविधान पूर्व दृष्टान्त के बिना ही है ।" परन्तु दूसरी ओर के वक्ता जब भी राज्य पर विचार करते हैं तो दूसरे सदन के सम्बन्ध में अंग्रेजों का अनुभव उन के ध्यान में रहता है । श्री चटर्जी भी ब्रिटिश लार्ड सभा की ओर निर्देश किये बिना नहीं रह सके । परन्तु जब हम राज्य परिषद् पर विचार कर रहे हों तो क्या यह उचित है कि इस की लार्ड सभा के साथ तुलना की जाये । लार्ड सभा उत्तराधिकारी सदन है । यदि हम ने राज्य परिषद् की तुलना किसी से करनी है तो हमें ऐसे देशों के दूसरे सदन के साथ करनी चाहिये जिन के संवैधानिक उपबन्धों ने उन का निर्माण किया हो । यह एक स्वभाव बन चुका है कि सदा दूसरे सदन के अर्थ लार्ड सभा ही लिया जाता है और क्योंकि लार्ड सभा अनावश्यक है इस लिये राज्य परिषद् भी अनावश्यक सदन है ऐसा कहा जाता है । इस युक्ति के साथ हम सहमत नहीं हैं ।

क्या सब दूसरे सदन अनावश्यक और शक्तिहीन हैं परन्तु संयुक्त राज्य की सेनेट ऐसा दूसरा सदन है कि जिस के अधिकार पहले सदन अर्थात् प्रतिनिधियों की सभा से कहीं अधिक है । सेनेट कई समितियों द्वारा कार्य करती है और उन में दो समितियों के कार्य मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

(क) विनियोग से भिन्न आय-व्ययक और लेखा-विधेयक

(२) ऐसी समिति

(क) संयुक्त राज्य के सामान्य नियंत्रक के प्रतिवेदनों का परिनिरीक्षण कर के इन के सम्बन्ध में सैनेट के पास आवश्यक सिफारिश करेगी ।

(ख) सरकार की आर्थिकता और कौशल का निश्चय करने के लिये सब स्थितियों में उस के कार्यों का अध्ययन करेगी ।

(घ) संयुक्त राज्य और नगर पालिकाओं के बीच के सम्बन्धों का अध्ययन करेगी ।

दूसरी समिति वित्त सम्बन्धी समिति है । इस के कार्य निम्नलिखित हैं ।

१. सामान्यतः भू-राजस्व

२. संयुक्त राज्य का बंधित ऋण

३. शुल्क, वसूली के जिले, तथा प्रवेश और प्रदान के पत्तन ।

इस प्रकार दूसरे सदन के विषय में विचार करते हुए हमें संयुक्त राज्य की सेनैट और लार्ड सभा अर्थात् दोनों ओर की अन्तिम सीमाओं के सदनों के बीच विभिन्न अधिकारों वाले सदनों का विचार करना चाहिये ।

फिर लोक-लेखा समिति के कार्यों का प्रश्न है । इस सभा के धन सम्बन्धी विषयों में विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । परन्तु जैसा प्रधान मंत्री ने कहा है लोक लेखा समिति का कार्य लेखों का परिनिरीक्षण है । यह परिनिरीक्षण बाद में होता है । लोक लेखा समिति न तो राजस्व को बढ़ा सकती है और न ही धन को व्यय कर सकती है ।

श्री चटर्जी जी ने कल कहा था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिये और कि राज्य परिषद् के प्रतिनिधित्व-पूर्ण निकाय न होने के कारण उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होता । भारत एक संघानीय राज्य है जिस में दो प्रकार का प्रतिनिधित्व होता है । एक प्रतिनिधित्व जन संख्या के अनुसार है और दूसरा राज्यों के अनुसार । राज्य परिषद् के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व से चुने गये हैं जो ढंग प्रत्यक्ष मत दान से अच्छा समझा जाता है । इस लिये यह कहना उचित नहीं कि दूसरे सदन को प्रतिनिधित्व हीनता के कारण अधिकार नहीं ।

दोनों सदनों की स्थिति के सम्बन्ध में मैं संविधान के अनुच्छेद १०५ (३) की ओर निर्देश करता हूं । इस खण्ड में कहा गया है कि :

"अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जैसी संसद् समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उस के सदस्यों और समितियों की हैं ।"

यहां दोनों सदनों को एक समान स्तर पर रखा गया है । परन्तु यहां इस सदन में राज्य परिषद् के सदस्यों को बाहर के व्यक्ति कहा गया है । इस प्रकार कहना अच्छा नहीं है ।

अनुच्छेद २४९ के अधीन यह स्पष्ट कहा गया है कि जब राष्ट्रीय हित अथवा राज्य सूची में से किसी विषय पर विधान बनाना हो तो राज्य परिषद् की पूर्व अनुमति आवश्यक है । संविधान ने उस सदन को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि यह सभा उस की अनुमति द्वारा ही कार्य कर सकती है ।

[श्री वी० बी० गांवी]

दूसरे सदन के प्रति इस प्रकार का दृष्टकोण मानसिक मद के कारण है कि कहीं वह सदन सर्वोच्चता प्राप्त न कर जाये। परन्तु जब तक इस सदन के पास वास्तविक अधिकार अर्थात् धन पर नियंत्रण है और जब सरकार इस सदन के विश्वास के आधार पर जीवित है, इस प्रकार का भय नहीं होना चाहिये ।

प्रक्रिया के नियमों के नियम १९६ में कुछ कठिनाई दिखाई देती है। परन्तु यदि हम नियम को बदलने के लिये ही उतारू हों तो यह कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। परन्तु हमें राज्य परिषद् के प्रति अन्याय नहीं करना है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने स्वभावत: बहुत आदर और ध्यानपूर्वक वह सब सुना है जो इस प्रस्ताव पर कहा गया है और मुझे आशा है कि मुझे इस से लाभ हुआ है। परन्तु मेरे विचार में उस लाभ का सम्बन्ध इस प्रस्ताव से नहीं है वरन संविधान के सामान्य पक्षों से है ।

मैं समझता हूं कि जितना यह कहा गया है यद्यपि सर्वथा ठीक है परन्तु वह प्रासंगिक नहीं। इस सदन के अधिकारों पर बहुत जोर डाला गया है जैसे कि उन पर आक्षेप किया गया हो अथवा उन पर आक्रमण हुआ हो। इस सदन के धन और वित्त सम्बन्धी विषयों पर जितने अधिकार हैं न के सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है। इसी आधार पर हमें अग्रसर होना है। यहां विषय समाप्त हो जाता है। इस विषय में हमें कुछ नहीं कहना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि क्या यह नवीनता—यदि आप मेरे प्रस्ताव में नवीनता समझें—इन अधिकारों में बाधा डालती है। यदि यह इन अधिकारों में बाधा डालता है तो यह प्रस्ताव गलत है। मैं इस स्थिति को स्वीकार करता हूं यदि इस से अधिकारों में बाधा की संभावना है तो हमें सामना करना चाहिये और इसे ऐसा नहीं करने देना चाहिये। मैं इस स्थिति को स्वीकार करता हूं। तब इन लम्बी युक्तियों से क्या लाभ है। जहां तक लोक लेखा समिति का सम्बन्ध है तो यह नियमों की रूप रचना है न कि संविधान की। वस्तुत: यदि हम चाहें तो नियम बदले जा सकते हैं। अन्य बातों सहित नियमों में यह दिया गया है कि समिति के सभापति को अध्यक्ष नियुक्त करेगा। यह प्रथम बात है। सभापति महोदय का निर्णायक मत होगा ।

अध्यक्ष महोदय समय समय पर समिति के सभापति को समिति की प्रक्रिया को विनियमित करने तथा उस के कार्य को संगठित करने के लिये आवश्यक निदेश दे सकते हैं। प्रक्रिया सम्बन्धी या अन्य किसी बात पर कोई सन्देह उत्पन्न होने पर, यदि सभापति उचित समझे, तो उस बात को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकता है जिस का निर्णय अन्तिम होगा। अत: अध्यक्ष इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। कोई भी इन नियमों में अध्यक्ष को दिये गये अधिकार को कम करना नहीं चाहता। यदि ऐसी बात है, तो मुझे वस्तुत: यह समझ नहीं आता कि सिवाय इस बात के कि कुछ सदस्यों के मन में यह आशंका बनी हुई हो कि यह एक प्रकार की कुछ विभेदक सी चीज है और हम नहीं जानते कि इस का क्या परिणाम होगा, इस में कठिनाई कहां उत्पन्न होती है ।

अस्तु, किन्हीं अस्पष्ट आशंकाओं को, ऐसी आशंकाओं को जो कि हमारे संविधान की किसी चीज

से उत्पन्न नहीं हुई, अपितु अंग्रजों के इतिहास की किसी दूर की पृष्ठभूमि के ज्ञान से उत्पन्न हुई है, दूर करना कुछ कठिन सा है । स्पष्ट है, कि हमारा संविधान उन से भिन्न है । यह कतिपय धन सम्बन्धी विधेयकों तथा अन्य चीजों के सम्बन्ध में उन के जैसा हो सकता है, किन्तु जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है हमारी राज्य परिषद् स्पष्टतया एक बिल्कुल भिन्न चीज है । यह हाउस आफ लार्डस् (लार्ड सभा) से भिन्न बनाई गई है । सुदूर भविष्य में हमारे यहां दूसरा सदन रहेगा या नहीं, हम इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं । परन्तु यहां जो दूसरा सदन बनाया गया था वह इस दृष्टि से नहीं बनाया गया था कि दूसरा सदन बिल्कुल प्रभावहीन हो, या जनता का प्रतिनिधि न हो, परन्तु एक ऐसा दूसरा सदन बनाया गया था, जो कि जनता का प्रतिनिधि हो, एक विभिन्न प्रकार से देश का प्रतिनिधित्व करता हो, इस का निर्वाचित प्रतिनिधि हो, नामनिर्देशित या जन्म जात नहीं अपितु निर्वाचित प्रतिनिधि हो—जोकि आंशिक रूप से अप्रत्यक्षतया तथा आंशिक रूप से सीधे निर्वाचित किया गया हो । राज्य परिषद् आंशिक रूप से सीधे निर्वाचन द्वारा तथा आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उन लोगों से निर्वाचित किया गया है जो कि राज्य विधान सभाओं में चुने गये हैं । (**अन्तर्बाधा**)

श्री एस० एस० मोरे : मनोनीत ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ थोड़े से मनोनीत भी हैं । उदाहरण के लिये, राज्य परिषद् के कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है जो कि संसद् के सभी सदस्यों सहित सब लोगों में सब से अधिक प्रतिष्ठित है—यह सत्य है कि वे कला, विज्ञान इत्यादि में लब्ध प्रतिष्ठ हैं और हमारे संविधान में इसे ठीक समझ कर इस की व्यवस्था की गई है । वे राजनतिक दलों या ऐसी किसी चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, किन्तु वे वस्तुतः सर्वोत्कृष्ट साहित्य या कला या संस्कृति या ऐसी ही किसी चीज के प्रतिनिधि होते हैं । यह तो एक छोटी सी बात है । वास्तव में राज्य परिषद् तो राज्यों की प्रतिनिधि मानी जाती है जैसा कि इस के नाम से प्रकट है, और यह राज्य विधान सभाओं या स्थानीय निकायों या विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करती है । अच्छा, तो इस में सुधार किया जा सकता है या नहीं । यह तो अलग बात है । परन्तु यह हमारे संविधान का एक निश्चित और महत्वपूर्ण अंग है ।

यह बिल्कुल सत्य है कि वित्तीय मामलों में इस की शक्तियां बहुत सीमित हैं । अथवा ये शक्तियां लोक सभा में निहित हैं । यही स्थिति है और इस पर यहां या वहां तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता । कोई यह नहीं कह सकता—स्वाभाविकतया मैं यह कहता हूं—यहां कोई भी यह नहीं कहेगा कि उस सदन के सदस्य किसी व्यक्तिगत विशेषता के कारण इस सदन के सदस्यों से हीन हैं, या ऊंचे हैं, या अच्छे नहीं हैं या बुरे हैं । हमारी सम्मति में कुछ अच्छे हो सकते हैं, और कुछ बुरे भी हो सकत हैं, किन्तु इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता । परन्तु मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वे किसी विशेष श्रेणी या वर्ग के प्रतिनिधि नहीं हैं, उन का राजनीतिक विचारों की उन्हीं श्रणियों तथा वर्गों से सम्बन्ध है जिन से कि इस सदन के सदस्यों का सम्बन्ध है ।

इस प्रकार का कोई भेद नहीं है और स्पष्टतया यह वांछनीय है कि इन दोनों को मिला कर बनी हुई संसद् निर्बाध रूप से, परस्पर सहयोग के साथ कार्य करे और प्रत्यक को दूसरे के साथ यथासम्भव अधिक से अधिक सहयोग करना चाहिये ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसी कारण हम ने जहां कहीं सम्भव हो सके किन्हीं विशेष विषयकों के लिये संयुक्त प्रवर समितियां बनाने का निश्चय किया है। आज जो युक्तियां प्रस्तुत की गई थीं उन में से बहुत सी संयुक्त प्रवर समितियों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। सभी नहीं, मैं कहता हूं कि उन में से बहुत सी प्रस्तुत की जा सकती हैं। वे उन पर लागू नहीं होंगी क्योंकि वे युक्तियां इस मामले में भी लागू नहीं होतीं। हम ने संयुक्त प्रवर समितियां बनाई हैं क्योंकि यह सुविधाजनक है, क्योंकि हम उन्हें बनाना चाहते हैं। विधेयक, धन सम्बन्धी विधेयकों आदि को छोड़ कर, दूसरे सदन को भेजे जाते हैं, उन पर वहां विचार किया जाता है और बार बार होने वाली लम्बी चौड़ी प्रक्रिया से बचने के लिये हम ने संयुक्त प्रवर समितियां बना दी हैं। हमें इस से कम से कम अधिक विचारों का भी पता लग जाता है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हम किसी धन सम्बन्धी विधेयक के बारे में भी कोई संयुक्त प्रवर समिति बना सकते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य मेरी बात समझे नहीं। मैं ने यही कहा था। अतः इस विषय में अर्थात् चीजों पर संयुक्त विचार में कोई आवश्यक मतभेद नहीं है। यदि आप वित्तीय पहलू तथा धन विधेयकों को निकाल दें तो फिर कठिनाई कहां रह जाती है? जहां तक लोक लेखा समिति का सम्बन्ध है, यह मुख्यतया व्यय की पड़ताल करती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह किसी ऐसे पहलू पर विचार नहीं करती जो कि विशेष रूप से इस सदन के क्षेत्राधिकार में होता है। प्राक्कलन समिति ऐसा कर सकती है। अतः जहां तक प्राक्कलन समिति का सम्बन्ध है हम ने इसे अलग ही रखा है। यह प्रस्ताव प्राक्कलन समिति के सम्बन्ध में नहीं किया गया है।

ऐसी सम्भावना हो सकती है कि निन्दा या इसी प्रकार की किसी चीज के सम्बन्ध में—किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि किसी मंत्री या सरकारी विभाग की निन्दा करन या उस पर दोषारोपण करने का प्रयत्न किया गया था, इस समय मुझे इस बात का बिल्कुल ठीक ठीक पता नहीं है —यह केवल इस सदन के सदस्यों का सम्भवतः एक विशष प्रकार का विशेषाधिकार समझा जा सकता है। इस प्रकार से या बहुत से अन्य तरीकों से किसी मंत्री की निन्दा करने का विशेषाधिकार इस सदन को है। परन्तु, लेखे में, या व्यय में कोई अनियमितता बतलाना निश्चय ही किसी विशेष व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। कोई भी जन-साधारण ऐसा कर सकता है। निस्सन्देह, यह दूसरी बात है कि इस का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लोक लेखा समिति के कुछ सदस्यों में मतभेद हो, तो इस से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। अन्ततोगत्वा उस प्रश्न का निश्चय तो यह सदन ही करेगा। इस सम्बन्ध में इस सदन की शक्तियों को कोई सीमित नहीं कर सकता। परन्तु, एसा होते हुए भी, यदि हम थोड़ा और आगे जायें, तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे कि नियमों द्वारा विनियमित किया जा सकता है। इस में कोई विशेष कठिनाई नहीं है, नियम तो हम ने ही बनाये हैं। उन्हें किसी आकस्मिकता की व्यवस्था के लिये भी बनाया जा सकता है। इस में मुझे हमारे मनो में यह जो बड़ा भारी भय बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाय इस के अतिरिक्त और कोई कठिनाई वस्तुतः दिखलाई नहीं देती। मुझे वस्तुतः यह समझ नहीं आता कि यह कुछ क्यों हो जायगा। और कैसे हो जायगा क्यों कि यदि सारे संविधान को देखा जाये तो

अन्त में इस सदन की शक्ति ही अधिक है— चाहे आप संयुक्त सत्र में समवेत हों या अन्य प्रकार से समवेत हों, आप की संख्या सदा अधिक रहेगी। अतः मुझे इस का भय नहीं है। मान लीजिये कि इस सदन के परमाधिकार पर आक्रमण का कोई प्रयत्न किया जाता है, तो उस पर उसी प्रकार से विचार किया जाना चाहिये। परन्तु उस के भय से आप कोई ऐसा कार्य क्यों न करें जो कि युक्तियुक्त तथा वांछनीय प्रतीत होता हो? निश्चय ही इस समस्या को हल करने का यह उचित तरीका नहीं है।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने समझौते की बात की थी: क्या हम भड़की हुई आग में तेल डालने के लिये किसी के साथ समझौता कर रहे हैं? उन्हों ने यही कहा था। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव किसी को प्रसन्न करने के लिये या समझौते के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है, यह इसलिए प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इसे वांछनीय और क्रियात्मक समझा गया था, जैसा कि मैं ने कल इस के विषय में कहा था, यह प्रश्न लगभग एक वर्ष पूर्व हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था। हम ने इस पर विभिन्न प्रकार से चर्चा की थी और सामान्यतया हमारी यह सम्मति थी कि ऐसा कर देना चाहिये। परन्तु, हम जल्दी करना नहीं चाहते थे, इस विषय में बहुत ही धैर्य्य से काम लिया गया है। माननीय सदस्य ने कहा था कि हम इस में जल्दी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे इस में जल्दी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। परन्तु, मैं समझता हूं कि इस में शीघ्रता की कोई भावना नहीं है, क्योंकि हम लगभग एक वर्ष तक इस समस्या को टालते रहे हैं और जैसा कि स्वाभाविक था इस विषय में अध्यक्ष की स्वीकृति तथा मंत्रणा बिल्कुल आवश्यक थी। उन से मन्त्रणा ली गई थी और यह विषय उन्हें निर्दिष्ट किया गया था तथा उन से इस पर चर्चा भी की गई थी। इस में कुछ समय लग गया। जैसा कि सदन को सुविदित है अध्यक्ष महोदय बहुत समय तक अस्वस्थ थे और मैं उन के अपने पद पर पुनः वापस आ जाने तक बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता था। इन्हीं सब कारणों से इतना विलम्ब हो गया। चाहे कुछ भी हो, इस में जल्दी करने और किसी प्रकार का समझौता करने या किसी और की भड़की हुई भावनाओं को शान्त करने का कोई प्रश्न नहीं है।

इस के अतिरिक्त सहायक सदस्यों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है। ये सहायक सदस्य कौन हैं? यह प्रस्ताव बड़ा सीधा सा है, जिस में राज्य परिषद् से अपने सात सदस्यों को इस लोक लेखा समिति में भेजने के लिये कहा गया है। हम यह न स्वते कि राज्य परिषद् उन्हें कैसे चुनेंगी यह निश्चित ह कि वे इन्हें निर्वाचन के द्वारा चुनेंग, वे इन्हें और किसी प्रकार से नहीं चुन सकते। हम जानते है कि इस का निश्चय करना उन का काम है। स्वाभाविकतया वे अनुपाती प्रतिनिधित्व की रीति या इसी प्रकार से निर्वाचन करेंगे। यदि वे समिति में आयेगे तो क्योंकि समिति का मुख्य काम पड़ताल करना है अतः सदस्यों की दो श्रेणियां बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन की एक ही श्रेणी तथा स्तर होगा। यदि कोई प्रश्न उठेगा— इस समय ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में नहीं है—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठेगा जो कि विशेष रूप से इस सदन के क्षेत्राधिकार में होगा, तो उस विषय पर वे लोग विचार नहीं करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो इस के लिय नियम भी बनाये जा सकते है। हमें इन चीजों को अधिक स्पष्ट करने से कोई नहीं रोक सकता सामान्यतया ऐसी बात उत्पन्न नहीं होती, यह चीज तो बहुत कम होती है। परन्तु, हमारे लिये भयभीत हाने का कोई कारण

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नहीं—यदि मैं जनसाधारण के शब्दों में कहूं तो—हम किसी के रोब में आ कर अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को भूलना नहीं चाहिये। अतः मेरा यह निवेदन है कि हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यह किसी बुरे अर्थ में समझौता करने का प्रश्न नहीं है कुछ प्राप्त करने के लिये किसी बुरी चीज को करना कोई और बात है।

यह सत्य है कि मेरी यह इच्छा है और मैं समझता हूं कि सदन की भी यही इच्छा होनी चाहिये कि दूसरे सदन के साथ यथासम्भव अधिक से अधिक सहयोग किया जाय और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखे जांय, क्योंकि संविधान की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यदि हमारे में परस्पर सहयोगात्मक सम्बन्ध न हों तो प्रत्येक सार्वजनिक कार्य में बाधा पहुंचा सकता है और विलम्ब कर सकता है। इस में कोई सन्देह नहीं है। प्रत्येक में अच्छाई करने का सामर्थ्य होता है, किन्तु वह विलम्ब भी कर सकता है और विलम्बकारी उपायों का प्रयोग कर के दूसरे सदन को परेशान और तंग भी कर सकता है। संविधान के अनुसार संसद् दोनों सदनों से मिल कर पूरी बनती है। मुझे खेद है, जैसा कि मेरे इधर के माननीय मित्र ने भी खेद प्रकट किया था कि दूसरे सदन के किसी सदस्य को बाहर का व्यक्ति नहीं कहना चाहिये। संकुचित अर्थ में आप इस का प्रयोग कर सकते हैं, किन्तु इस के पीछे जो विचार है वह अच्छा नहीं है। और हम सब संसद् में संयुक्त हैं और संसद् के भार को उठाते हैं और भारत की जनता की आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं। यदि हम आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो भारत के लोग हम से क्या सबक सीखेंग? हमारे राज्यों में क्या होगा? इस संघीय सरकार के सारे ढांचे में न केवल दोनों सदनों में सहयोग की आवश्यकता है, अपितु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों तथा राज्य परिषदों तथा राज्य विधान सभाओं में भी परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। सब जगह सहयोग होना चाहिये।

परन्तु उस की पृष्ठ भूमि सहयोगात्मक प्रयत्न की है। अन्यथा भारत का सांविधानिकतन्त्र (मशीन) चीं बोलने लगेगा, द्रुतगति से नहीं चलेगा और हो सकता है कि वह कहीं कहीं टूट भी जाय। संविधान में एक उपबन्ध है कि साधारण सांविधानिकतन्त्र के विफल होने की अवस्था में राष्ट्रपति किसी राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले सकेगा। परन्तु वे असाधारण उपबन्ध हैं और असाधारण प्रक्रियायें हैं। असली चीज उन का पारस्परिक सहयोगात्मक प्रयत्न है और हमें संसद् के दोनों सदनों को जो कि सर्वोच्च हैं, पथ प्रदर्शन करना चाहिये। हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे तो करेंगे ही नहीं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यह कोई तुष्टीकरण या अनुग्रह या झुकन का प्रश्न नहीं है। मेरा निवेदन है कि मेरे प्रस्ताव से इस सभा के शक्तियों या प्राधिकार का तनिक भी उल्लंघन नहीं होता, अपितु वह एक वांछनीय वस्तु है जिस से कि दोनों सदनों में सहयोगात्मक कार्य हो सके, दूसरों का, अन्य देशों और अन्य संसदों का पथ प्रदर्शन हो सके कि हमारे संविधान का यह जटिल ढांचा किस प्रकार सुचारु रूप से और प्रभावी रूप से और सद्भावना से क्रियान्वित किया जा सकता है।

यद्यपि मैं कह चुका हूं कि मेरा उद्देश्य प्रस्ताव को जल्दबाजी में पारित कराने का नहीं है, फिर भी कुछ सदस्यों को ऐसा ख्याल हो गया है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस प्रस्ताव का कोई गुप्त हेतु है कि लोक-लेखा समिति में दूसरे सदन से कांग्रेस दल के अधिक सदस्य रख जांय। मुझे इस

बात पर अत्यन्त आश्चर्य है क्योंकि समिति में सदनों के सदस्य दलों के अनुसार अनुपात से रखे जायगे। एक दल की ओर से नाम-निर्देशन नहीं होगा और न एक दल के सदस्यों का निर्वाचन ही होगा। यह तो इस बात पर निर्भर है कि वहां किस प्रकार के सदस्य हैं और दल हैं।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ लोग लोकतन्त्र की विशेष धारणा पर बल देते हैं। कभी सदन में, कभी सदन के बाहर और कभी विदेशों में यह कहा जाता है कि भारत में एक दलीय व्यवस्था है। क्यों ? क्योंकि एक दल का भारी बहुमत है। इसे एक दलीय व्यवस्था कहना अतीव असाधारण बात है। व्यापक साधारण निर्वाचन में एक दल को यहां और सभी राज्यों में बहुमत प्राप्त हो गया, इस लिये यह एक दलीय व्यवस्था बन गई। उन का विचार कदाचित यह है कि हमें सिर-फुटव्वल करना चाहिये और दस दलीय व्यवस्था बनानी चाहिये। जैसी कि कुछ देशों में है। उसे शायद अच्छा लोकतन्त्र समझा जायेगा !

दूसरी ओर के माननीय सदस्य कहते हैं कि हम अपने बहुमत का प्रयोग इस प्रयोजन के लिये या उस प्रयोजन के लिय करते हैं। हां करते हैं। बहुमत होता ही किस लिये है ? अल्पमत के सामने झुकने के लिये नहीं होता। और दूसरी ओर के माननीय सदस्य चाहे कुछ भी कहें यह बहुमत भारत के लोगों की बहु संख्या का प्रतिनिधि है, बस बात खत्म हुई : यही लोकतन्त्र है।

परन्तु मेरा निवेदन है कि यह दलबन्दी का विषय नहीं है और इसे ऐसा समझा भी न जाय यही मेरी इच्छा है। कई विरोधी माननीय सदस्य भी इसे दलबन्दी का विषय बनाना नहीं चाहते। मैं जरा भी नहीं चाहता कि इस मामले को जल्दी में पारित किया जाय या इस सदन को या बाहर किसी को यह ख्याल हो कि एसे मामले को पर्याप्त विचार के बिना जल्दी में पारित कर दिया गया जिस के विषय में कुछ सदस्यों का ख्याल था कि उस में सांविधानिक प्रश्न और कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। मेरे मन में तो इस विषय में कोई संदेह नहीं है और विरोधी माननीय सदस्यों के तर्कों से मेरा विचार बदला नहीं है, क्योंकि जो भी कठिनाइयां हो सकती हैं वे आवश्यकता पड़ने पर नियमों में परिवर्तन कर के दूर की जा सकती हैं। फिर भी सदन की इच्छा और अनुमति हो तो मैं इस प्रश्न को आगामी सत्र तक के लिये स्थगित करन के लिये तैयार हूं जिस से कि दूसरी ओर के सदस्यों तथा दूसरे सदस्यों को भी इस पर विचार करने के लिय पूरा समय मिल सके और तत्पश्चात् हम विनिश्चय कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के माननीय नेता के वक्तव्य को दृष्टि में रख कर यह विषय स्थगित रहेगा।

इस के पश्चात् सदन बृहस्पतिवार, १४ मई, १९५३ क सवा आठ बज तक क लिय स्थगित हुआ।